




क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना

पुरवा ग्राम पंचायत

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

उत्तर प्रदेश सरकार





क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना



पुरवा ग्राम पंचायत

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
उत्तर प्रदेश सरकार



प्रकाशक

पर्यावरण निदेशालय, उ.प्र. (DoE) और उ.प्र.जलवायु परिवर्तन प्राधिकरण

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

ईमेल: doeuplko@yahoo.com ; वेबसाइट: upenv.upsdc.gov.in

तकनीकी सहायता

वसुधा फाउंडेशन

गोरखपुर एनवायरमेंटल एक्शन ग्रुप (GEAG)

मार्गदर्शन

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

श्री मनोज सिंह, आईएएस, अपर मुख्य सचिव

श्री आशीष तिवारी, आईएफएस, सचिव

ज़िला प्रशासन

श्री मंगला प्रसाद सिंह, आईएएस, ज़िलाधिकारी, हरदोई

सुश्री सौम्या गुरुरानी, आईएएस, मुख्य विकास अधिकारी, हरदोई

वसुधा फाउंडेशन

श्री श्रीनिवास कृष्णास्वामी, सीईओ

श्री रमन मेहता, कार्यक्रम निदेशक

डॉ. एस. सतपथी, विशेषज्ञ सलाहकार

गोरखपुर एनवायरमेंटल एक्शन ग्रुप (GEAG)

डॉ. शिराज़ वजीह, अध्यक्ष

लेखक

वसुधा फाउंडेशन

सुश्री मेखला शास्त्री, सुश्री शिविका सोलंकी, सुश्री स्वाति गुप्ता, सुश्री रिनी दत्त

गोरखपुर एनवायरमेंटल एक्शन ग्रुप (GEAG)

श्री विजय कुमार पांडे और श्री के.के. सिंह

शोध समर्थन

वसुधा फाउंडेशन

डॉ. प्रीति सिंह, सुश्री मोनिका चक्रवर्ती, सुश्री फातिमा सैला

ग्राम प्रधान, पुरवा

श्री छविनाथ मौर्य

क्षेत्रीय शोध समर्थन

ग्राम सुधार समिति

श्री जनार्दन बाबू मिश्र, श्री यदुराज सिंह, श्री राजेश शर्मा

एचसीएल फाउंडेशन

डिज़ाइन और लेआउट

वसुधा फाउंडेशन

श्री संतोष कुमार सिंह, सुश्री स्वाति बंसल, सुश्री प्रिया कालिया



मंगला प्रसाद सिंह आई.ए.एस.
जिलाधिकारी



अ.शा.प.सं. :
जिलाधिकारी
हरदोई (उ०प्र०)

☎ : 05852-234537 (O)
☎ : 05852-234680 (R)
फैक्स : 05852-234868
ई-मेल : dmhar@nic.in

संदेश

ग्राम पंचायतों को जलवायु सजग ग्राम पंचायत बनाने हेतु समर्पित क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत पुरवा, विकास खण्ड कछौना, जनपद हरदोई की कार्ययोजना हेतु संदेश लिखते हुए मुझे बहुत सम्मान का अनुभव हो रहा है। जैसा कि हम जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों को देख रहे हैं, हमारे लिये जमीनी स्तर पर तत्काल और व्यापक कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है। हमारी ग्राम पंचायतें, समुदाय के निकटतम शासन की एक आवश्यक इकाई होने के नाते जलवायु संबंधी चुनौतियों को कम करने और सतत् विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। हमारा समुदाय, हमारा पारिस्थितिकी तंत्र और हमारी अर्थव्यवस्था सब आपस में जुड़े हुए हैं और हमारे लिये ऐसी रणनीतियों को अपनाना आवश्यक है, जो जलवायु से जुड़े जोखिमों को कम करती हों।

ग्राम पंचायतों हेतु तैयार यह कार्ययोजना जलवायु पर कार्य करने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है, जो पंचायत को क्लाइमेट स्मार्ट पंचायत बनाने के लिये एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेगी।

मैं इस क्लाइमेट स्मार्ट कार्ययोजना निर्माण के लिये पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश, तकनीकी सहयोगी वसुधा फाउंडेशन, नई दिल्ली, स्थानीय सहयोगी संस्था गोरखपुर एनवायरमेंट एक्शन ग्रुप (जी.ई.ए.जी), गोरखपुर तथा एच०सी०एल० फाउंडेशन को धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि निर्मित कार्ययोजना ग्राम पंचायत को क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनने में सहयोगी होगी।

भवदीय,

(मंगला प्रसाद सिंह) 15/02/24
आई०ए०एस०
जिलाधिकारी,
हरदोई।



कार्यालय : (05852) 234780

आवास : (05852) 234675

फैक्स : (05852) 234409

मोबाइल : 9454416620

9454465359

अ० शा० प० सं० :

मुख्य विकास अधिकारी, हरदोई

दिनांक.....

शुभ कामना संदेश

मानव गतिविधियों के कारण पृथ्वी की जलवायु में वर्तमान समय बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है। यदि इसे अनियंत्रित छोड़ दिया गया तो मानव सभ्यता और पृथ्वी पर पारिस्थितिक तंत्र के लिए भविष्य में अभूतपूर्व खतरा पैदा करेगा।

मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश, तकनीकी सहयोगी वसुधा फाउंडेशन, नई दिल्ली, स्थानीय सहयोगी संस्था गोरखपुर एनवायरमेंट एक्शन ग्रुप (जी.ई.ए.जी), गोरखपुर तथा एच०सी०एल० फाउंडेशन के समन्वित प्रयास से क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत योजना विकसित की गयी है। उक्त कार्ययोजना जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करना में उपयोगी सिद्ध होगी तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सामाजिक निवेश होगा। स्मार्ट और टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देकर हमारा लक्ष्य एक ऐसा मॉडल तैयार करना है जो न केवल हमारी पर्यावरण की रक्षा करे बल्कि समुदाय के समग्र कल्याण को भी बढ़ाये।

आशा है कि यह कार्ययोजना हमारी ग्राम पंचायत में संवाद, सहयोग और क्रियान्वयन को प्रेरित करेगी। अतः क्लाइमेट स्मार्ट कार्ययोजना तैयार करने में अमूल्य योगदान के लिये हम इस कार्य में लगे हुए प्रबुद्धजनों एवं संस्थाओं का अभार व्यक्त करते हुए शुभकामनाएं व्यक्त करती हूँ।

भवदीया,

(सौम्या गुरुरानी),
मुख्य विकास अधिकारी,
हरदोई।

ग्राम पंचायत- पुरवा (हरदोई)

छविनाथ मौर्य
(प्रधान)

ग्राम पंचायत- पुरवा
वि० खण्ड कछौना (हरदोई)



निवास :
ग्राम- पुरवा
पोस्ट : बरवा सरसण्ड
जिला : हरदोई
राज्य : उत्तर प्रदेश
मो०- 7525809479,9936099148

पत्रांक :

दिनांक 24/01/2023....

आभार


सर्वप्रथम आप सभी को प्रधान, ग्राम पंचायत पुरवा, जनपद हरदोई की ओर से सादर नमस्कार और अभिनंदन। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी स्वास्थ्य होंगे। मैं अपनी ग्राम पंचायत को क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने की ओर हेतु बढ़ाये गये प्रथम कदम/प्रयास को आपसे साझा करते हुए रोमांचित हूँ।

जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियाँ हर दिन अधिक स्पष्ट होती जा रही है और हमारे समुदाय और भावी पीढ़ियों की भलाई के लिये उन पर कार्य करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। इस विषय की गम्भीरता को समझते हुए सभी ग्रामवासियों की सर्वसहमति से हमने अपनी ग्राम पंचायत को क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने की प्रक्रिया को प्रारम्भ किया। सर्वप्रथम आवश्यक था ग्राम पंचायत में जलवायु परिवर्तन संबंधी समस्याओं और मुद्दों की पहचान करना जिसके लिये सामुदायिक सहभागिता के साथ ग्राम सभा की बैठक एवं समूह केन्द्रित चर्चा के आयोजन के अतिरिक्त व्यक्तिगत चर्चा की गयी और आंकड़ों को एकत्र किया गया। आंकड़े एकत्र करने की प्रक्रिया को पंचायत में क्रियान्वित करने के लिये मैं स्थानीय सहयोगी संस्था गोरखपुर एनवायरमेंट एक्शन ग्रुप (जी.ई.ए.जी), गोरखपुर तथा एच०सी०एल० फाउंडेशन का तथा आंकड़ें एकत्र करने में हमारे सभी ग्रामवासियों के समर्थन और सक्रिय भागीदारी के लिये हृदय से धन्यवाद। हम सभी साथ मिलकर हमारी पंचायत में एक पर्यावरण अनुकूल वातावरण बनायेंगे जो न केवल हमारे प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करेगा अपितु प्रत्येक ग्रामीण के जीवन की समग्र गुणवत्ता को भी बढ़ायेगा।

इसके साथ ही मैं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश और तकनीकी सहयोगी पार्टनर वसुधा फाउंडेशन, नई दिल्ली, का भी आभारी हूँ जिन्होंने एकत्र किये गये आंकड़ों को कार्ययोजना का स्वरूप दिया तथा मार्गदर्शन एवं तकनीकी सहयोग प्रदान किया।

मैं सभी ग्रामवासियों अपनी पंचायत को क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने के लिये हाथ मिलाकर आगे बढ़ने का आग्रह करता हूँ। आइये हम सभी एक सकारात्मक बदलाव की ओर आगे बढ़ें और दूसरों के लिये उदाहरण स्थापित करें।

धन्यवाद !


छविनाथ मौर्य
* प्रधान *
ग्राम पंचायत-पुरवा
वि० खण्ड-कछौना (हरदोई)

श्री छविनाथ मौर्य

ग्राम पंचायत पुरवा

विषय सूची

1	कार्यकारी सारांश	1
2	ग्राम पंचायत की रूपरेखा	4
	▪ पुरवा ग्राम पंचायत एक नज़र में	4
	▪ जलवायु परिवर्तनशीलता प्रोफाइल	5
	▪ प्रमुख आर्थिक गतिविधियाँ	6
	▪ कार्यरत महिलाएं	7
	▪ कृषि	7
	▪ प्राकृतिक संसाधन	7
	▪ पुरवा में सुविधाएं	8
3	कार्बन फुटप्रिंट	9
4	व्यापक मुद्दे	10
5	प्रस्तावित संस्तुतियाँ	11
	1. सतत कृषि	12
	2. जल निकायों का प्रबंधन और कायाकल्प	17
	3. हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना	22
	4. सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	26
	5. स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच	30
	6. सतत और उन्नत गतिशीलता	39
	7. आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ावा देना	43
6	विचारार्थ अतिरिक्त संस्तुतियों की सूची	46
7	अनुकूलन, सह-लाभ और सतत विकास लक्ष्यों से जुड़ाव	52
8	आगे की राह	58
9	अनुलग्नक	59

चित्र

चित्र 1 : पुरवा ग्राम पंचायत, हरदोई जिले का भूमि उपयोग मानचित्र	5
चित्र 2 : पुरवा में वार्षिक औसत अधिकतम और न्यूनतम तापमान, 1990-2020	6
चित्र 3 : पुरवा में वार्षिक वर्षा, 1990-2020	6
चित्र 4 : पुरवा में पारिवारिक स्तर पर आय के स्रोत	6
चित्र 5 : पुरवा में घरेलू आय के आधार पर वितरण	6
चित्र 6 : पुरवा में राशन कार्ड धारक परिवार	6
चित्र 7 : विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में संलग्न महिलाओं की संख्या	7
चित्र 8 : पुरवा में केवल कृषि पर निर्भर परिवार	7
चित्र 9 : पुरवा में सकल फसल क्षेत्र का फसलवार वितरण	7
चित्र 10 : 2022 में पुरवा में विभिन्न गतिविधियों का कार्बन फुटप्रिंट	9
चित्र 11 : 2022 में पुरवा के कार्बन फुटप्रिंट में क्षेत्रों की हिस्सेदारी	9



कार्यकारी सारांश

उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले की पुरवा ग्राम पंचायत मध्य-मैदानी कृषि-जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आती है। पुरवा की क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना पंचायत स्तर पर जलवायु गतिविधियों को मजबूत करने और इसे 2035 तक क्लाइमेट स्मार्ट बनाने के उद्देश्य से तैयार की गई है। यह कार्ययोजना अतिरिक्त आय बढ़ाने, समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास, बेहतर स्वास्थ्य जैसे अन्य सह-लाभों के साथ-साथ लचीलापन बनाने, अनुकूली क्षमता बढ़ाने, कमियों को दूर करने, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में सहायता के लिए एक विशिष्ट ग्राम पंचायत रोडमैप प्रदान करती है।

यह कार्ययोजना उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा तैयार क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजनाओं के विकास के लिए निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के मसौदे को अपनाकर तैयार की गयी है। पुरवा ग्राम पंचायत के लिए जलवायु स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना (सीएसजीपीएपी) इस तरह से तैयार की गई है कि इसे पुरवा पंचायत की वर्तमान ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के साथ आसानी से और प्रभावी ढंग से एकीकृत किया जा सकता है।

कार्ययोजना¹ में मुख्य जनसांख्यिकीय और सामाजिक-आर्थिक पहलुओं, मध्य-मैदानी कृषि-जलवायु क्षेत्र से संबंधित प्रमुख मुद्दों, जलवायु परिवर्तनशीलता, पंचायत के कार्बन फुटप्रिंट विश्लेषण और प्राकृतिक संसाधनों की वर्तमान स्थिति को शामिल किया गया है। कार्ययोजना में क्षेत्र सर्वेक्षण, समूह केन्द्रित चर्चा और संबंधित सरकारी विभागों और एजेंसियों के माध्यम से एकत्र किए गए सुझाव व पंचायत के समुदाय के सदस्यों के सुझाव भी सम्मिलित हैं। इन सभी से पुरवा ग्राम पंचायत की आधारभूत रूपरेखा बनाने और मुख्य मुद्दों की पहचान करने में मदद मिली है।

पुरवा ग्राम पंचायत में दो राजस्व गांव और छह बस्तियां हैं, साथ ही क्षेत्र सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार ग्राम पंचायत में 809 घर हैं और कुल जनसंख्या 4,506² है। मुख्य आर्थिक गतिविधि कृषि है। एक आधारभूत मूल्यांकन से पता चलता है कि पुरवा ग्राम

दृष्टिकोण

प्राथमिक सर्वेक्षण उपकरणों में वृद्धि

सर्वेक्षण और प्राथमिक डेटा संग्रह: ग्राम प्रधान और समुदाय के सदस्यों के सहयोग तथा ग्रामीण सहभागी आंकलन (PRA) तकनीक, जिसमें समूह केन्द्रित चर्चा (FGD), गाँव का भ्रमण, सामाजिक एवं संसाधन मानचित्रण आदि सम्मिलित है, द्वारा सर्वेक्षण का कार्य किया गया।

डेटा विश्लेषण एवं योजना बनाना:

- ग्राम पंचायत प्रोफाइल बनाना: सर्वेक्षण प्रश्नावली पर प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर एक विस्तृत ग्राम पंचायत प्रोफाइल बनाई गई। इस प्रोफाइल में पुरवा की जनसांख्यिकी, जलवायु परिवर्तनशीलता, प्रमुख आर्थिक गतिविधियाँ, प्राकृतिक संसाधन और सुविधाएं शामिल हैं।
- प्रमुख मुद्दों को चिह्नित करना: सर्वेक्षण प्रश्नावली और HRVCA में प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर प्रमुख जलवायु, विकासात्मक और पर्यावरणीय मुद्दों की एक विस्तृत सूची बनाई गई।
- कार्बन फुटप्रिंट का अनुमान: पुरवा में प्रमुख गतिविधियों* के लिए कार्बन फुटप्रिंट का अनुमान किया गया।
- प्रस्तावित सुझाव/संस्तुतियाँ: चिह्नित किए गए मुद्दों के आधार पर पुरवा के लिए प्रस्ताव बनाए गए। इसमें पुरवा की विषय-वार अनुकूलन जरूरतों और शमन क्षमता का निर्धारण करना शामिल था।
- पहचाने गए पर्यावरण और जलवायु संबंधी मुद्दों के लिए सुझाव/संस्तुतियाँ विकसित की गई हैं। यह संस्तुतियाँ मध्य-मैदानी इलाकों की वर्तमान कृषि-जलवायु विशेषताओं को भी ध्यान में रखती हैं। इसके अतिरिक्त, पुरवा की क्षेत्रवार अनुकूलन आवश्यकताओं और शमन क्षमता का भी निर्धारण किया गया है।

*गतिविधियाँ: बिजली की खपत, घरेलू खाना पकाना, डीजल पंप के उपयोग से उत्पन्न उत्सर्जन, परिवहन, फसल अवशेष जलाना, पशुधन उत्सर्जन, उर्वरक उत्सर्जन, चावल की खेती और घरेलू अपशिष्ट जल।

1 ग्राम पंचायत कार्ययोजना में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, शमन और जोखिम सुभेद्यता और क्षमता आकलन (एचआरवीसीए) के पहलू शामिल हैं।

2 जनगणना 2011 आंकड़ों के अनुसार: कुल जनसंख्या-4,228

पंचायत का कार्बन फुटप्रिंट ~ 3,599 tCO₂e³ है।

ग्राम पंचायत पुरवा की मुख्य समस्याएं जिन पर तुरंत ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है इस प्रकार हैं:

- स्थायी कृषि पद्धतियों को अपनाकर कृषि क्षेत्र सतत बनाना
- जलभराव को कम करने और क्लाइमेट रेसिलिएंस बढ़ाने के लिए सड़क और जल निकासी के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना
- नवीकरणीय ऊर्जा (RE) और ऊर्जा दक्षता समाधानों जैसे सौर छत स्थापना, सौर-संचालित पंप, और घरों और सार्वजनिक उपयोगिताओं में ऊर्जा कुशल फिक्स्चर का उपयोग करना
- आजीविका विकल्पों में विविधता लाना और हरित नौकरियों के अवसर पैदा करना

संवेदनशील क्षेत्रों, समूह केन्द्रित चर्चाओं के दौरान उभर के आए मुद्दों तथा ग्राम पंचायत में संचालित गतिविधियों से उत्पन्न समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सुझावों को प्रस्तुत किया गया है। यह सुझाव कृषि, जल, स्वच्छ ऊर्जा, हरित स्थलों को बढ़ावा देना, सतत कचरा प्रबंधन, सतत आवागमन, और बेहतर आजीविका और हरित उद्यमिता के विषयों को समाहित करते हुए तैयार की गयी है। इन सुझावों के अंतर्गत चल रही गतिविधियों को 3 चरणों में विभाजित किया गया है जिसमें चरण I (2024-2027), चरण II (2027-2030) और चरण III (2030-2035) हैं। ग्राम पंचायतवासियों के विवेकानुसार चरणबद्ध लक्ष्यों को आगे वार्षिक लक्ष्यों में वितरित किया जा सकता है। इसके अलावा, चरणबद्ध लक्ष्य, संभावित लागत, केंद्रीय और राज्य योजनाओं के सहयोग से प्रस्तावित गतिविधियों के लिए वित्तपोषण के रास्ते भी बताए गए हैं।

पुरवा के लिए जलवायु स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना (सीएसजीपीएपी) इस प्रकार से तैयार की गई है कि इसे ग्राम पंचायत पुरवा की वर्तमान ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) के साथ आसानी से और प्रभावी रूप से एकीकृत किया जा सके।

क्लाइमेट स्मार्ट कार्ययोजना पुरवा की जीपीडीपी को निम्न आधार पर पूरित और संपूरित करेगी :

- a. वर्तमान विकास कार्यों और गतिविधियों में जलवायु दृष्टिकोण को सम्मिलित करेगी
- b. जीपीडीपी (GPDP) को सुझाई गई गतिविधियों के संग जलवायु परिवर्तन पर चल रहे राज्य और राष्ट्रीय कार्यक्रमों को जोड़ेगी

इस कार्ययोजना के अंतर्गत गतिविधियों और वार्षिक लक्ष्यों का अभिसरण पुरवा ग्राम पंचायत की जीपीडीपी की योजनाबद्ध गतिविधियों के साथ करना संभव है। जीपीडीपी के कार्यक्रमों के लिए आवंटित बजट के कुछ भाग का उपयोग सीएसएपी की अनुकूलन और रहत कार्यों के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (मनरेगा) जैसी योजनाओं के अंतर्गत तालाबों, नदियों में पानी के स्तर को बढ़ाने से ग्राम पंचायत को जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के लाभ भी प्राप्त होंगे। उसी प्रकार, ग्यारहवीं अनुसूची (जीपीडीपी का आधार) के "गैर-पारंपरिक ऊर्जा" विषय के अंतर्गत तय धनराशि को नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है।

इस योजना के क्रियान्वन के माध्यम से कम किए गए कुल उत्सर्जन का अनुमान ~7,038 tCO₂e प्रति वर्ष है और अगले 20-25 वर्षों में पृथक्करण क्षमता 1,91,200 tCO₂ तक बढ़ सकती है। कार्ययोजना के तीन चरणों में क्रियान्वन के लिए अनुमानित कुल लागत लगभग ₹64 करोड़ (11 वर्षों के लिए) है, जिसमें सामुदायिक निवेश, सार्वजनिक वित्त, निजी वित्त और संभावित सीएसआर(CSR) निधि सम्मिलित है। इस आवश्यक धनराशि का 30-35 प्रतिशत (लगभग ₹21 करोड़) केंद्रीय और राज्य योजनाओं/ मिशनो /कार्यक्रमों से प्राप्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, पंचायत-निजी-भागीदारी (PPP) समझौता ज्ञापन पुरवा ग्राम पंचायत, विभाग के बीच पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग और एचसीएल समुदाय प्रा. लिमिटेड ने ग्राम पंचायत में सीएसआर समर्थन का मार्ग प्रशस्त किया।

3 ग्राम पंचायत के भीतर बिजली की खपत के कारण स्कोप 2 उत्सर्जन शामिल है (यूपीपीसीएल से प्राप्त आंकड़ों और सीईए से ग्रिड उत्सर्जन कारक के अनुसार)

वर्ष 2035 तक क्लाइमेट स्मार्ट और सतत ग्राम पंचायत

जलवायु संबंधी गतिविधियों को विकास कार्यों में शामिल करना













क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ



पुरवा

पुरवा ग्राम पंचायत एक नजर में⁴

	स्थान	कछौना ब्लॉक, जिला हरदोई
	कुल क्षेत्रफल⁵	769 हेक्टेयर
	रचना	2 राजस्व गांव और 6 टोले
	कुल जनसंख्या⁶	4,506
	पुरुषों की संख्या	2,367
	महिलाओं की संख्या	2,139
	कुल परिवार⁷	809
	कुल सरकारी/पीआरआई (PRI) भवन	5 (1 पंचायत भवन, 3 प्राइमरी स्कूल और 1 जूनियर हाई स्कूल)
	प्राथमिक आर्थिक गतिविधि	कृषि
	भूमि उपयोग	कृषि भूमि - 431 हेक्टेयर वन भूमि - 8 हेक्टेयर सार्वजनिक भूमि - ~ 42.5 हेक्टेयर शेष भूमि - ~ 288 हेक्टेयर 20 निजी उद्यान

जल संसाधन:

22 तालाब,
1 नाला
20 कुएं

कृषि-जलवायु क्षेत्र

- मध्य-मैदानी
- जलवायु परिस्थितियाँ: मध्यम वर्षा के साथ गर्म ग्रीष्मकाल और ठंडी सर्दियाँ
- अधिकतम तापमान - 45 °C
- न्यूनतम तापमान- 5.5 C
- औसत वार्षिक वर्षा: 863 ममी
- मिट्टी: जलोढ़; pH सामान्य से थोड़ा क्षारीय और मध्यम मात्रा में कार्बनिक पदार्थ
- उपयुक्त फसलें: गेहूँ और सब्जियाँ

**जिले का समग्र संवेदनशीलता सूचकांक⁸**

उच्च

जिले की क्षेत्रीय संवेदनशीलता

- जल भेद्यता सूचकांक: बहुत अधिक
- ग्रामीण विकास भेद्यता सूचकांक: बहुत अधिक
- वनभेद्यता सूचकांक: बहुत अधिक
- कृषि भेद्यता सूचकांक: उच्च
- आपदा प्रबंधन भेद्यता सूचकांक: उच्च
- स्वास्थ्य भेद्यता सूचकांक: उच्च
- ऊर्जा भेद्यता सूचकांक: उच्च




4 कार्ययोजना की तैयारी के लिए किए गए फ़ील्ड सर्वेक्षण का डेटा (फरवरी, 2023)

5 इसरो के भुवन (BHUVAN) पंचायत पोर्टल का डेटा

6 प्रारंभिक क्षेत्रीय सर्वेक्षण नोट्स कुल जनसंख्या- 5,265; पुरुष-2,879; महिलाएँ-2,386 जनगणना 2011 के डेटा नोट्स: कुल जनसंख्या-4,228; पुरुष- 2,312; महिलाएँ- 1,916

7 741 पक्के मकान और 68 कच्चे मकान (मिट्टी, खपरैल वाले)

8 UP SAPCC 2.0



जलवायु परिवर्तनशीलता प्रोफाइल

जलवायु परिवर्तनशीलता - तापमान और वर्षा - पर भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के आंकड़े⁹ बताते हैं कि 1990 और 2020 के बीच क्षेत्र में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में वृद्धि हुई है (चित्र 2)। 1990 की तुलना में 2020 में वार्षिक औसत अधिकतम तापमान 0.51 डग्री सेल्सियस और औसत वार्षिक न्यूनतम तापमान 0.47 डग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दिखी है। इसी समय सीमा के दौरान, वार्षिक वर्षा में भी बढ़ने की प्रवृत्ति दिखाई देती है (चित्र 3 देखें), जिसकी पुष्टि जलवायु धारणा सर्वेक्षण से होती है, जिसमें पता चला है कि बारिश के दिनों की संख्या में कमी आई है, लेकिन उन दिनों में वर्षा की तीव्रता में काफी वृद्धि हुई है। हालाँकि, आईएमडी आंकड़ों से पंचायत स्तर की तापमान परिवर्तनशीलता का विवरण मुश्किल है और इसके अतिरिक्त, ऐसे दिन भी हैं जिनके लिए डेटा उपलब्ध नहीं था।

विश्व मौसम विज्ञान संगठन की एक नवीन रिपोर्ट बताती है कि 1991 से 2023 के बीच समग्र रूप से एशिया वैश्विक भूमि और महासागर औसत से अधिक तेजी से गर्म हुआ है और 2010-2020¹⁰ के दशक में दक्षिण एशिया के बड़े हिस्से में गर्म दिनों में स्पष्ट वृद्धि हुई है। इसी प्रकार के निष्कर्षों की पुष्टि आईपीसीसी¹¹ व पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार¹² द्वारा भी की गई है।

इसके अलावा, क्षेत्र सर्वेक्षण और समूह केन्द्रित चर्चा से मौसम परिवर्तन पर समुदायों की धारणा से पता चलता है कि 2010-2020 के दशक में, ग्राम पंचायत में गर्मी के दिनों की संख्या में औसतन 20 दिनों की वृद्धि देखी गई है। शीतकाल के दिनों की संख्या लगभग 30 दिन से कम हो गई है। इसके अलावा, बारिश के दिनों की संख्या में भी लगभग 30 दिनों की कमी आई है (मानसून की देर से शुरुआत)।


ग्राम पंचायत के लिए किए गए जलवायु परिवर्तनशीलता विश्लेषण में प्रचलित जलवायु परिवर्तनशीलता के संतुलित दृष्टिकोण को सामने लाने के लिए आईएमडी (IMD) से प्राप्त आंकड़ों के साथ-साथ पंचायत में सामुदायिक धारणा दोनों को ध्यान में रखा गया।

9 दैनिक तापमान व वर्षा का डाटा हरदोई स्थित भारतीय मौसम विभाग के केंद्र से लिया गया है


10 "<https://library.wmo.int/records/item/68890-state-of-the-climate-in-asia-2023>" एशिया में जलवायु की स्थिति 2023 (wmo.int)

11 "<https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/>" AR6 संश्लेषण रिपोर्ट: जलवायु परिवर्तन 2023 (ipcc.ch)

12 "<https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-15-4327-2>" भारतीय क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन का आकलन: पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस), भारत सरकार की एक रिपोर्ट | स्प्रिंगरलिक



चित्र 2: पुरवा में वार्षिक औसत अधिकतम और न्यूनतम तापमान, 1990-2020




चित्र 3: पुरवा में वार्षिक वर्षा, 1990-2020

प्रमुख आर्थिक गतिविधियाँ


ग्राम पंचायत में पारिवारिक आय का प्राथमिक स्रोत कृषि है। पुरवा में ~58% परिवार कृषि पर निर्भर हैं। लगभग 13% परिवार गैर-कृषि मजदूरी पर निर्भर हैं। कई परिवार कला/हस्तशिल्प (सिलाई और कढ़ाई), पशुपालन, सेवा क्षेत्र में नौकरियों और स्थानीय दुकानों चलाने में भी संलग्न हैं (चित्र 4 देखें)।

केंद्रीय समूह परिचर्या से प्राप्त पारिवारिक आय के अनुमान से पता चलता है कि 30% परिवारों की आय 50,000 रुपये प्रतिवर्ष से कम है। कुछ परिवार (~1%) 5,00,000 रुपये प्रतिवर्ष से अधिक कमाते हैं (चित्र 5 देखें)।




चित्र 4: पुरवा में पारिवारिक स्तर पर आय के स्रोत

सर्वेक्षण के समय, 168 परिवार (~21%) गरीबी रेखा (BPL) के नीचे थे। राशन कार्ड के डेटा से पता चलता है कि लगभग 95% परिवार सार्वजनिक वितरण योजना का लाभ उठा रहे हैं और उनके पास राशन कार्ड हैं, इनमें से 168 परिवारों के पास अंत्योदय कार्ड हैं¹³ (चित्र 6 देखें)।



चित्र 5: पुरवा में घरेलू आय के आधार पर वितरण



चित्र 6: पुरवा में राशन कार्ड धारक परिवार

13 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पोर्टल (https://nfsa.gov.in/portal/Ration_Card_State_Portals_AA)

कार्यरत महिलाएं

पुरवा में अधिकांश महिलाएं कला/हस्तशिल्प (सिलाई-कढ़ाई) के कार्यों से जुड़ी हैं। कई महिलाएँ कृषि और पशुपालन से भी जुड़ी हैं। ग्राम पंचायत में 46 ऐसे परिवार हैं, जिनकी मुखिया¹⁴ महिलाएँ हैं। यह ग्राम पंचायत में कुल परिवारों का लगभग 6% है। इसके अतिरिक्त, ग्राम पंचायत में 25 स्वयं सहायता समूह हैं, जो बकरी पालन, सिलाई जैसी विभिन्न गतिविधियों से जुड़े हैं। क्षेत्रीय सर्वेक्षणों में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि रोजगार के और अधिक अवसर बनाने की आवश्यकता है।


कृषि

पुरवा में आधे से अधिक परिवार अपनी आय (58.11%) के लिए कृषि पर निर्भर हैं व विभिन्न तरीकों¹⁵ से कृषि से जुड़े हुए हैं (चित्र 8 देखें)।


पुरवा में कुल बुवाई क्षेत्र लगभग 431 हेक्टेयर है और सकल फसल क्षेत्र लगभग 862 हेक्टेयर है। चित्र 9 में पुरवा में कुल फसल क्षेत्र का फसल-वार वितरण दिया गया है। उगाई जाने वाली प्रमुख रबी फसलें गेहूँ (~12,780 क्विंटल प्रतिवर्ष), आलू (~11,050 क्विंटल प्रतिवर्ष) और सरसों (~1280 क्विंटल प्रतिवर्ष) हैं। यहां उगाई जाने वाली प्रमुख रबी फसलें धान (~19,950 क्विंटल प्रतिवर्ष), मक्का (~4047 क्विंटल प्रतिवर्ष) और ज्वार (~540 क्विंटल प्रतिवर्ष) हैं।

पुरवा में नहर, वर्षा जल, तालाब/झीलें सिंचाई के मुख्य स्रोत हैं। सिंचाई के लिए मुख्य रूप से डीजल पंपों का उपयोग किया जाता है। ग्राम पंचायत में कोई सोलर पंप उपयोग में नहीं है।


ग्राम पंचायत के लगभग 7% परिवार पशुपालन से जुड़े हुए हैं। कुल पशुधन जनसंख्या 275 हैं (82 गायें – हाइब्रिड और देशी दोनों; 101 भैंस - संकर और देशी दोनों; 50 बकरियाँ; और 42 भेड़ें)



चित्र 8: पुरवा में केवल कृषि पर निर्भर परिवार



चित्र 7: विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में संलग्न महिलाओं की संख्या



चित्र 9: पुरवा में सकल फसल क्षेत्र का फसलवार वितरण

प्राकृतिक संसाधन

सर्वेक्षण के अनुसार, ग्राम पंचायत की सीमा के अंदर 8 हेक्टेयर वन भूमि है। ग्राम पंचायत के पास लगभग 42.5 हेक्टेयर सार्वजनिक भूमि भी है। पुरवा में 22 जल स्रोत, 1 नाला और 20 कुएँ हैं। पुरवा में फलों के 20 निजी बाग (आम, अमरूद आदि) हैं। यहाँ बांस और नीलगिरी के वृक्ष भी हैं।

14 महिला प्रधान परिवार वे घर हैं जहाँ महिलाएँ एकमात्र/मुख्य कमाने वाली होती हैं।

15 यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि कई परिवार एक से अधिक तरीकों से कृषि में संलग्न हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, छोटे भूमि मालिक भी बड़े खेतों पर दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करते हैं। इसके अतिरिक्त, बड़ी भूमि के मालिक किसान भी अनुबंध खेती करते हैं।

पुरवा में सुविधाएं

विद्युत और एलपीजी

- बिजली की पहुंच: 90%
- एलपीजी (LPG) का उपयोग करने वाले परिवार: 89.75%



पानी

- घरेलू उपयोग और ग्राम पंचायत स्तर की आपूर्ति के लिए पानी का मुख्य स्रोत - भूजल और सामुदायिक जल टैंक (हर घर नल से जल - HCL द्वारा प्रदाय)
- 37% घरों में पाइप से जलापूर्ति
- 68 इंडिया मार्क हैंडपंप



कचरा प्रबंधन

- खुले में शौच मुक्त (ODF) का दर्जा प्राप्त
- घरेलू शौचालय: 100%



गतिशीलता और बाजार उपलब्धता

- राष्ट्रीय राजमार्ग 25- 4 किमी
- निकटतम रेलवे स्टेशन (बघौली) - 3 किमी
- निकटतम बस स्टॉप - 7 किमी
- निकटतम डाकघर (बड़वाह) - 1 कि.मी
- निकटतम बैंक (बरना सरसंड) - 1.5 किमी
- निकटतम कृषि बाज़ार (कृषि उत्पादन मण्डी समिति) - 35 कि.मी



शैक्षणिक संस्थान-


- 3 प्राइमरी स्कूल
- 1 हायर स्कूल
- 2 निजी स्कूल



ग्रामीण क्षेत्रों से कार्बन फुटप्रिंट (अर्थात, ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन) महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इस अभ्यास का उद्देश्य ग्राम पंचायत की पूरी आधारभूत रूपरेखा विकसित करना था। इस बात को ध्यान देना आवश्यक है कि इस योजना का उद्देश्य एक कार्बन न्यूट्रल ग्राम पंचायत नहीं, बल्कि एक क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकसित करना है। हालांकि, सुझावों में उत्सर्जन में कमी के लाभ होंगे जो शायद ग्राम पंचायत को कार्बन न्यूट्रल या कार्बन नेगेटिव बना सकते हैं। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, इस अभ्यास में जीएचजी प्रक्षेपण सम्मिलित नहीं हैं।


इसके अतिरिक्त, कार्बन फुटप्रिंट LiFE मिशन के सिद्धांतों के अनुरूप सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए सुझाव प्रदान करने में भी सहायता करता है। कुल मिलाकर, 2022 में, ग्राम पंचायत पुरवा में विभिन्न गतिविधियों की श्रृंखला से लगभग 3,599 टन कार्बन डाइऑक्साइड समकक्ष (tCO₂e) उत्सर्जित किया (चित्र 10 देखें)।

कृषि, ऊर्जा और अपशिष्ट क्षेत्रों की गतिविधियों ने पुरवा के कार्बन फुटप्रिंट में योगदान दिया। कृषि क्षेत्र के उत्सर्जन में धान की खेती, कृषि क्षेत्रों में उर्वरक का उपयोग, पशुधन से उत्सर्जन और पशु अपशिष्ट का खाद प्रबंधन और फसल अवशेष जलाना सम्मिलित है। ऊर्जा क्षेत्र का उत्सर्जन बिजली की खपत¹⁶, खाना पकाने के लिए ईंधन की लकड़ी और एलपीजी (रसोई गैस) के दहन, सिंचाई के लिए डीजल पंपों का उपयोग, पावर बैकअप के लिए जनरेटर का उपयोग और परिवहन के विभिन्न साधनों में जीवाश्म ईंधन (पेट्रोल/डीजल) के उपयोग के कारण होता है। घरेलू अपशिष्ट जल के कारण होने वाले उत्सर्जन को अपशिष्ट क्षेत्र में शामिल किया गया है।



चित्र 10: 2022 में पुरवा में विभिन्न गतिविधियों का कार्बन फुटप्रिंट

पुरवा ग्राम पंचायत के कुल उत्सर्जन में कृषि क्षेत्र से होने वाला उत्सर्जन 56 प्रतिशत है, जिसमें धान की खेती (~1,466 tCO₂e) और उर्वरक का प्रयोग (~321 tCO₂e) उत्सर्जन के प्रमुख स्रोत हैं। कुल उत्सर्जन में ऊर्जा क्षेत्र का हिस्सा 39 प्रतिशत था। सेक्टर के अंदर, आवासीय खाना पकाना (~522 tCO₂e) प्रमुख उत्सर्जक था, इसके बाद परिवहन श्रेणी (~520 tCO₂e), डीजल पंप सेट (~189 tCO₂e), बिजली की खपत (~128 tCO₂e) और आवासीय जनरेटर (~57 tCO₂e) से उत्सर्जन थे। कुल उत्सर्जन में अपशिष्ट क्षेत्र का हिस्सा 5 प्रतिशत था।



चित्र 11: 2022 में पुरवा के कार्बन फुटप्रिंट में क्षेत्रों की हिस्सेदारी

¹⁶ बिजली की खपत के कारण होने वाले उत्सर्जन को स्कोप 2 उत्सर्जन के रूप में वर्गीकृत किया गया है, क्योंकि बिजली उत्पादन के लिए ईंधन (कोयला) का दहन ग्राम पंचायत की सीमा के बाहर होता है।

ग्राम पंचायत की आधारभूत रेखा/बेसलाइन को स्थापित करने के लिए एकत्रित आंकड़ों और किए गए विश्लेषण, कृषि-जलवायु क्षेत्र की अंतर्निहित विशेषताओं, जिसमें पंचायत स्थित है, के साथ-साथ क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान समुदाय के सदस्यों तथा समूह केन्द्रित चर्चा से प्राप्त जानकारी के आधार पर व्यापक मुद्दों की पहचान की गई। जहां भी संभव हो सका है, इस जानकारी की पुष्टि उपलब्ध सरकारी डेटा स्रोतों से भी की गई है। हालाँकि, कुछ मुद्दे पूर्ण रूप से समुदाय की जानकारी पर आधारित हैं क्योंकि इनके लिए पंचायत स्तर के आंकड़ें पुष्टि के लिए उपलब्ध नहीं थे। पंचायत में चिन्हित गए मुद्दों का सारांश नीचे दिया गया है। इसके अतिरिक्त, विस्तृत मुद्दे संबंधित विषयों के अनुशंसा अनुभाग/सुझावों में सूचीबद्ध किए गए हैं।

- मौसमी अवधि में बदलाव और अनियमित वर्षा से ग्राम पंचायत में अन्य प्रभावों के अलावा बुआई का समय, कटाई का समय और फसलों की सिंचाई की जरूरतें प्रभावित हो रही हैं।
- जुलाई/अगस्त में बार-बार सूखा पड़ना और अगस्त से अक्टूबर में जलभराव की समस्या होना
- अस्थायी कृषि और पशुपालन प्रथाएँ
- सीमित स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियाँ
- जल निकायों सहित प्राकृतिक संसाधनों के रख-रखाव में कमी
- आवासीय, कृषि और परिवहन आवश्यकताओं के लिए जीवाश्म ईंधन और पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता
- सीमित अंतर और अंतर ग्राम कनेक्टिविटी/सीमित पैरा-ट्रांजिट
- जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के बारे में जागरूकता का अभाव
- स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन पर केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता का अभाव

प्रत्येक विषयगत मुद्दे में कई गतिविधियाँ हैं, जिसमें शमन और अनुकूलन दोनों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सभी गतिविधियों को तीन चरणों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक चरण के लिए लक्ष्य और अनुमानित लागत भी सुझाई गयी है¹⁷ (जितना संभव हो): चरण - I (2024-25 से 2026-2027); चरण - II (2027-28 से 2029-30); और चरण - III (2030-31 से 2034-35)।

हर एक चरण के लक्ष्यों को वार्षिक लक्ष्यों में विभाजित किया गया है ताकि गतिविधियों का प्रभावकारी अनुश्रवण और क्रियान्वयन हो सके। वार्षिक लक्ष्यों को विकसित करने का टेम्पलेट "क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना की तैयारी हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी/SOP)" में उपलब्ध है। मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) चरण-दर-चरण पद्धति है जिसका उपयोग ग्राम प्रधान, समुदाय के सदस्य या कोई और हितधारक अपने ग्राम पंचायत के लिए क्लाइमेट स्मार्ट कार्ययोजना तैयार करने के लिए कर सकता है।

इसके लिए आवश्यक धनराशि की व्यवस्था वार्षिक बजट द्वारा केन्द्रीय या राज्य योजनाओं, ग्राम पंचायत की विभिन्न टाइड और अनटाइड निधियों या कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व में जुटी कंपनियों के माध्यम से होगी। निम्न भाग में इससे संबंधित विस्तारित गतिविधियाँ प्रस्तुत हैं:

कार्ययोजना में प्रस्तावित सुझाव निम्नलिखित विषयों पर आधारित हैं :

1. सतत कृषि
2. जल निकायों का प्रबंधन और कायाकल्प
3. हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना
4. सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
5. स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच
6. सतत और उन्नत गतिशीलता
7. आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ावा देना

इसके अतिरिक्त, सुझावों का हिस्सा न बनते हुए, पंचायतों द्वारा विचार के लिए संभावित प्रयासों की एक सूची बनाई गई है जो भारत के कुछ हिस्सों में सफलतापूर्वक क्रियान्वित की गई हैं और ग्राम पंचायत में भी दोहराई जा सकती हैं। हालांकि, इन प्रयासों को प्रदेश द्वारा संचालित किसी योजनाओं या कार्यक्रमों में सम्मिलित नहीं किया गया है। इस कारण इन प्रयासों के हेतु वित्त कि उपलब्धता समुदायों द्वारा अथवा सीएसआर व निजी स्रोतों के द्वारा की जा सकती है। इस कारण इन्हें मुख्य अनुशंसाओं में सम्मिलित नहीं किया गया है।

¹⁷ लागत का अनुमान निम्नलिखित के आधार पर लगाया गया है, जैसे: ग्राम पंचायत के मुख्य सदस्यों से प्राप्त जानकारियाँ, या प्रासंगिक योजनाओं और नीतियों के आधार पर अनुमानित लागत, या आवश्यक मदी/वस्तुओं की प्रति इकाई की अनुमानित लागत, या विभिन्न विभागों की दरों की अनुसूची।

1 सतत कृषि



संदर्भ और मुद्दे¹⁸

- पुरवा ग्राम पंचायत में कृषि का कुल क्षेत्रफल 431 हेक्टेयर है और सकल फसल क्षेत्र लगभग 862 हेक्टेयर है।
- ग्राम पंचायत में 58% परिवार कृषि पर निर्भर हैं और ~7% परिवार पशुपालन पर निर्भर हैं।
- यहां उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें गेहूं (345 हेक्टेयर), धान (323 हेक्टेयर), मक्का (86 हेक्टेयर), सरसों (52 हेक्टेयर), आलू (34 हेक्टेयर) और ज्वार (22 हेक्टेयर) हैं। कृषि के अंतर्गत कुल भूमि का 5-10% का उपयोग भिंडी, तोरई, बैंगन, बाजरा, मौसमी सब्जियों जैसी सब्जियों की खेती के लिए भी किया जाता है।
- पुरवा में हाल के दिनों में मौसमी अवधि में बदलाव, वर्षा में बदलाव, सूखे की घटनाओं में वृद्धि देखी गई है; 2018 से 2022 के वर्षों में जुलाई-अगस्त के महीनों में ग्राम पंचायत में सूखा जैसी परिस्थिति हुई है। इन परिवर्तनों के परिणामस्वरूप व मानसून के देर से आने के कारण धान की बुआई का समय जून की शुरुआत से अगस्त तक स्थानांतरित हो गया है। इसी तरह, सर्दी देर से शुरू होने के कारण गेहूं की बुआई अब अक्टूबर-नवंबर से नवंबर-दिसंबर में स्थानांतरित हो गई है।
- वर्ष 2021 और 2022 में, अनियमित वर्षा, भीषण गर्मी के मौसम के साथ-साथ बीमारियों के कारण फसल (धान और सरसों) का नुकसान हुआ है। नुकसान की राशि लगभग 680 क्विंटल उपज या लगभग 5,30,400 रुपये (संबंधित वर्षों के प्रचलित एमएसपी द्वारा समर्थित) है।
- पुरवा में किसान प्रति वर्ष ~173 टन यूरिया और अन्य नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों का उपयोग करते हैं जिससे प्रति वर्ष ~321 टन CO₂e का ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन होता है। किसान कीटनाशकों और खरपतवारनाशी जैसे अन्य रासायनिक आदानों पर भी निर्भर हैं।
- पुरवा में प्राकृतिक खेती नहीं की जाती।
- क्षेत्रीय सर्वेक्षणों में बताया गया है कि कृषि जल का उपयोग बढ़ गया है, जिसमें जल संरक्षण और बेहतर सिंचाई तकनीकों की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।

उपरोक्त बिंदु अनुकूली क्षमता बढ़ाने के लिए टिकाऊ और सूखा प्रतिरोधी कृषि पद्धतियों को अपनाने की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं।

¹⁸ जैसा कि क्षेत्र सर्वेक्षण और समूह केन्द्रित चर्चा के दौरान समुदाय से समझा गया और प्रासंगिक स्रोत द्वारा पुष्टि की गई



जलवायु परिवर्तन सहनशीलता विकसित करना

चरण

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट गतिविधियां

I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
<ol style="list-style-type: none"> ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर सिंचाई जैसी सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों को बढ़ावा देना और अपनाना कृषि क्षेत्रों के चारों ओर पेड़ों से मेड़बंधी कृषि तालाबों का निर्माण चावल की कम पानी की ज़रूरत वाली किस्म को अपनाना और ड्राई डायरेक्ट-सीडेड राइस को अपनाना गेहूं की कम पानी की ज़रूरत वाली किस्म को अपनाना किसान तिल, उड़द की खेती¹⁹ कर सकते हैं। किसानों को फसल क्षति से बचाने के लिए विभिन्न बीमा कार्यक्रमों के बारे में जागरूक करना 	<ol style="list-style-type: none"> सूक्ष्म सिंचाई का विस्तार मेड़बंधी का विस्तार अतिरिक्त कृषि तालाबों का निर्माण कम पानी की ज़रूरत वाली किस्में अपनाने वाली चरण 1 की गतिविधियों का विस्तार बाजरा और दलहन जैसी कम पानी वाली फसलों के साथ फसल चक्र और मिश्रित फसल किसानों को फसल के नुकसान से बचाने के लिए विभिन्न बीमा कार्यक्रमों का लाभ उठाने के लिए जागरूक करना और सहायता प्रदान करना 	<ol style="list-style-type: none"> सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों का विस्तार मेड़ों का रख-रखाव एवं वृक्षारोपण अतिरिक्त वृक्षारोपण (आवश्यकतानुसार) वर्तमान कृषि तालाबों का रख-रखाव चावल और गेहूं की कम पानी की ज़रूरत वाली किस्मों को अपनाना बाजरा और दलहन जैसी कम पानी वाली फसलों को अपनाना

लक्ष्य

<ol style="list-style-type: none"> ~26 हेक्टेयर में सूक्ष्म सिंचाई सरसों एवं आलू के अंतर्गत 30% कृषि भूमि कृषि भूमि के लगभग ~215 (50%) बांध 300 m³ क्षमता वाले 5 कृषि तालाबों का निर्माण कम पानी वाली किस्मों को अपनाने के बारे में जानकारी का प्रसार और प्रशिक्षण 	<ol style="list-style-type: none"> ~34 हेक्टेयर में सूक्ष्म सिंचाई सरसों एवं आलू के अंतर्गत 70% कृषि भूमि लगभग 431 हेक्टेयर (100% कृषि भूमि) में बांधों का निर्माण आवश्यकता के आधार पर अतिरिक्त कृषि तालाबों का निर्माण 123 हेक्टेयर (70%) कृषि भूमि की सूक्ष्म सिंचाई 	<ol style="list-style-type: none"> 26 हेक्टेयर में सूक्ष्म सिंचाई सरसों एवं आलू के अंतर्गत 100% कृषि भूमि बांधों और खेत तालाबों का रखरखाव
---	--	---

अनुमानित लागत

<ol style="list-style-type: none"> सूक्ष्म सिंचाई: ₹26,00,000 बांध निर्माण: लगभग ₹2,20,000 कृषि तालाब: ₹4,50,000 <p>कुल लागत: लगभग ₹32,70,000</p>	<ol style="list-style-type: none"> सूक्ष्म सिंचाई - ₹34,00,000 बांध निर्माण लागत लगभग ₹2,20,000 कृषि तालाब- आवश्यकतानुसार लागत <p>कुल लागत: लगभग ₹36,20,000</p>	<p>सूक्ष्म सिंचाई: लगभग ₹26,00,000</p>
--	--	--

19 स्रोत: जिला: हरदोई के लिए कृषि आकस्मिकता योजना (<https://kvk.icar.gov.in/Contingencyplan/Hardoi8f1ed8f6-8284-4f56-b674-8142213833c0.pdf>)



सतत पशुधन प्रबंधन

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट गतिविधियां

लक्ष्य

अनुमानित
लागत

	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट गतिविधियां	<ol style="list-style-type: none"> पशुधन प्रबंधन के लिए पशुपालन में लगे परिवारों की जागरूकता बढ़ाना और क्षमता निर्माण करना पशुधन स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए समुदाय के सदस्यों को पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता/ पैरा-पशु चिकित्सक/पैरा-वेट के रूप में प्रशिक्षित करना पशुधन से मीथेन उत्सर्जन को कम करने हेतु अनुभाग "अतिरिक्त संस्तुतियाँ" से संदर्भ लें। 	<ol style="list-style-type: none"> प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण गतिविधियों का विस्तार करना आवश्यकता के अनुसार पैरा-वेट के और अधिक प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन करना 	<ol style="list-style-type: none"> प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण गतिविधियों का विस्तार करना आवश्यकता के अनुसार पैरा-वेट के और अधिक प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन करना
लक्ष्य	<ol style="list-style-type: none"> पशुपालन में लगे परिवारों के लिए स्थायी पशुपालन गतिविधियों, बीमारी की रोकथाम और पशुधन स्वास्थ्य के प्रबंधन पर कार्यशालाएँ आयोजित करना 2 पैरा-वेट्स²⁰ के लिए प्रशिक्षण का आयोजन 	<ol style="list-style-type: none"> रोग की रोकथाम और स्थायी पशुपालन गतिविधियों जैसे विषयों पर अतिरिक्त कार्यशालाओं का आयोजन करना पशुधन के स्वास्थ्य लिए समुदाय का निरंतर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण 	<ol style="list-style-type: none"> रोग की रोकथाम और स्थायी पशुपालन गतिविधियों जैसे विषयों पर अतिरिक्त कार्यशालाओं का आयोजन करना पशुधन के स्वास्थ्य लिए समुदाय का निरंतर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण
अनुमानित लागत	कार्यशाला और पैरा-वेट प्रशिक्षण की लागत: आवश्यकता के अनुसार	आवश्यकता के अनुसार	आवश्यकता के अनुसार

20 पंचायत की आवश्यकता के आधार पर समुदाय-आधारित पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना



प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को अपनाना

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट गतिविधियां

I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
<p>1. सतत कृषि पद्धतियों और कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, जैसे जैव-उर्वरक/ प्राकृतिक खाद, जैव-कीटनाशकों का उपयोग करना।</p> <ul style="list-style-type: none"> • प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन • जैविक कृषि प्रमाणीकरण • मार्किट लिंकेज स्थापित करने के लिए पहल 	चरण I गतिविधियों का विस्तार	पिछले चरण की गतिविधियों का विस्तार

लक्ष्य

64 हेक्टेयर (15%) भूमि को प्राकृतिक कृषि भूमि में बदलना	108 हेक्टेयर (40%) भूमि को प्राकृतिक कृषि भूमि में बदलना	431 हेक्टेयर (100%) भूमि को प्राकृतिक कृषि भूमि में बदलना
---	--	---

अनुमानित लागत

<p>1. प्रशिक्षण की लागत (एक बार) ₹60,000</p> <p>2. सार्वजनिक भूमि का प्राकृतिक भूमि में परिवर्तन की लागत ₹1,58,74,400</p> <p>कुल लागत : लगभग ₹1,59,34,400</p>	<p>1. प्रशिक्षण की लागत (एक बार) ₹60,000</p> <p>2. सार्वजनिक भूमि की प्राकृतिक भूमि में परिवर्तन लागत ₹2,66,86,800</p> <p>कुल लागत : लगभग ₹2,67,46,800</p>	<p>1. प्रशिक्षण की लागत (एक बार) ₹60,000</p> <p>2. सार्वजनिक भूमि की प्राकृतिक भूमि में परिवर्तन लागत ₹6,39,98,900</p> <p>कुल लागत : लगभग ₹6,40,58,900</p>
---	--	--

वर्तमान योजनाएँ और कार्यक्रम

- सूखा प्रबंधन और सूखा रोधी प्रबंधन को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY), उ.प्र. बाजरा पुनरुद्धार कार्यक्रम, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, मौसम आधारित फसल बीमा योजना, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा योजना से धन और सब्सिडी के माध्यम से सहयोग किया जा सकता है।
- सूखारोधी गतिविधियों- नर्सरी और बीज बैंक के निर्माण को मनरेगा के माध्यम से जोड़ा जा सकता है।
- जैविक कृषि को विभिन्न योजनाओं जैसे कि पारंपरिक कृषि विकास योजना (PKVY) और मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना के अंतर्गत प्रदान की गई धनराशि और सब्सिडी के माध्यम से उपलब्ध करवाया जा सकता है।
- किसानों के लिए तकनीकी और जानकारी सहायता के साथ-साथ जैविक कृषि प्रदर्शनों को राज्य और राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्रों (NCOF और RCOF), कृषि विज्ञान केंद्र (KVK), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के निकटतम जैविक कृषि सेल के माध्यम से उपलब्ध करवाया जा सकता है।
- तकनीकी अपग्रेड और सतत कृषि के लिए किसानों और एफपीओ को प्रशिक्षण और क्षमता बढ़ाने में सहायता के लिए कृषि तकनीकी प्रबंधन एजेंसी (ATMA) से संपर्क किया जा सकता है।
- कृषि रक्षा योजना, कई पारिस्थितिक संसाधनों द्वारा कीट नियंत्रण में किसानों की सहायता करती है और जैव-रसायनों के उपयोग को बढ़ावा देती है।
- राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, उत्तर प्रदेश पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियोजन योजना और राष्ट्रीय गोकुल मिशन जैसी राज्य योजनाओं के माध्यम से पैरा वेट प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण का लाभ उठाया जा सकता है।

वित्त के अन्य स्रोत

- सेट-अप और संचालन (“स्वच्छ, सतत, सस्ती और विश्वसनीय ऊर्जा की उपलब्धता” अनुभाग में दी गई योजनाओं के अनुरूप)
 - » फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने में मदद के लिए कोल्ड-स्टोरेज सुविधा
- जागरूकता बढ़ाना: जैविक कृषि के तरीकों और लाभों, आवश्यक इनपुट, प्रदर्शन, सूचना और मार्गदर्शन के संबंधित स्रोतों, पंजीकरण प्रक्रिया, सत्यापन और प्रमाणन प्रक्रिया, बाजार लिंकेज और मौसम-आधारित सूचना सेवाओं आदि पर जानकारी।
- किसानों, एफ पी ओ, स्वयं सहायता समूह और अन्य संस्थाओं के सदस्यों को बीमा, विभिन्न योजनाओं के लाभों के साथ - साथ जैविक उर्वरकों को अपनाने, जैविक कृषि में परिवर्तन, कम पानी वाली कृषि और सतत पशुधन प्रबंधन सहित जलवायु स्मार्ट कृषि अभ्यासों को लागू करने के तकनीकी पहलुओं का लाभ उठाने के लिए मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और क्षमता वृद्धि करना।
- इसके अलावा, पुरवा में सतत कृषि में संलग्न किसानों, एफपीओ, स्वयं सहायता समूह और अन्य संस्थाओं के सदस्यों की क्षमता वृद्धि क्षेत्र के तकनीकी विशेषज्ञों और संस्थानों, स्थानीय स्वयं सेवी संस्थाएं, सीएसओ और कॉर्पोरेट्स के सहयोग से किया जा सकता है।

प्रमुख विभाग

- कृषि विभाग
- भूमि संसाधन विभाग
- जल शक्ति विभाग
- पशुपालन विभाग
- उत्तर प्रदेश न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (UPNEDA)
- जैविक कृषि के लिए क्षेत्रीय केंद्र
- कृषि विज्ञान केन्द्र, हरदोई

2

जल निकायों का प्रबंधन और कायाकल्प



संदर्भ और मुद्दे²¹

- पुरवा ग्राम पंचायत में पानी का प्राथमिक स्रोत भूजल है। लगभग 400 घरों में पानी की टंकी से पाइप से पानी की आपूर्ति होती है।
- 2018 से 2022 के बीच जुलाई/अगस्त के महीनों में लगातार सूखे की घटनाएं सामने आई हैं।
- ग्राम पंचायत में 22 जल निकाय और 20 कुएं हैं। इन जल निकायों और कुओं का रख-रखाव खराब तरीके से किया जाता है और ये गाद, मलबे, खरपतवार और प्लास्टिक से भरे होते हैं। इससे पानी की गुणवत्ता प्रभावित होती है और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा होती हैं।
- पुरवा ग्राम पंचायत में जलभराव एक प्रमुख चिंता का विषय है, खासकर मानसून के मौसम में - अगस्त से अक्टूबर तक। यह अकुशल और खराब रख-रखाव वाले जल निकासी बुनियादी ढांचे के कारण और भी गंभीर हो गया है।
- पुरवा ग्राम पंचायत सिंचाई के लिए पानी के लिए मौसमी वर्षा पर निर्भर है और निवासियों ने देखा है कि कृषि कार्यों के लिए पानी की आवश्यकता पिछले कुछ वर्षों में बढ़ी है। निवासियों ने बताया कि लगभग 20 साल पहले, धान की फसल को प्रति मौसम केवल एक बार सिंचाई करने की आवश्यकता होती थी, जबकि नियमित वर्षा के अभाव के कारण अब फसल को 4 बार तक सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। गेहूं की फसल को भी ग्राम पंचायत में प्राप्त वर्षा के आधार पर, प्रति मौसम में 3-4 बार सिंचित किया जाता है।

भूजल पर निर्भरता और सूखे की लगातार घटनाएं, जल संरक्षण और भूजल संसाधनों को भरने के लिए वाटरशेड प्रबंधन की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालती हैं। पुरवा में भेद्यता को कम करने, लचीलापन बनाने और पानी की उपलब्धता में सुधार के लिए निम्नलिखित सिफारिशें प्रस्तावित हैं।

21 क्षेत्रीय सर्वेक्षण और समूह केंद्रित चर्चा (FGDs) के दौरान समुदाय से समझे गए और संबंधित स्रोतों द्वारा पुष्टि की गई



वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) को बढ़ावा देना

चरण	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट गतिविधियां	<ol style="list-style-type: none"> सभी सरकारी भवनों-पंचायत भवन और स्कूलों में आरडब्ल्यूएच अवसंरचनाओं का निर्माण गांव/बस्ती स्तर पर पानी समिति या ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी) या जल उपयोगकर्ता समिति की स्थापना और समुदाय के विभिन्न महत्वपूर्ण समूहों में जागरूकता बढ़ाने के लिए जल उपयोग की कुशलता और जल संरक्षण में सुधार करने के लिए। 	<ol style="list-style-type: none"> 1500 वर्ग फुट आकार के भूखंड से ऊपर आवासीय भवनों में आरडब्ल्यूएच अवसंरचनाओं का निर्माण सभी नई इमारतों में वर्षा जल संचयन अवसंरचनाओं का अनिवार्य निर्माण 	<ol style="list-style-type: none"> 1000 वर्ग फुट के आवासीय भवनों में आरडब्ल्यूएच अवसंरचनाओं का निर्माण सभी नई इमारतों में वर्षा जल संचयन अवसंरचनाओं का अनिवार्य निर्माण
लक्ष्य	सरकारी भवनों में 4 आरडब्ल्यूएच अवसंरचनाओं का निर्माण - 1 पंचायत भवन, 3 स्कूल	<ol style="list-style-type: none"> 160 परिवारों में 10 m³ औसत भंडारण क्षमता वाली RWH प्रणाली का निर्माण जनसमुदाय और अन्य सभी हितधारकों की क्षमता को बढ़ाना 	<ol style="list-style-type: none"> 80 परिवारों में 10 m³ के औसत भंडारण क्षमता वाली आरडब्ल्यूएच प्रणाली का निर्माण जनसमुदाय और अन्य सभी हितधारकों की क्षमता को बढ़ाना
अनुमानित लागत	कुल लागत (10 m ³ क्षमता के रिचार्ज गड्डे वाली 4 आरडब्ल्यूएच अवसंरचनाएं): ₹1,40,000 कुल लागत: ₹1,40,000	कुल लागत (160 m ³ क्षमता के रिचार्ज गड्डे वाली 4 आरडब्ल्यूएच अवसंरचनाएं): ₹56,00,000 कुल लागत: ₹56,00,000	कुल लागत (80 m ³ क्षमता के रिचार्ज गड्डे वाली 4 आरडब्ल्यूएच अवसंरचनाएं): ₹28,00,000 कुल लागत: ₹28,00,000



जल स्रोतों का रखरखाव

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट गतिविधियां

I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
<ol style="list-style-type: none"> 22 जल स्रोतों की सफाई और गाद निकालना 20 कुओं की सफाई एवं जीर्णोद्धार 2 रिचार्ज पिट का निर्माण जल स्रोतों के आसपास ट्री गार्ड के साथ वृक्षारोपण 	<ol style="list-style-type: none"> आवश्यकता के आधार पर अतिरिक्त पुनर्भरण गड्डों का निर्माण सभी जल स्रोतों का रखरखाव एवं प्रबंधन 	<ol style="list-style-type: none"> आवश्यकता के आधार पर अतिरिक्त पुनर्भरण गड्डों का निर्माण सभी जल स्रोतों का रखरखाव एवं प्रबंधन

लक्ष्य

<ol style="list-style-type: none"> 22 जल स्रोतों की सफाई और गाद निकालना 20 कुओं की सफाई एवं जीर्णोद्धार 2 रिचार्ज पिट का निर्माण सामान्य और लुप्तप्राय पेड़ों के 1000 पौधे लगाना और वृक्षों की कम से कम 65% जीवन दर सुनिश्चित करना (ट्री गार्ड का उपयोग करके) 	<ol style="list-style-type: none"> आवश्यकतानुसार अतिरिक्त रिचार्ज पिट का निर्माण सभी 22 जल स्रोतों का नियमित रखरखाव 20 कुओं का आवधिक रखरखाव जल स्रोतों के आसपास अतिरिक्त 1000-1500 पौधे लगाना और कम से कम 65% जीवन दर सुनिश्चित करना (ट्री गार्ड का उपयोग करके)। 	<ol style="list-style-type: none"> आवश्यकतानुसार अतिरिक्त रिचार्ज पिट का निर्माण 22 जल स्रोतों का नियमित रखरखाव 20 कुओं का आवधिक रखरखाव जल स्रोतों के आसपास अतिरिक्त 1000-1500 पौधे लगाना और कम से कम 65% जीवन दर सुनिश्चित करना (ट्री गार्ड का उपयोग करके)।
---	--	--

अनुमानित लागत

<ol style="list-style-type: none"> 22 जल स्रोतों की सफाई और गाद निकालने की कुल लागत- ₹1,54,00,000 20 कुओं की सफाई और मरम्मत की कुल लागत: ₹1,53,300 2 रिचार्ज पिट के निर्माण की लागत लगभग ₹60,000 वृक्षारोपण की कुल लागत: ₹12,70,000 <p>कुल लागत: ₹1,60,30,000</p>	<ol style="list-style-type: none"> लागत: आवश्यकता के अनुसार 22 जल स्रोतों के रखरखाव की लागत: लगभग ₹82,50,000 20 कुओं का रखरखाव: ₹1,53,300 वृक्षारोपण की कुल लागत: ₹12,70,000 <p>कुल लागत: ₹84,03,300</p>	<ol style="list-style-type: none"> आवश्यकता के अनुसार लागत 22 जल स्रोतों के रखरखाव की लागत: लगभग ₹82,50,000 20 कुओं का रखरखाव: ₹1,53,300 वृक्षारोपण की कुल लागत: ₹12,70,000 <p>कुल लागत: ₹84,03,300</p>
---	--	---



जल निकासी और सीवेज की बुनियादी अवसंरचना में वृद्धि

	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट गतिविधियां	विभिन्न स्थानों पर नाली निर्माण	जलजमाव से बचने के लिए सभी नालियों का नियमित रखरखाव	जलजमाव से बचने के लिए सभी नालियों का नियमित रखरखाव
लक्ष्य	1,865 मीटर नालों का निर्माण ²²	वर्तमान बुनियादी अवसंरचना का रख-रखाव	वर्तमान बुनियादी अवसंरचना का रख-रखाव
अनुमानित लागत	निर्माण की कुल अनुमानित लागत: ₹63,41,000	आवश्यकता के अनुसार	आवश्यकता के अनुसार

²² नालियों के स्थान विनिर्देशों के लिए HRVCA देखें

वर्तमान योजनाएँ और कार्यक्रम

- जल शक्ति अभियान: 'कैच द रेन' अभियान के माध्यम से उपलब्ध प्रावधानों और संसाधनों के माध्यम से वर्षा जल संचयन प्रणालियों का निर्माण किया जा सकता है।
- सिंचाई विभाग के अंतर्गत उ.प्र. राज्य का वार्षिक बजट ग्राम पंचायत स्तर के जल स्रोत संरक्षण और बहाली गतिविधियों के लिए उपयोग किया जा सकता है।
- मनरेगा के अंतर्गत वार्षिक बजट और PMKSY के अंतर्गत वाटरशेड विकास घटक का उपयोग वाटरशेड बनाने के लिए किया जा सकता है।

वित्त के अन्य स्रोत

- जल स्रोतों और कुओं के रख-रखाव और रख-रखाव में योगदान देने के लिए कॉर्पोरेट/CSR को 'जल स्रोत अपनाने' के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।

प्रमुख विभाग

- ग्राम्य विकास विभाग
- सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग
- उत्तर प्रदेश भूमि संसाधन विभाग

3

हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना



संदर्भ और मुद्दे²³

- पुरवा ग्राम पंचायत में 20 फलों के बगीचे हैं जहां आम और अमरूद के पेड़ प्रमुख हैं।
- फील्ड सर्वेक्षण के दौरान संकेत मिला कि पुरवा ग्राम पंचायत में खाद्य वन विकास की योजना पहले से ही चल रही है।
- ग्राम पंचायत ने जल निकायों के आसपास 1,700 वृक्षों का रोपण भी किया है, जिनमें से 200 पहले ही लगाए जा चुके हैं। इस गतिविधि को मनरेगा और सीएसआर फंड के माध्यम से वित्त पोषित किया गया।

हालाँकि ये गतिविधियाँ पुरवा में की जा रही हैं, ~42 हेक्टेयर सार्वजनिक भूमि की उपलब्धता के साथ पुरवा में हरित क्षेत्रों की जगह बढ़ाने की क्षमता है, इससे न केवल बढ़ते तापमान से राहत मिलेगी अपितु छाया मिलेगी। हरित क्षेत्र बढ़ाने से ग्राम पंचायत में कार्बन सिंक को बढ़ाने के साथ लंबी अवधि में मिट्टी के स्वास्थ्य और जल स्तर में भी सुधार होगा।

²³ जैसा कि क्षेत्र सर्वेक्षण और सामूहिक चर्चा के दौरान केन्द्रित समुदाय से समझा गया और प्रासंगिक स्रोतों द्वारा पुष्टि की गई।



हरित क्षेत्रों में वृद्धि

चरण	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट गतिविधियां	<ol style="list-style-type: none"> वार्षिक जनसमुदाय-आधारित वृक्षारोपण गतिविधियाँ²⁴: <ul style="list-style-type: none"> ग्रीन स्टीवर्डशिप कार्यक्रम²⁵ (5 छात्र चयनित) देसी फलों के पेड़ लगाकर खाद्य वन का निर्माण आरोग्य वन बनाना - भूमि की खरीद और तैयारी, प्रजातियों का चयन और विभिन्न औषधीय जड़ी-बूटियों,²⁶ झाड़ियाँ और वृक्षारोपण करना 	<ol style="list-style-type: none"> बाल वन के निर्माण से वृक्षारोपण गतिविधियाँ में वृद्धि²⁷ किसानों को कृषि वानिकी²⁸ अपनाने के लिए प्रोत्साहन आरोग्य वन की स्थापना 	<ol style="list-style-type: none"> वृक्षारोपण गतिविधियों का विस्तार और रख-रखाव - बाल वन और अन्य वृक्षारोपण 431 हेक्टेयर (कृषि वानिकी के लिए उपयुक्त भूमि का 100%) भूमि का कृषि-वानिकी पहल के अंतर्गत विस्तारण आरोग्य वन का रख-रखाव और प्राकृतिक औषधियों और पूरकों के उत्पादन के लिए इकाइयाँ लगाना
	<ol style="list-style-type: none"> आम और लुप्तप्राय पेड़ों के 1,000 पौधे लगाना और कम से कम 65% जीवन दर सुनिश्चित करना (ट्री गार्ड के उपयोगसे) 15-20 वर्षों में पृथक्करण क्षमता 2,800 tCO₂e से 3,600 tCO₂e आरोग्य वन लगाने के लिए लगभग 0.2 हेक्टेयर भूमि आवंटित/सीमांकित करना 	<ol style="list-style-type: none"> सड़कों, रास्तों और जल स्रोतों के आसपास अतिरिक्त 1,000-1,500 पौधे लगाना 15-20 वर्षों में पृथक्करण क्षमता 2,800 tCO₂e से 4,800 tCO₂e 100 हेक्टेयर भूमि में कृषि वानिकी अपनाना (10,000 पेड़ लगाना) (सागौन की पृथक्करण क्षमता= 20 वर्षों में 56,000 tCO₂e से 99,000 tCO₂e) आरोग्य वन की स्थापना एवं रख-रखाव। प्राकृतिक औषधियों और पूरकों के निर्माण और विपणन के लिए महिला समूहों, युवा समूहों का क्षमता निर्माण 	<ol style="list-style-type: none"> सड़कों, रास्तों और जल स्रोतों के आसपास अतिरिक्त 1,000-1,500 लगाना 15-20 वर्षों में पृथक्करण क्षमता 2,800 tCO₂e से 4,800 tCO₂e अतिरिक्त ~100 हेक्टेयर भूमि में कृषि वानिकी अपनाकर, 10000 पेड़ लगाना (सागौन की पृथक्करण क्षमता = 20 वर्षों में 56,000 tCO₂e से 99,000 tCO₂e) आरोग्य वन का नियमित रख-रखाव और प्राकृतिक औषधियों और पूरकों का उत्पादन (अनुभाग, आजीविका और हरि उद्यमिता को बढ़ाना' में विस्तृत)
लक्ष्य			

24 पेड़ों की प्रजातियाँ अनुलग्नक VI में सूचीबद्ध हैं।

25 स्कूली छात्र पेड़ लगाएँगे और प्रत्येक कक्षा से कुछ छात्र लीडर्स को चुना जाएगा जो अपने साथियों के साथ-साथ ग्राम पंचायत जनसमुदाय को पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करेंगे।

26 उपयुक्त प्रजातियाँ अनुलग्नक VI में सूचीबद्ध हैं।

27 नए माता-पिता को उनके बच्चों के जन्मोत्सव पर स्वदेशी सदाबहार पौधे उपहार में दिए जाएंगे और उन्हें अपने बच्चों के जीवन में पौधों का पोषण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

28 उपयुक्त भूमि में कृषि वानिकी अपनाई गई। यहां ~100 हेक्टेयर (गेहूँ और सब्जियाँ) पर विचार किया है

अनुमानित लागत

<p>वृक्षारोपण की कुल लागत: ₹12,70,000</p>	<p>1. वृक्षारोपण की कुल लागत: ₹12,70,000- 19,05,000</p> <p>2. कृषि वानिकी की लागत: ₹40,00,000</p> <p>कुल लागत: ~₹59,50,000</p>	<p>1. वृक्षारोपण की कुल लागत: ₹12,70,000 - 19,05,000</p> <p>2. कृषि वानिकी की लागत: ₹40,00,000</p> <p>कुल लागत: ~ ₹59,50,000</p>
---	--	--



जन जैवविविधता रजिस्टर

चरण

	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट गतिविधियां	<p>1. जन जैवविविधता रजिस्टर का सहभागी अद्यतन</p> <p>2. जनसमुदाय और सभी हितधारकों को जागरूक करना</p>	<p>1. जन जैवविविधता रजिस्टर का निरंतर एवं नियमित अद्यतनीकरण</p> <p>2. सभी हितधारकों को जागरूक करना</p>	<p>1. जन जैवविविधता रजिस्टर का निरंतर एवं नियमित अद्यतनीकरण</p> <p>2. सभी हितधारकों को जागरूक करना</p>

लाक्ष्य

<p>1. जैवविविधता प्रबंधन समिति का गठन और क्षमता वृद्धि</p> <p>2. जन जैवविविधता रजिस्टर का सहभागी अद्यतन²⁹</p>	<p>जन जैवविविधता रजिस्टर का निरंतर एवं नियमित अद्यतनीकरण</p>	<p>जन जैवविविधता रजिस्टर का निरंतर एवं नियमित अद्यतनीकरण</p>
--	--	--

अनुमानित लागत

<p>जैवविविधता प्रबंधन समितियों के गठन, पंजीकरण और प्रशिक्षण की लागत: लगभग ₹25,000</p>

29 जैव विविधता प्रबंधन समितियों को संचालित करने के दिशा-निर्देश (BMCs), 2013, National Biodiversity Authority. <http://nbaindia.org/uploaded/pdf/Guidelines%20for%20BMC.pdf>

वर्तमान योजनाएँ और कार्यक्रम

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ग्रीन इंडिया मिशन, जल जीवन मिशन और उ.प्र. राज्य वृक्षारोपण लक्ष्यों द्वारा 'भारत में वनों के बाहर पेड़' पहल के अंतर्गत प्रावधानों के माध्यम से वृक्षारोपण गतिविधियों का समन्वय और संचालन किया जा सकता है।
- उ.प्र. राज्य प्रतीकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण निधि (राज्य CAMPA निधि) के अंतर्गत वार्षिक बजटिंग के लिए निर्देशित किया जा सकता है:
 - » ग्राम पंचायत में वनरोपण, जैवविविधता का संवर्धन, वन्यजीव आवास में वृद्धि, और मिट्टी और जल संरक्षण गतिविधियाँ
- वृक्षारोपण गतिविधियों को मनरेगा के साथ जोड़ा जा सकता है जिसमें स्थानीय जनसमुदाय श्रमदान कर सकता है।
- सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत कृषि वानिकी पर उप-मिशन का लाभ उठाया जा सकता है:
 - » कृषि वानिकी वृक्षारोपण के लिए प्रति हेक्टेयर पर ₹28,000 रुपये
 - » वृक्षारोपण के लिए निधि चार वर्षों में वर्ष-वार 40:20:20:20 के अनुपात में प्राप्त की जा सकती है।
- केन्द्रीय औषधीय एवं सुगंध पौधा संस्थान, लखनऊ का कौशल विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम ग्राम पंचायत में आरोग्य वन लगाने में सहायक हो सकता है।
- जैवविविधता प्रबंधन समिति के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड के कार्यक्रमों की मदद ली जा सकती है।

वित्त के अन्य स्रोत

- 15वें वित्त आयोग और स्वयं के आय स्रोत (OSR) के अंतर्गत ग्राम पंचायत को आवंटित संसाधन।
- पौधों की खरीद, वृक्षारोपण अभियान का आयोजन, पौधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ट्री गार्ड के निर्माण के लिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) फंड का लाभ उठाया जा सकता है। CSR का उपयोग आरोग्य वन लगाने और हर्बल उत्पादों के लिए उत्पादन इकाई लगाने के लिए किया जा सकता है जैसा कि "आजीविका बढ़ाने और हरित व्यवसाय में वृद्धि" सुझावों में दिया गया है।

प्रमुख विभाग

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
- राज्य जैवविविधता बोर्ड
- पंचायती राज विभाग
- ग्राम्य विकास विभाग
- केन्द्रीय औषधीय एवं सुगंध पौधा संस्थान, लखनऊ

4

सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन



संदर्भ और मुद्दे:

- पुरवा ग्राम पंचायत में सभी गतिविधियों (घरेलू, सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक स्थानों और वाणिज्यिक क्षेत्रों) से उत्पन्न कुल कचरा लगभग ~ 360 किलोग्राम प्रति दिन है, जिसमें लगभग 208 किलोग्राम प्रति दिन बायोडिग्रेडेबल/जैविक कचरा और लगभग 152 किलोग्राम गैर-बायोडिग्रेडेबल/अजैविक है³⁰।
- फ़ील्ड सर्वेक्षण में पाया गया है कि ग्राम पंचायत में अपशिष्ट संग्रहण और पृथक्करण सुविधा स्थापित की जा रही है। यह सुविधा उन स्थानों पर बनाई जा रही है जिसका उपयोग पहले कचरा डंप करने के लिए किया जाता था।
- ग्राम पंचायत में कुल पशुधन आबादी 272 है (गाय, भैंस, भेड़ और बकरियों सहित) और अनुमानित गोबर उत्पादन लगभग 2 टन प्रति दिन है³¹। फ़ील्ड सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त जानकारी से पता चलता है कि ग्राम पंचायत को सार्वजनिक स्थानों पर गोबर के मुद्दे का सामना करना पड़ता है (जिसे बायोगैस संयंत्रों के निर्माण के माध्यम से प्रबंधित किया जा सकता है, "स्वच्छ, टिकाऊ, सस्ती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच" देखें)।

इस पृष्ठभूमि में, 100% ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करने के साथ-साथ अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और आजीविका के अवसर पैदा करने के लिए निम्नलिखित समाधान प्रस्तावित हैं।

30 अनुमान पद्धति के लिए अनुबंध IV देखें

31 यह अनुमानित किया गया है कि गायें प्रतिदिन 10 किलो गोबर पैदा करती हैं, भैंसें 15 किलो गोबर प्रतिदिन पैदा करती हैं



अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की स्थापना

चरण

I

2024-25 से 2026-27

1. कचरे के लिए ग्राम पंचायत -स्तरीय पृथक्करण और भंडारण सुविधा
2. कचरे के संग्रहण और परिवहन के लिए इलेक्ट्रिक वाहन और 1 कर्मचारी की नियुक्ति:
 - घरों से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक भंडारण सुविधा
 - ग्राम पंचायत से ब्लॉक-स्तरीय प्लास्टिक श्रेडर की सुविधा
3. मुख्य स्थानों (बाजार, दुकानें, चाय की दुकानें आदि) पर कूड़ेदान रखना।
4. पंचायत, स्वयं सहायता समूह, अनौपचारिक कचरा बीनने वालों, स्थानीय स्कैप डीलरों, स्थानीय व्यवसायों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के बीच साझेदारी बनाना

II

2027-28 से 2029-30

1. ग्राम पंचायत -स्तर पर छंटनी और भंडारण सुविधा का रख-रखाव
2. लगाए गए वर्तमान कूड़ादानों का रखरखाव और आवश्यकता के अनुसार नए मुख्य स्थानों पर अतिरिक्त कूड़ेदान लगाना
3. ग्राम पंचायत से आगे अन्य गांवों/ जिलों तक साझेदारी को बढ़ाना

III

2030-31 से 2034-35

1. ग्राम पंचायत स्तरीय पृथक्करण और भंडारण सुविधा का रख-रखाव
2. वर्तमान लगे हुए कूड़ादानों का रखरखाव
3. ग्राम पंचायत से आगे अन्य गांवों/ जिलों तक साझेदारी को बढ़ाना

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट गतिविधियां

1. दैनिक कचरा संग्रहण के लिए 1 इलेक्ट्रिक वाहन
2. ग्राम पंचायत की अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत 809 परिवारों (100%) को सम्मिलित करना
3. मुख्य स्थानों पर 40 कूड़ेदान रखना

1. अतिरिक्त 10 कूड़ादान लगाना
2. वर्तमान सुविधाओं और अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का रखरखाव

वर्तमान सुविधाओं और अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का रख-रखाव

लक्ष्य

अनुमानित लागत

1. 1 इलेक्ट्रिक वाहन: ₹1,05,000
2. 20 कचरा डिब्बे/कंटेनर: ₹30,00,000

10 कचरा डिब्बे/कंटेनर: ₹1,50,000



कचरे का सतत प्रबंधन

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट गतिविधियां

I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
<ol style="list-style-type: none"> 34 कम्पोस्ट गड्डों का निर्माण ग्राम पंचायत में खाद मूल्य श्रृंखला स्थापित करने के लिए पंचायत और संबंधित हितधारकों के बीच साझेदारी निर्माण 	<ol style="list-style-type: none"> बुनियादी अवसंरचना और प्रणाली का नियमित रखरखाव आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कम्पोस्ट गड्डों का निर्माण अन्य गांवों/जिलों तक साझेदारी को बढ़ाना 	<ol style="list-style-type: none"> वर्तमान अपशिष्ट प्रबंधन बुनियादी अवसंरचना और प्रणाली का नियमित रख-रखाव बायोडिग्रेडेबल/जैविक कचरे के उपचार के लिए अतिरिक्त खाद गड्डों की स्थापना -अन्य गांवों/जिलों तक साझेदारी बढ़ाना

लक्ष्य

<ol style="list-style-type: none"> 34 कम्पोस्ट गड्डों का निर्माण³² पंचायत, समुदाय के सदस्यों और किसान समूहों के बीच साझेदारी मॉडल के बारे में विस्तार से बताया गया है "आजीविका और हरित उद्यमिता को बढ़ाना" अनुभाग): » खाद का उत्पादन और बिक्री » कृषि अपशिष्ट की बिक्री 	<ol style="list-style-type: none"> आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कम्पोस्ट गड्डों का निर्माण घरों, सार्वजनिक/अर्ध-सार्वजनिक सुविधाओं, वणिज्यिक सेट अप और कृषि से निकलने वाले सभी (100%) बायोडिग्रेडेबल/जैविक कचरे के उपचार के लिए अतिरिक्त खाद गड्डों की स्थापना। » कम्पोस्ट गड्डों का रखरखाव » साझेदारी बढ़ाना 	<p>घरों, सार्वजनिक/अर्ध-सार्वजनिक सुविधाओं, वणिज्यिक सेट अप और कृषि से निकलने वाले सभी (100%) बायोडिग्रेडेबल/जैविक कचरे के उपचार के लिए अतिरिक्त खाद गड्डों की स्थापना।</p> <p>» कम्पोस्ट गड्डों का रखरखाव » साझेदारी बढ़ाना</p>
--	---	--

अनुमानित लागत

34 गड्डों के निर्माण की कुल लागत- ₹10,20,000	आवश्यकता के अनुसार	आवश्यकता के अनुसार
---	--------------------	--------------------

32 कम्पोस्ट गड्डों के स्थान विनिर्देशों के लिए HRVCA का संदर्भ लें



एकल-उपयोग-प्लास्टिक पर प्रतिबंध

चरण	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट गतिविधियां	<ol style="list-style-type: none"> जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता वृद्धि कार्यक्रम: <ul style="list-style-type: none"> ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी) छात्र एवं युवा समूह समुदाय के सदस्य और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान साझेदारी मॉडल: "आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना" अनुभाग में विस्तार से बताया गया है। 	जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता वृद्धि कार्यक्रमों को बढ़ाना	<ol style="list-style-type: none"> जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन पिछले चरणों की सफलता को निकटवर्ती ग्राम पंचायत तक विस्तार करने के लिए मॉडल के रूप में उपयोग किया जा सकता है।
लक्ष्य	<ol style="list-style-type: none"> एकल उपयोग प्लास्टिक (एसयूपी) पर पूर्ण प्रतिबंध 200-250 महिलाओं को प्लास्टिक के वैकल्पिक उत्पादों के निर्माण में लगाया जाएगा (वर्तमान में सिलाई में लगी महिलाओं में से) 	<ol style="list-style-type: none"> एसयूपी पर प्रतिबंध लगाना आसान विकल्प उपलब्ध होने के कारण उपभोक्ता-व्यापी प्लास्टिक का उपयोग और कम होना 	<ol style="list-style-type: none"> एसयूपी पर प्रतिबंध लगाना आसान विकल्प उपलब्ध होने के कारण उपभोक्ता-व्यापी प्लास्टिक का उपयोग और कम होना

वर्तमान योजनाएँ और कार्यक्रम

- समुदाय-आधारित खाद अवसंरचनाओं के निर्माण के लिए मनरेगा का माध्यम किया जा सकता है। बुनियादी ढांचे के विकास और प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण को स्वच्छ भारत (ग्रामीण) मिशन के अंतर्गत पहल द्वारा समर्थित किया जा सकता है।

वित्त के अन्य स्रोत

- ग्राम-पंचायत के अंतर्गत आने वाले उद्योगों के CSR से प्लास्टिक-वैकल्पिक उत्पादों, खाद उत्पादन में संलग्न सभी हितधारकों की जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण बढ़ाने और व्यक्तिगत स्तर पर सतत उपभोग व्यवहार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा, प्लास्टिक-वैकल्पिक उत्पादों, कम्पोस्टिंग प्रक्रियाओं के उत्पादन में सम्मिलित सभी हितधारकों की जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण को बढ़ाने और व्यक्तिगत स्तर पर स्थायी उपभोग व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए सीएसआर(CSR) समर्थन महत्वपूर्ण होगा।
- टाइड और अनटाइड निधियों सहित ग्राम पंचायत के स्वयं की आय के स्रोत/संसाधन स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी) दिशानिर्देशों के अनुसार अपशिष्ट प्रबंधन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

प्रमुख विभाग

- पंचायती राज विभाग
- सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग
- ग्राम्य विकास विभाग
- कृषि विभाग
- उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड

5

स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच



संदर्भ एवं मुद्दे:

- पुरवा ग्राम पंचायत में वर्ष 2022-23 में 1,55,859 यूनिट यूनिट बिजली की खपत हुई है। जबकि ग्राम पंचायत में 90% घरों में बिजली के कनेक्शन हैं। केन्द्रित समूह चर्चा के दौरान पता चला है, बिजली की आपूर्ति 24*7 नहीं है। जीपी में प्रतिदिन औसतन ~7 घंटे बिजली कटौती होती है³³।
- बिजली कटौती के कारण, पावर बैकअप के लिए पुरवा में 12 डीजल जनरेटर हैं और वे प्रति वर्ष लगभग ~22 किलोलीटर ईंधन की खपत करते हैं
- इसके अतिरिक्त, सिंचाई के लिए 180 डीजल पंपों का उपयोग किया जाता है जो प्रति वर्ष ~70 kL ईंधन की खपत करते हैं।
- सीएफएल (कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट) रोशनी और कम दक्षता वाले अन्य विद्युत फिक्स्चर और उपकरण कई घरों और सार्वजनिक उपयोगिताओं में उपयोग में हैं। इसके अतिरिक्त, जीपी ने लगभग 120 स्ट्रीट लाइट की आवश्यकता व्यक्त की है।
- लगभग 81 घरों में खाना पकाने के लिए गाय के गोबर और ईंधन की लकड़ी का उपयोग किया जाता है। स्वच्छ खाना पकाने के समाधानों में परिवर्तन की आवश्यकता है जिससे न केवल उत्सर्जन में कमी आएगी बल्कि इनडोर वायु गुणवत्ता में सुधार जैसे सह-लाभ भी होंगे।
- बढ़ते तापमान के साथ, घरों में थर्मल आराम का स्तर कम हो रहा है और स्थायी स्थान शीतलन की आवश्यकता है।

पंचायत की ऊर्जा सम्बन्धी चिंताओं के आधार पर केंद्र और राज्य सरकार के हाल ही में आरम्भ किए गए और साथ ही चल रहे कार्यक्रमों जैसे की प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली मुफ्त योजना, पीएम कुसुम योजना, यूपी राज्य सौर नीति 2022 आदि के संयोजन में पुरवा में क्रियान्वन के लिए निम्नलिखित समाधान प्रस्तावित हैं। सुझाई गई गतिविधियों का उद्देश्य ग्राम पंचायत में समुदाय के लिए स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना है। इससे न केवल उनके जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि होगी बल्कि उर्जा के उत्पादक उपगोग के माध्यम से आय बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।

33 क्षेत्रीय सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त जानकारी के अनुसार



सोलर रूफटॉप की संस्थापना (कुल क्षमता: 2,238 किलोवाट घंटा)

चरण

I

2024-25 से 2026-27

II

2027-28 से 2029-30

III

2030-31 से 2034-35

सुझाई गई जलवायु
स्मार्ट गतिविधियां

सभी सरकारी भवनों-पंचायत भवन, स्कूलों पर सोलर रूफटॉप लगाना

- 296 पक्के घरों (40%) के लिए सोलर रूफटॉप फोटोवोल्टिक सेट-अप
- सभी नए भवनों की सोलर फोटोवोल्टिक लगाना

- अन्य 445 घरों के लिए सोलर रूफटॉप फोटोवोल्टिक सेट-अप (वर्तमान पक्के घरों का 100%)
- सभी नए भवनों की सोलर फोटोवोल्टिक लगाना

लगाई गई सोलर रूफटॉप की क्षमता:

- प्राथमिक विद्यालय भवन (~ 16.88 वर्ग मीटर छत क्षेत्र): 1.2 kWp
- जूनियर स्कूल भवन (~ 185.8 वर्ग मीटर छत क्षेत्र): 13 kWp
- पंचायत भवन (~ 15.05 वर्ग मीटर छत क्षेत्र): 1.1 kWp

इस चरण में स्थापित कुल सोलर रूफटॉप क्षमता: 15.3 kWp

उत्पन्न विद्युत: लगभग. ~20,490 kWp प्रतिवर्ष (~56 यूनिट प्रति दिन)

हाल ही में आरम्भ की गई प्रधान मंत्री सूर्य घर योजना के बहुत आवश्यक और महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के आलोक में, कुछ परिवार भी छतों पर सौर पीवी स्थापना के इस चरण का हिस्सा बन सकते हैं।

जीएचजी उत्सर्जन से बचाव: लगभग 16.8 tCO₂e प्रतिवर्ष

प्रत्येक घर पर लगाई गई सोलर रूफटॉप क्षमता (~ 90 वर्ग मीटर रूफटॉप क्षेत्र स्थान)³⁴: 2-4 kWp

इस चरण में स्थापित सोलर रूफटॉप क्षमता: 888 kWp

उत्पन्न विद्युत: लगभग. 11,89,210 kWp प्रतिवर्ष (3,258 यूनिट प्रतिदिन)³⁵

जीएचजी उत्सर्जन से बचाव: लगभग 975 tCO₂e प्रतिवर्ष

लगाई गई अतिरिक्त सौर क्षमता (~90 2 वर्ग मीटर छत क्षेत्र): 2-4 kWp प्रति घर अतिरिक्त घरेलू रूफटॉप क्षमता: 1335 kWp

इस चरण में उत्पन्न विद्युत: 17,87,832 kWp प्रतिवर्ष (4,898 यूनिट प्रति दिन)

जीएचजी उत्सर्जन से बचाव: लगभग 1,466 tCO₂e प्रतिवर्ष

[चरण-III के अंत तक लगाई गई कुल रूफटॉप क्षमता: 2,238 kWp (स्कूल + पंचायत भवन + घर)]

सभी रूफटॉप से उत्पन्न कुल विद्युत: 29,77,057 kWp प्रतिवर्ष (~8,156 यूनिट विद्युत प्रति दिन)

कुल जीएचजी उत्सर्जन से बचाव: लगभग 2,441 tCO₂e प्रतिवर्ष (स्कूल + पंचायत भवन + वर्तमान घर)]

लक्ष्य

कुल लागत: ₹7,65,000

कुल लागत: ₹4,44,00,000

कुल लागत: ₹6,67,50,000

अनुमानित
लागत

सांकेतिक सब्सिडी³⁶: ~40%

सांकेतिक सब्सिडी: ~40%

प्रभावी लागत: ₹2,66,40,000

प्रभावी लागत: ₹4,00,50,000

34 औसत घरों का क्षेत्रफल 130 वर्ग मीटर माना गया है जिसमें 70% छत क्षेत्र - 90 वर्ग मीटर है

35 यह स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन ग्राम पंचायत में विभिन्न प्रयोजनों के लिए वर्तमान बिजली खपत से 7 गुना अधिक होने की संभावना है।

36 सब्सिडी परिवर्तनशील है और समय-समय पर राज्य और केंद्र सरकार द्वारा तय किए गए विभिन्न मापदंडों के अनुसार परिवर्तन के अधीन है। इसलिए अनुमानित सब्सिडी राशि पिछले रुझानों और औसत पर आधारित है और संभव है की यह राशी मौजूदा समय में सटीक न हो।



कृषि-फोटोवोल्टिक

चरण	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ		उपयुक्त कृषि भूमि (बागवानी और दलहन फसलों के अंतर्गत) के क्षेत्र भाग पर कृषि-फोटोवोल्टिक लगाना	उपयुक्त कृषि भूमि (बागवानी और दलहन फसलों के अंतर्गत) के क्षेत्र भाग पर कृषि-फोटोवोल्टिक लगाना
लाक्ष्य		4 हेक्टेयर पर एग्रो-फोटोवोल्टिक लगाना स्थापित क्षमता: 1000 kWp विद्युत उत्पन्न: 13,39,200 kWp प्रतिवर्ष ³⁷ (~ 3,669 यूनिट प्रति दिन) यह स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन ग्राम पंचायत में विभिन्न प्रयोजनों के लिए वर्तमान बिजली खपत से 8 गुना अधिक होने की संभावना है। जीएचजी उत्सर्जन से बचा गया: 1,098 tCO ₂ e प्रतिवर्ष	4 हेक्टेयर पर एग्रो-फोटोवोल्टिक लगाना स्थापित क्षमता: 1000 किलोवाट उत्पन्न विद्युत: 13,39,200 kWp प्रतिवर्ष (~ 3,669 यूनिट प्रति दिन) जीएचजी उत्सर्जन से बचाव: 1,098 tCO ₂ e प्रतिवर्ष
अनुमानित लागत		कृषि-फोटोवोल्टिक की कुल लागत ³⁸ : ₹10,00,00,000	कृषि-फोटोवोल्टिक की कुल लागत: ₹10,00,00,000

37 यह मूल्य ग्राम पंचायत में खपत होने वाली बिजली से 8 गुना अधिक है

38 समय के साथ प्रौद्योगिकी/तकनीकों में प्रगति हो रही है जिसके परिणामस्वरूप एग्रो-पीवी की लागत में कमी आ रही है हालाँकि जो अनुमानित लागत वर्णित की गयी है वो अधिक हो सकती है। इसके साथ ही यह माना जा रहा है की, क्योंकि किसान बागवानी और सामान प्रकृति की अन्य फसलों हेतु निर्धारित भूमि/कृषि भूमि के लिए भी फसल चक्र अपनाते है इस कारण एग्रो-पीवी की स्थापना के लिए बागवानी अंतर्गत उपलब्ध भूमि का केवल कुछ प्रतिशत को ही ध्यान में रखा गया है।



सौर पंप (कुल क्षमता = 990 किलोवाट)

चरण	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट गतिविधियां	36 संख्या (20%) वर्तमान डीजल पंप सेटों के स्थान सौर पंप यदि सौर पंप संभव नहीं हैं, तो ऊर्जा दक्ष पंप (EESL द्वारा किसान ऊर्जा दक्ष पंप) में बदला जा सकता है।	वर्तमान 54 डीजल पंपों (संचयी 50%) को बदलना लगाए गए सभी नए पंपों का सौर ऊर्जा से संचालन	शेष 90 डीजल पंपों को बदलना (संचयी 100%) लगाए गए सभी नए पंपों का सौर ऊर्जा से संचालन
लक्ष्य	स्थापित सौर क्षमता: 198 kW सौर ऊर्जा आधारित उत्पन्न विद्युत: 2,65,162 kWh प्रतिवर्ष डीजल की खपत से बचाव: 14040 लीटर प्रतिवर्ष उत्सर्जन से बचाव: 37.8 tCO ₂ e प्रतिवर्ष	स्थापित सोलर क्षमता: 297 kW सौर ऊर्जा आधारित उत्पन्न विद्युत: 3,97,742 kWh प्रतिवर्ष डीजल की खपत से बचाव: 21,060 लीटर प्रतिवर्ष उत्सर्जन से बचाव: 56.7 tCO ₂ e प्रतिवर्ष	स्थापित क्षमता: 495 kW सौर ऊर्जा आधारित उत्पन्न विद्युत: 6,62,904 kWh प्रतिवर्ष डीजल की खपत से बचाव: 35,100 लीटर प्रतिवर्ष उत्सर्जन से बचाव: 94.5 tCO ₂ e प्रतिवर्ष
अनुमानित लागत	₹1,08,00,000 से 1,80,00,000 सब्सिडी: 60% (राज्य + CFA) प्रभावी लागत: ₹43,20,000 से 72,00,000	1,62,00,000 से 2,70,00,000 रुपये सब्सिडी: 60% (राज्य + CFA) प्रभावी लागत: ₹64,80,000 से 1,08,00,000	2,70,00,000 से 4,50,00,000 रुपये सब्सिडी: 60% (राज्य + CFA) प्रभावी लागत: ₹1,08,00,000 से 1,80,00,000



रसोई में स्वच्छ ईंधन का प्रयोग/ क्लीन कुकिंग

चरण	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट गतिविधियां	परिदृश्य 1: परिवार बायोगैस + LPG परिदृश्य 2: सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव + LPG परिदृश्य 3: सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव + उन्नत चूल्हे + LPG	परिदृश्य 1: परिवार बायोगैस + LPG परिदृश्य 2: सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव + LPG परिदृश्य 3: सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव + उन्नत चूल्हे + LPG सभी नए घरों के निर्माण में उन्नत चूल्हे/सौर ऊर्जा संचालित कुकस्टोव और/या घरेलू बायोगैस संयंत्र लगाना	परिदृश्य 1: परिवार बायोगैस + LPG परिदृश्य 2: सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव + LPG परिदृश्य 3: सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव + उन्नत चूल्हे + LPG सभी नए घर के निर्माण में उन्नत चूल्हे/सौर ऊर्जा संचालित कुकस्टोव और/या घरेलू बायोगैस संयंत्र लगाना

लक्ष्य

- परिदृश्य 1: 21 परिवारों द्वारा बायोगैस संयंत्रों का उपयोग (25% परिवार जिनके पास मवेशी हैं) + 788 परिवार LPG का उपयोग करते हैं।
- परिदृश्य 2: 60 परिवारों द्वारा सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन चूल्हे का उपयोग (25% उच्च आय वर्ग के घर) + 749 परिवार LPG का उपयोग करते हैं।
- परिदृश्य 3: 60 परिवारों द्वारा सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन चूल्हे का उपयोग + 370 परिवारों द्वारा उन्नत चूल्हे का उपयोग (50% परिवार जो वर्तमान में बायोमास का उपयोग करते हैं) + 379 परिवार LPG का उपयोग करते हैं।

- परिदृश्य 1: अतिरिक्त 22 परिवारों द्वारा बायोगैस संयंत्रों का उपयोग (कुल 50% परिवार)
- परिदृश्य 2: अतिरिक्त 60 परिवारों द्वारा सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन चूल्हे का उपयोग (उच्च आय वर्ग के कुल 50% परिवार)
- परिदृश्य 3: अतिरिक्त 60 परिवारों द्वारा सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन चूल्हे का उपयोग + अतिरिक्त 369 परिवारों द्वारा उन्नत चूल्हे का उपयोग (जिससे यहाँ बायोमास का उपयोग करने वाले 100% घर हैं)
ग्राम पंचायत के शेष परिवारों में LPG का उपयोग

- परिदृश्य 1: अतिरिक्त 42 घर बायोगैस संयंत्रों का उपयोग करते हैं (100% घर जिनके पास मवेशी हैं)
- परिदृश्य 2: अतिरिक्त 122 परिवारों द्वारा सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन चूल्हों का उपयोग (उच्च आय वर्ग वाले 100% परिवार)
- परिदृश्य 3: अतिरिक्त 122 परिवारों द्वारा सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन चूल्हे का उपयोग
ग्राम पंचायत के शेष परिवारों में LPG का उपयोग

अनुमानित लागत

- परिदृश्य 1: बायोगैस संयंत्र के लिए ₹10,50,000 (2 से 3 मी³ बायोगैस संयंत्र के लिए ₹50,000)
 - परिदृश्य 2: सोलर इंडक्शन कुकस्टोव के लिए ₹27,00,000 (बैटरी के बिना डबल बर्नर वाले सोलर कुकस्टोव के लिए ₹45,000)
 - परिदृश्य 3: उन्नत चूल्हों के लिए ₹11,10,000 रुपये (@₹3,000) और सोलर इंडक्शन कुकस्टोव के लिए ₹27,00,000
- सभी परिदृश्यों में औसत लागत: ₹25,20,000

- परिदृश्य 1: बायोगैस संयंत्रों के लिए ₹11,00,000
 - परिदृश्य 2: सोलर इंडक्शन कुकस्टोव के लिए ₹27,00,000 (बिना बैटरी वाले डबल बर्नर सोलर कुकस्टोव के लिए ₹45,000)
 - परिदृश्य 3: उन्नत चूल्हों के लिए 11,07,000 रुपये (@₹3,000) और सोलर इंडक्शन कुकस्टोव के लिए ₹27,00,000
- सभी परिदृश्यों में औसत लागत: ₹25,36,000

- परिदृश्य 1: बायोगैस संयंत्रों के लिए ₹21,00,000)
 - परिदृश्य 2: सोलर इंडक्शन कुकस्टोव के लिए ₹54,90,000 (बिना बैटरी के डबल बर्नर सोलर कुकस्टोव के लिए ₹45,000)
 - परिदृश्य 3: उन्नत चूल्हों के लिए ₹54,90,000 (@₹3,000)
- सभी परिदृश्यों में औसत लागत: ₹36,60,000



ऊर्जा दक्षता

चरण

I

2024-25 से 2026-27

II

2027-28 से 2029-30

III

2030-31 से 2034-35

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट गतिविधियां

1. सभी सरकारी/सार्वजनिक/अर्ध-सार्वजनिक भवनों (स्कूल, पंचायत भवन, आंगनवाड़ी, आशा केंद्र, विवाह हॉल) में सभी लाइट फिक्स्चर और पंखों के स्थान पर ऊर्जा दक्ष फिक्स्चर लगाना
2. सभी घरों में कम से कम 1 तापदीप्त/सीएफएल बल्ब के स्थान पर एलईडी बल्ब या 1 फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट के स्थान पर एलईडी ट्यूब लाइट लगाना
3. निवासियों को अन्य घरेलू उपकरणों, ऊर्जा दक्ष उपकरणों (BEE द्वारा 4-5 स्टार रेटिंग) को अपग्रेड करने के लिए भी प्रोत्साहित करना

1. घरों में सभी तापदीप्त बल्बों के स्थान पर एलईडी बल्ब और सभी फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट्स के स्थान एलईडी ट्यूब लाइट
2. कम से कम 1 पारंपरिक पंखे के स्थान पर ऊर्जा दक्ष पंखे
3. निवासियों को अन्य घरों को अपग्रेड करने के लिए भी प्रोत्साहन उपकरण ऊर्जा दक्ष उपकरण (BEE द्वारा 4-5 स्टार रेटिंग)

सभी घरों में सभी पंखों के स्थान पर ऊर्जा दक्ष पंखे लगाना

लक्ष्य

सभी सरकारी भवनों में सभी ट्यूब लाइट और पंखे (लगभग 25 एलईडी ट्यूब लाइट और 20 पंखे) बदलना
809 एलईडी बल्ब और 809 एलईडी ट्यूब लाइट लगाई जाएंगी (प्रति घर 1 ऊर्जा दक्ष बल्ब / ट्यूब लाइट लगाना)

सभी घरों में 2,427 एलईडी बल्ब और 1,618 ट्यूबलाइटें लगाई जाएंगी (प्रति घर 3 बल्ब और 2 ट्यूब लाइटें बदलना
प्रत्येक घर में 809 ऊर्जा दक्ष पंखे लगाए जाएंगे (प्रत्येक घर में 1 पंखा बदलना)

सभी घरों में 1,618 ऊर्जा दक्ष पंखे लगाए जाएंगे (प्रति घर 2 पंखे बदले जाए)

अनुमानित लागत

बल्ब की लागत: ₹57,000
ट्यूबलाइट की लागत: ₹1,84,000
पंखों की लागत: ₹22,000
कुल लागत: ₹2,63,000

बल्ब की लागत: ₹1,70,000
ट्यूबलाइट की लागत: ₹3,56,000
पंखों की लागत: ₹8,98,000
कुल लागत: ₹14,24,000

पंखों की लागत: ₹17,96,000



सोलर स्ट्रीटलाइट

चरण

I

2024-25 से 2026-27

सड़कों, सार्वजनिक स्थानों और अन्य प्रमुख स्थानों पर सौर एलईडी स्ट्रीटलाइट्स लगाना³⁹

II

2027-28 से 2029-30

1. वर्तमान एलईडी स्ट्रीटलाइट को सोलर एलईडी स्ट्रीटलाइट
2. पंचायत भवन, स्कूलों और खेल के मैदानों, तालाबों और जल स्रोतों जैसे प्रमुख स्थानों पर हाईमास्ट सौर एलईडी स्ट्रीटलाइट्स लगाना

III

2030-31 से 2034-35

1. अतिरिक्त एलईडी स्ट्रीटलाइट्स को सौर ऊर्जा में बदलना
2. नियमित रखरखाव और आवश्यकतानुसार स्ट्रीटलाइट्स लगाना
3. आवश्यकतानुसार 5-10 अतिरिक्त हाईमास्ट स्ट्रीटलाइट्स लगाना

39 ग्राम प्रधान से प्राप्त जानकारी के आधार पर

लक्ष्य

120 सोलर एलईडी स्ट्रीटलाइट्स लगाना

1. 90 एलईडी स्ट्रीटलाइट्स को सोलर स्ट्रीटलाइट्स
2. 10 हाईमास्ट स्ट्रीटलाइट्स

1. शेष 90 एलईडी स्ट्रीटलाइट्स को सोलर स्ट्रीटलाइट में बदलने के साथ ही अतिरिक्त सोलर स्ट्रीटलाइट्स लगाना

अनुमानित लागत

एलईडी स्ट्रीटलाइट्स की लागत:
₹12,00,000

एलईडी स्ट्रीटलाइट्स की लागत:
₹9,00,000

एलईडी स्ट्रीटलाइट्स की लागत:
₹9,00,000

हाईमास्ट स्ट्रीटलाइट की लागत:
₹5,00,000 र
कुल लागत: ₹14,00,000

एलईडी स्ट्रीटलाइट्स की लागत:
आवश्यकता के अनुसार (लगभग
₹10,000 /सोलर लैंप)

हाईमास्ट स्ट्रीटलाइट की लागत:
₹2,50,00 से 5,00,000 (आवश्यकता
के अनुसार)
कुल लागत: ₹14,00,000

वर्तमान योजनाएँ और कार्यक्रम

- उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति, 2022⁴⁰ प्रदान करती है:
 - आवासीय क्षेत्र में सौर ऊर्जा पर सब्सिडी: एमएनआरई द्वारा केंद्रीय वित्तीय सहायता के अतिरिक्त प्रति उपभोक्ता ₹15,000/किलोवाट से ₹30,000/- की अधिकतम सीमा तक
 - संस्थानों में RESCO मोड⁴¹ में स्वयं या यूपीनेडा के परामर्श से संयंत्र की लागत का 3% परामर्श शुल्क के साथ सोलर इंस्टालेशन का प्रावधान करना
- ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप कार्यक्रम के माध्यम से एमएनआरई द्वारा केंद्रीय वित्तीय सहायता
 - 3 किलोवाट क्षमता तक के RTS सिस्टम के लिए 40% तक सीएफए दिया जाएगा। 3 किलोवाट से अधिक और 10 किलोवाट तक की क्षमता वाले RTS सिस्टम के लिए, 40% का सीएफए केवल पहले 3 किलोवाट क्षमता के लिए लागू होगा और 3 किलोवाट से ऊपर (10 किलोवाट तक) की क्षमता के लिए सीएफए 20% तक सीमित होगा।
 - ग्रुप हाउसिंग सोसायटी/आवासीय कल्याण संघों (GHS/RWA) के लिए सामान्य सुविधाओं को विद्युत की आपूर्ति के लिए RTS संयंत्र के निर्माण के लिए सीएफए 20% तक सीमित होगा। GHS / RWA के लिए सीएफए के लिए पात्र क्षमता प्रति घर 10 किलोवाट तक सीमित होगी और कुल 500 किलोवाट से अधिक नहीं होगी।
 - गरीब परिवारों के लिए सौर छत की स्थापना पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से की जा सकती है। इस योजना में 2 किलोवाट प्रणालियों के लिए लागत का 60% अनुदान और 2 से 3 किलोवाट क्षमता के प्रणाली हेतु 40% का अनुदान प्रदान करती है। अनुदान को 3 किलोवाट पर सीमित किया जाएगा। मौजूदा बेंचमार्क मूल्यों पर, यह योजना 1 किलोवाट प्रणाली के लिए रुपये 30,000 अनुदान, 2 किलोवाट प्रणालियों के लिए रुपये 60,000 और 3 किलोवाट प्रणालियों या उच्चतर के लिए रुपये 78,000 का अनुदान होगा⁴²।
- पीएम कुसुम योजना प्रदान करती है:
 - पीएम कुसुम योजना का घटक A, कृषि भूमि पर 500 किलोवाट और बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने में बढ़ावा देता है।
 - पीएम कुसुम योजना के घटक B और C के अंतर्गत, केंद्र और राज्य सरकार प्रत्येक पंप के आधार पर 30% की सब्सिडी प्रदान करेगी। किसानों को केवल 10% की अग्रिम लागत का भुगतान करना होगा और बाकी का भुगतान बैंक को किश्तों में किया जा सकता है।

40 https://invest.up.gov.in/wp-content/uploads/2023/02/Uttar_Pradesh_Solar_Energy_Policy_2022.pdf

41 तृतीय पक्ष (रेस्को मोड) {नवीकरणीय योग्य ऊर्जा आपूर्ति कंपनी}

42 मुफ्त बिजली योजना: <https://pmsuryaghar.gov.in/>

- पीएम कुसुम योजना में उ.प्र. सरकार का योगदान:
 - a) घटक C-1 के अंतर्गत: किसानों को 60% सब्सिडी (अनुसूचित जनजाति, वनटांगिया और मुसहर जाति के किसानों को 70% सब्सिडी) के साथ लगाए गए ऑन-ग्रिड पंपों का सोलराइजेशन; यह एमएनआरई की पी एम् कुसुम योजना के माध्यम से केंद्र सरकार से उपलब्ध सब्सिडी के अतिरिक्त है।
 - b) घटक C-2 के अंतर्गत: एमएनआरई की पी एम् कुसुम योजना के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सब्सिडी के अलावा राज्य सरकार द्वारा अलग-अलग कृषि फीडरों का सोलराइजेशन 50 लाख रुपये प्रति मेगावाट की व्यवहार्यता अंतर फंडिंग (VGF) प्रदान किया जाता है।
- ग्राम पंचायतों में एलईडी स्ट्रीटलाइटिंग परियोजनाएँ⁴³:
 - a) EESL अपने खर्च पर पारंपरिक स्ट्रीटलाइट्स के स्थान पर एलईडी स्ट्रीटलाइट्स लगाता है जिसमें 7 वर्ष तक एलईडी बल्बों को मुफ्त बदलना और रखरखाव भी शामिल है।
 - b) अटल ज्योति योजना और एमएनआरई सोलर स्ट्रीटलाइट कार्यक्रम 12 वॉट एलईडी और 3 दिन के बैटरी बैकअप के साथ सोलर स्ट्रीटलाइट लगाने के लिए सब्सिडी प्रदान करते हैं।
- ग्राम उजाला योजना:⁴⁴
 - a) एलईडी बल्ब 10 रुपये प्रति बल्ब की किफ़ायती कीमत पर उपलब्ध हैं।
 - a) ग्रामीण ग्राहकों को चालू तापदीप्त बल्बों के बदले में 7-वाट और 12-वाट के एलईडी बल्ब तीन वर्ष की वारंटी के साथ दिए जाएंगे।
- कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए सब्सिडी
 - a) परियोजना लागत के 35% की क्रेडिट लिंक्ड बैंक एंडेड सब्सिडी के रूप में सरकारी सहायता 2 योजनाओं के माध्यम से उपलब्ध है:
 - » कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग (DAC और FW) एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) की लागू 'शर्तों' के अनुसार
 - » राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (NHB) बागवानी उत्पादों के लिए कोल्ड स्टोरेज और भंडारण के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी नामक लागू योजना के अनुसार।
 - b) प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत, एकीकृत कोल्ड चेन, मूल्य संवर्धन और संरक्षण अवसंरचना पर घटक गैर-बागवानी, बागवानी, डेयरी, मांस और कुक्कुट के वितरण को सुविधाजनक बनाने के लिए संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला⁴⁵ के साथ बुनियादी अवसंरचना सुविधा के निर्माण के लिए 35% की दर से सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्राप्त की जा सकती है। यह परियोजना लचीलापन प्रदान करती है और कृषि स्तर पर कोल्ड स्टोर अवसंरचना के सृजन पर विशेष जोर देती है।
- EESL ने कार्बन वित्तपोषण से सौर ऊर्जा इंडक्शन कुकिंग के लिए बाजार-आधारित समाधान लाने की योजना बनाई है।
- 15वें वित्त आयोग और स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण (SBM-G) के अंतर्गत गोबरधन (गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेज धन) योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से धन का लाभ उठाना।
 - a) स्वच्छ भारत मिशन ग्रा0 के अंतर्गत गोबरधन योजना क्लस्टर/सामुदायिक स्तर के बायोगैस संयंत्र लगाने के लिए 2020-21 से 2024-25 की अवधि के लिए प्रति जिले ₹50.00 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।⁴⁶
- उ.प्र. जैव-ऊर्जा नीति 2022⁴⁷ सरकार से उपलब्ध प्रोत्साहनों के अलावा CBG संयंत्र लगाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है। गोबरधन योजना के अंतर्गत भारत की:
 - a) कंप्रेसड बायोगैस (CBG) उत्पादन संयंत्र लगाने पर ₹75 लाख प्रति टन से लेकर अधिकतम ₹20 करोड़ तक की प्रोत्साहन राशि
 - b) विकास प्राधिकरणों द्वारा लगाए गए विकास शुल्क पर छूट
 - c) 100% स्टाम्प ड्यूटी और विद्युत शुल्क से छूट

43 EESL द्वारा स्ट्रीटलाइटिंग राष्ट्रीय कार्यक्रम

44 ग्राम उजाला योजना ने ग्रामीण क्षेत्रों में एक करोड़ एलईडी बल्ब वितरित किए (फरवरी 2023), PIB.

45 जैसे पूर्व-शीतलन, तौल, छंटाई, ग्रेडिंग, वैक्सिंग सुविधाएँ खेत स्तर पर, बहु-उत्पाद/बहु-तापमान ठंडा भंडारण, CA भंडारण, पैकिंग सुविधा, IQF, वितरण केंद्र में ब्लास्ट फ्रीजिंग और रीफर वेन, मोबाइल कूलिंग इकाइयाँ

46 <https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1883926>

47 <https://invest.up.gov.in/bio-energy-enterprises-promotion-programme-2022/>

- MNRE ने राष्ट्रीय जैव-ऊर्जा कार्यक्रम के अंतर्गत अपशिष्ट से ऊर्जा (WTE) कार्यक्रम लागू किया:
 - a) यह कार्यक्रम शहरी, औद्योगिक और कृषि अपशिष्ट से बायोगैस उत्पादन के लिए संयंत्रों लगाने में सहायता करता है।
 - b) बायोगैस उत्पादन के लिए उपलब्ध वित्तीय सहायता ₹0.25 करोड़ प्रति 12000 m³ /दिन है⁴⁸।

वित्त के अन्य स्रोत

- सोलर रूफटॉप, सोलर पंप आदि की खरीद के लिए ऋण हेतु स्थानीय बैंकों, माइक्रोफाइनेंस संस्थानों और सहकारी बैंकों के साथ टाईअप की जानकारी लें।
- कृषि- फोटोवोल्टिक्स के लिए सौर डेवलपर्स के साथ सहयोग की जानकारी लें।
- CSR फंड का उपयोग निम्न मर्दों में किया जा सकता है:
 - » माइक्रोफाइनेंस संस्थानों द्वारा दिए गए परिक्रामी निधि मॉडल के माध्यम से योजना/कार्यक्रम सब्सिडी के अलावा सौर छतों/कृषि-फोटोवोल्टिक्स/सौर पंप लगाने के लिए पूंजीगत लागत को वसूल करना।
 - » ग्राम पंचायत में अपनाई गई विभिन्न स्वच्छ तकनीकियों के लिए ग्राम जनसमुदाय सदस्यों/ SHG सदस्यों को "संचालन और रख-रखाव" प्रशिक्षण प्रदान करें।
 - » रूफटॉप सोलर (उ.प्र. सोलर पॉलिसी, 2022) और सोलर सिंचाई को बढ़ावा देने वाली वर्तमान सरकारी योजनाओं/कार्यक्रमों (PM-KU-SUM, UP सौर सिंचाई योजना) पर जागरूकता अभियान आयोजित करें।

मुख्य विभाग

- उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा)
- उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल)
- मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
- पंचायती राज विभाग
- ग्राम्य विकास विभाग
- कृषि विभाग
- शिक्षा विभाग

48 <https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1896067>

6

सतत और उन्नत गतिशीलता



संदर्भ एवं मुद्दे:

- ग्राम पंचायत पुरवा में कुल 384 पेट्रोलियम चलित आंतरिक दहन इंजन (आईसीई) वाहन हैं; 359-दोपहिया वाहन, 20 कारें, 3 जीप, 15 ट्रैक्टर और 2 माल/सामान ढोनेवाला वाहक। इसके अतिरिक्त, ग्राम पंचायत में 14 ई-रिक्शा हैं⁴⁹।
- कृषि उपज/सामान के परिवहन के लिए किसानों द्वारा छोटा हाथी (मिनी ट्रक) या ट्रैक्टर का उपयोग किया जाता है। जिन किसानों के पास ऐसे वाहन नहीं हैं वे इन्हें पड़ोसी किसानों से किराये पर लेते हैं⁵⁰।
- पेट्रोलियम चलित /आईसीई वाहनों द्वारा कुल ईंधन खपत 183 किलोलीटर पेट्रोल और 47 किलो-लीटर डीजल प्रति वर्ष है। कुल मिलाकर, परिवहन क्षेत्र में खपत होने वाले ईंधन के कारण 2022 में ~520 टन CO₂e उत्सर्जन होगा।
- क्षेत्र सर्वेक्षण और केंद्रित समूह चर्चा के दौरान द्वारा उजागर किया गया था की मुख्य सड़कों (राष्ट्रीय राजमार्ग 25 से जुड़ने वाली) के साथ-साथ आंतरिक सड़कों/मार्गों की खराब स्थिति है I
- इसके अतिरिक्त, क्षेत्र सर्वेक्षण में पाया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने वाली सड़क जलमग्न हो जाती है और उच्चीकरण की आवश्यकता है।

इसलिए, परिवहन बुनियादी ढांचे में सुधार और ई-मोबिलिटी समाधानों की ओर परिवर्तन शुरू करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता है।



वर्तमान सड़क बुनियादी अवसंरचना का प्रसार

चरण	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट गतिविधियां	राष्ट्रीय राजमार्ग - 25 को जोड़ने वाली सड़क के जलमग्न होने की समस्या के समाधान के लिए की मरम्मत	सड़कों की बुनियादी अवसंरचना का नियमित रखरखाव और आवश्यकता पड़ने पर मरम्मत	सड़कों की बुनियादी अवसंरचना का नियमित रख-रखाव और आवश्यकता पड़ने पर मरम्मत

49 फ्रील्ड सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त इनपुट के अनुसार

50 क्षेत्र सर्वेक्षण और ग्राम प्रधान के साथ चर्चा के दौरान समुदाय से मिले इनपुट के आधार पर

लक्ष्य	कुल 3.5 किमी लम्बी सड़क की ऊंचाई 2 फीट करना	सड़कों का नियमित एवं समय पर रख-रखाव/मरम्मत	सड़कों का नियमित एवं समय पर रख-रखाव/मरम्मत
	सड़क ऊंचाई की लागत: ₹2,60,00,000		



इलेक्ट्रिक माल परिवहन और ई-ट्रैक्टर किराए पर लेने की सुविधा

चरण	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
	<p>1. डीजल ट्रैक्टरों और माल परिवहन वाहनों के इलेक्ट्रिक विकल्पों को बढ़ावा देना</p> <p>2. पेट्रोल/डीजल से चलने वाले वाहनों की तुलना में ई-वाहनों के दीर्घकालिक लाभों के प्रति उपयोगकर्ता समूहों (किसानों/लॉजिस्टिक मालिकों/व्यवसायियों) को संवेदनशील बनाना</p> <p>3. माल/कृषि उपज के परिवहन के लिए ई-ट्रैक्टर और ई-माल वाहनों को किराए पर लेने की सुविधा देना।</p>	<p>1. ग्राम पंचायत के साथ-साथ आसपास की ग्राम पंचायत की आवश्यकता के अनुसार किराए पर लेने योग्य वाहनों के बेड़े में जोड़ना।</p> <p>2. पेट्रोल/डीजल से चलने वाले वाहनों की तुलना में ई-वाहनों के दीर्घकालिक लाभों के साथ-साथ उनके लाभ के लिए उपलब्ध योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रति विभिन्न उपयोगकर्ता समूहों को नियमित रूप से जागरूक करना।</p>	<p>पेट्रोल/डीजल से चलने वाले वाहनों की तुलना में ई-वाहनों के दीर्घकालिक लाभों के साथ-साथ उनके लाभ के लिए उपलब्ध योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रति विभिन्न उपयोगकर्ता समूहों को नियमित रूप से जागरूक करना।</p>
	सुझाई गई जलवायु स्मार्ट गतिविधियां		
लक्ष्य	कुल 5 ई-ट्रैक्टर और 5 ई-माल वाहक खरीदना	नियमित जागरूकता कार्यक्रम और/या चिन्हित आवश्यकताओं के अनुसार	नियमित जागरूकता कार्यक्रम और/या चिन्हित आवश्यकताओं के अनुसार
	अनुमानित लागत		
अनुमानित लागत	5 ई-ट्रैक्टर की कुल लागत ~ ₹30,00,000 5 ई-वाणिज्यिक वाहनों की कुल लागत: ₹25,00,000 - 50,00,000		



मध्यवर्ती सार्वजनिक परिवहन

चरण	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट गतिविधियां	ग्राम पंचायत में मौजूदा ऑटो-रिक्शा को ई-ऑटोरिक्शा से बदलना	<ol style="list-style-type: none"> लास्ट माइल कनेक्टिविटी में वृद्धि के लिए ऑटो-रिक्शा की शुरुआत निजी इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए जनसमुदाय को इलेक्ट्रिक व्हीकल के लाभों के बारे में जानकारी देने के लिए जागरूकता अभियान ऑटो-रिक्शा के लिए मरम्मत और बैटरी स्वैपिंग/डिस्पोजल आउटलेट लगाने में बढ़ावा देना 	अधिक ऑटो-रिक्शा की खरीद
लक्ष्य		ग्राम पंचायत के IPT बेड़े में 10 और ऑटो-रिक्शा जोड़े जाएंगे (बढ़ती आबादी को समायोजित करने के लिए)	
अनुमानित लागत		<ul style="list-style-type: none"> 1 ऑटो-रिक्शा की लागत⁵¹: लगभग ₹3,00,00 उपलब्ध सब्सिडी: प्रति वाहन ₹12,000 <p>10 ऑटो-रिक्शा की प्रभावी लागत: ₹28,80,800</p>	

51 ई-ऑटोरिक्शा की कीमत रु. 1,50,000 - रु. 4,00,000 के बीच है, यह कॉन्फिगरेशन, बैटरी प्रकार और अन्य पर निर्भर करता है। ई-ऑटोरिक्शा की कीमत मुख्य रूप से परोपकार और अन्य फंडिंग एजेंसियों से संभावित सब्सिडी/अनुदान बीज पूंजी/व्यवहार्यता अंतर फंडिंग को ध्यान में रखते हुए मूल्य बैंड के मध्य में ली गई है।

वर्तमान योजनाएँ और कार्यक्रम

- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और मनरेगा के सहयोग से सड़क के बुनियादी अवसंरचना की मरम्मत और वृद्धि की जा सकती है।
- उ.प्र. इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण और गतिशीलता नीति, 2022 प्रदान करती है
 - » खरीददारों को 100% पंजीकरण शुल्क और रोड टैक्स में छूट (पॉलिसी अवधि में)
 - » 1 वर्ष की अवधि में डीलरों के माध्यम से खरीदारों को शुरुआती प्रोत्साहन⁵² के रूप में (एक बार) खरीद सब्सिडी - ई-माल वाहक: पूर्व-फैक्टरी लागत का @10%, ₹1,00,000 तक प्रति वाहन; 2-व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल: पूर्व-फैक्टरी लागत का @15%, ₹5000 तक प्रति वाहन; 3-व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल: पूर्व-फैक्टरी लागत का @15%, ₹12000 प्रति वाहन तक
- भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने और विनिर्माण चरण II (FAME II) योजना के अंतर्गत ई-रिक्शा के लिए सब्सिडी का भी लाभ उठाया जा सकता है।

अन्य स्रोत

- ग्राम पंचायत का रिसोर्स एनवलप और स्वयं के आय के स्रोत
- CSR सहयोग से बैंकों और सूक्ष्म-वित्त संस्थानों से ऋण

प्रमुख विभाग

- अवसंरचना एवं औद्योगिक विकास विभाग
- परिवहन विभाग
- पंचायती राज विभाग
- ग्राम्य विकास विभाग

52 सरकार की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी में समय-समय पर बदलाव किया जाता रहता है और यह बदलाव सब्सिडी की मात्रा और लाभार्थियों की संख्या दोनों पर प्रेक्ष्य में होता है। इस कारण योजना के किसी भी अनुभाग में उल्लेखित कोई भी सब्सिडी केवल सांकेतिक है और सामान की खरीद के समय इसकी पुष्टि की जानी आवश्यक है।

7

आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ावा देना



कृषि यहां की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है और 695 परिवार (58%) आय के लिए कृषि पर निर्भर हैं, जो भूमि-मालिक, कृषि भूमि किराए पर लेने या कृषि श्रमिकों जैसे विभिन्न कार्यों में संलग्न हैं। विशेष रूप से बदलती जलवायु और वर्तमान अस्थिर कृषि पद्धतियों के कारण कृषि क्षेत्र में आजीविका संबंधी असुरक्षाएँ हैं। इस प्रकार, आबादी के एक बड़े हिस्से की आजीविका अनिश्चित है। ग्राम पंचायत में आय के अन्य स्रोत गैर-कृषि, मजदूरी और स्थानीय व्यवसाय/दुकानें आदि हैं। पिछले 5 वर्षों में 15 परिवार बेहतर आजीविका की तलाश में ग्राम पंचायत से पलायन कर गए हैं⁵³। यह प्रवृत्ति अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में देखी जाती है। इसलिए, उल्लिखित गतिविधियों के अलावा, ग्राम पंचायत में नौकरियों के सीमित अवसर हैं। इस कार्ययोजना में उल्लिखित सुझाव आने वाले वर्षों में नए व्यवसायों और नौकरी के अवसरों के लिए कई रास्ते प्रदान करते हैं। इनका विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:



सतत उत्पादों के निर्माण में पहले से मौजूद स्वयं सहायता समूहों को शामिल करें

गतिविधि

1. सतत उत्पादों (बैग, घरेलू सजावट, कटलरी, स्टेशनरी आइटम, फर्नीचर, आदि) के निर्माण के लिए महिलाओं और स्वयं सहायता समूह को शामिल करना
2. क्षमता निर्माण:
 - उत्पाद रेंज का विविधीकरण
 - ग्राम पंचायत के अंदर और बाहर उत्पादों का प्रचार /बिक्री

लक्ष्य

प्रारंभिक संलग्नता:

- 100 महिलाएँ
- 17 स्वयं सहायता समूह (वर्तमान में सिलाई गतिविधियों में संलग्न)
- ग्राम पंचायत में उगाए गए बांस जैसे स्थानीय रूप से उपलब्ध कच्चे माल का उपयोग करें

ग्राम पंचायत और आस-पास के गांवों से दीर्घकालिक जुड़ाव:

- अतिरिक्त 200 महिलाएं
- अतिरिक्त SHG, MSME और व्यक्तिगत व्यवसायियों को जोड़ना

53 मैदान सर्वेक्षण के दौरान संकेतित अनुसार



जैविक कचरे से खाद बनाकर उर्वरक के रूप में बिक्री

गतिविधि

1. खाद के उत्पादन और बिक्री के लिए पंचायत, जनसमुदाय के सदस्यों और किसान समूहों के बीच साझेदारी मॉडल
2. जनसमुदाय के सदस्यों और किसान समूहों की क्षमता वृद्धि
 - खाद बनाने की तकनीक
 - ग्राम पंचायत में और बाहर खाद का विपणन और बिक्री

लक्ष्य

तात्कालिक लक्ष्य:

घरेलू कचरे से उत्पन्न खाद (जैविक): 60 किलोग्राम प्रतिदिन; 1800 किलोग्राम प्रतिमाह (वर्तमान अपशिष्ट उत्पादन के अनुसार)

दीर्घकालिक लक्ष्य:

जैविक अपशिष्ट उत्पादन के अनुसार खाद उत्पादन को बढ़ाना (जनसंख्या वृद्धि के आधार पर)



ई-माल वाहक और ई-ट्रैक्टर किराए पर लेने की सुविधा

गतिविधि

1. ई-माल वाहक और ई-ट्रैक्टर की वाणिज्यिक भर्ती (किराये के आधार पर) उ.प्र. इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति 2022 और फेम-इंडिया योजना चरण- II के अंतर्गत प्रोत्साहन के माध्यम से हरित व्यवसाय के अवसर प्रदान करती है।
2. उपयोगकर्ता समूहों (किसानों/लॉजिस्टिक्स मालिकों) को इसके उपयोग के प्रति संवेदनशील बनाना ई-ट्रैक्टर और ई-माल वाहक

लक्ष्य

तात्कालिक लक्ष्य:

1. 2 या 3 ई-ट्रैक्टर (अनुमानित लागत: ₹6 लाख प्रति ई-ट्रैक्टर)
2. 2 या 3 इलेक्ट्रिक व्हीकल मिनी माल परिवहन ट्रक (मिनी माल इलेक्ट्रिक व्हीकल परिवहन ट्रक की अनुमानित लागत: लगभग ₹9.2 लाख)

मध्यावधि लक्ष्य:

2/3 ई-ट्रैक्टर, 2/3 इलेक्ट्रिक व्हीकल मिनी माल परिवहन ट्रक की अतिरिक्त खरीद (नोट: पुरवा में आमतौर पर लगभग ₹6 लाख की लागत वाले 35 HP ई-ट्रैक्टर की आवश्यकता है।)



सौर ऊर्जा संचालित कोल्ड स्टोरेज के उपयोग के माध्यम से आजीविका में वृद्धि

गतिविधि

1. फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए छोटे और मध्यम किसानों (ग्राम पंचायत और आस-पास के गांवों में) को सौर ऊर्जा से संचालित कोल्ड स्टोरेज की जगह किराए पर देकर व्यवसाय के अवसर
2. व्यवसाय मॉडल/व्यवसायियों, किसान समूहों, सहकारी समितियों (जैसे) के बीच गठजोड़ फलों, सब्जियों, दूध और दूध उत्पादों के भंडारण के लिए पारस) और अन्य संस्थागत खरीददार

लक्ष्य

5 से 10 मीट्रिक टन क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज का निर्माण (सब्जी की खेती के अंतर्गत ~862 हेक्टेयर कुल फसल क्षेत्र) लागत: लगभग ₹8,00,000-₹15,00,000



प्राकृतिक औषधियों और पूरकों के उत्पादन और बिक्री के लिए आरोग्य वन

गतिविधि

1. प्राकृतिक औषधियों और पूरकों के उत्पादन के लिए आरोग्य वन बनाने और रख-रखाव के माध्यम से समुदायों के लिए आजीविका सृजन
2. कौशल विकास और प्रशिक्षण के लिए केंद्रीय औषधीय और सुगंधित पौधा संस्थान, लखनऊ के साथ साझेदारी

लक्ष्य

लगभग 0.2 हेक्टेयर भूमि को आरोग्य वन के रूप में लगाना



नवीकरणीय सौर ऊर्जा स्थापनाओं का संचालन एवं रखरखाव

गतिविधि

RE रख-रखाव में कौशल विकास के लिए जनसमुदाय के सदस्यों विशेषकर स्नातकों, युवा समूहों और किसान समूहों का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण।
CSR के सहयोग से ग्राम पंचायत में सौर और बायो-गैस लगाने और संचालन और रख-रखाव व्यवसाय लगाने में केंद्र और राज्य सरकार की अपस्किनिंग योजनाएँ

वित्तपोषण एवं कौशल विकास

1. हरित व्यवसायों और आजीविका में सहयोग करने के लिए बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों को संवेदनशील बनाना (विभिन्न क्रेडिट योजनाओं, साझेदारी/आय मॉडल के माध्यम से); सरकारी ऋण योजनाएँ जैसे मुद्रा ऋण, स्त्री शक्ति योजना आदि महिला व्यवसायियों का सहयोग कर सकती हैं।
2. सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों जैसे मेक इन इंडिया, विज्ञान और तकनीकी विभाग (DST) द्वारा संचालित उद्यमी विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन और अटल इनोवेशन मिशन के माध्यम से आवश्यक कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है।



विचारार्थ अतिरिक्त संस्तुतियों की सूची

इस अनुभाग में ग्राम पंचायत स्तर पर क्रियान्वयन के लिए अतिरिक्त विचार के लिए संभावित संस्तुतियों की एक सूची दी गई है। इन संस्तुतियों को भारत के विभिन्न हिस्सों और भौगोलिक क्षेत्रों में सफलतापूर्वक लागू किया गया है जिनमें उत्तर प्रदेश के साथ बहुत समानताएं हो सकती हैं। इन्हें मुख्य अनुशंसाओं में शामिल न करने का कारण यह है कि यह संस्तुतियां/परियोजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार की किसी भी वर्तमान योजना या कार्यक्रम या केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के दायरे में नहीं आती हैं। इसलिए इन परियोजनाओं का क्रियान्वयन वैकल्पिक वित्तपोषण विकल्पों, जैसे स्व-वित्तपोषण, CSR या ऐसे अन्य स्रोतों के माध्यम से करना होगा।

यदि यह परियोजनाएं लागू की जाती हैं, तो इनके माध्यम से समुदायों की अनुकूल क्षमताओं को और मजबूत करने की संभावना हो सकती है एवं इनके परिणामस्वरूप आजीविका में वृद्धि भी हो सकती है।

1. सौर ऊर्जा संचालित कोल्ड स्टोरेज इकाई (एफपीओ, एसएचजी व किसान):

- फसल कटाई के बाद की दक्षता बढ़ाने और नुकसान को कम करने के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाली कोल्ड स्टोरेज इकाई हैं।
- यह किसानों को संकटपूर्ण बिक्री से बचने में मदद करता है और किसानों की आय में सुधार करता है।

ये गतिविधियाये "आजीविका और हरित उद्यमिता को बढ़ाना" अनुभाग में चर्चा की गई पहलों को मजबूत करने में सहायता करेगी

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण^{54,55,56} :

- हैदराबाद, तेलंगाना में कट्टनगुर फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी लिमिटेड।
- घुम्मर किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) राजस्थान के पाली जिले की बाली तहसील के नाना गांव में स्थित है।

2. सौर निष्क्रिय डिजाइन और निष्क्रिय शीतलन:

नए निर्माण और रेट्रोफिटिंग के लिए (जहां भी संभव हो): ऊर्जा की मांग को कम करने और ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए आवासीय घरों और प्रशासनिक भवनों में टिकाऊ डिजाइन के साथ स्थानीय और पारंपरिक सामग्री को बढ़ावा देना चाहिए:

- घरों में सौर ज्यामिति के अनुसार भवन का अभिविन्यास करना चाहिए।
- घरों में प्राकृतिक वायु का कुशल संचलन होना चाहिए।
- घरों में सौर चिमनी के साथ पवन टॉवर का उपयोग करना चाहिए।
- घरों में प्राकृतिक प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए (पारंपरिक प्रकाश यानी बिजली से चलने वाले बल्ब, ट्युबलाइट आदि को कम करना)।
- घरों में ऊर्जा संरक्षण गतिविधियाँ करनी चाहिए।
- घरों में जल निकाय और डिज़ाइन किए गए परिदृश्य (वृक्षारोपण/बागवानी) करना चाहिए।

यह गतिविधि "स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच" अनुभाग में चर्चित पहलों को मजबूत करेगी।

54 https://selcofoundation.org/wp-content/uploads/2023/08/Compendium_Updated_20230922.pdf

55 <https://www.opportunityindia.com/article/empowering-women-fpo-through-solar-power-ghummar-fpo-34521>

56 <https://www.ecozensolutions.com/ecofrost/fpos-leverage-agri-infra-funds-for-ecofrost.html>

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

राजकुमारी रत्नावती बालिका विद्यालय⁵⁷ का थार रेगिस्तान, राजस्थान में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली 400 से अधिक लड़कियों के लिए निर्माण किया गया है: जिसमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित उपायों का उपयोग किया गया है :

- थर्मल आराम को अधिकतम करने के लिए बिल्डिंग ओरिएंटेशन पर ध्यान दिया गया है।
- प्रकाश और पंखे चलाने के लिए स्कूल के छतों पर सौर पैनल लगाये गए हैं।
- सोलर पैनल कैनोपी और स्क्रीन स्कूल के कमरों में ज्यादा गर्मी होने से बचाते हैं।
- छत का अण्डाकार आकार शीतलता (वायुप्रवाह) उत्पन्न करता है।
- इमारत की दीवारें हवा के प्रवाह को बढ़ाने में मदद करती हैं और धूप व रेत को स्कूल के कमरों में आने से रोकती हैं।
- निर्माण के लिए स्थानीय सामग्री का उपयोग किया गया है।

सोलर पैसिव कॉम्प्लेक्स, पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी (PEDA), चंडीगढ़⁵⁸ :

- भवन में एकीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र से 25 किलोवाट की बिजली का उत्पादन किया जाता है ।
- सौर ज्यामिति के अनुसार अभिविन्यास किया गए हैं ।
- भवन की छत (डिज़ाइन+सामग्री) गर्मी से राहत देने के उद्देश्य से बनाई गई ।
- सौर ऊर्जा से कमरों में एयर कंडीशनर और प्रकाश की जरूरत को पूरा किया जाता है (उदाहरण के लिए, लाइट वॉल्ट, सौर चिमनी के साथ पवन टॉवर) ।
- शीतलन और वायु शोधन के लिए छोटे तालाब और वृक्षारोपण (पेड़, झाड़ियाँ और घास)।

3. सौर ऊर्जा संचालित RO जल शोधन प्रणाली/ जल एटीएम कियोस्क का निर्माण:

सौर-आधारित आरओ (RO) जल शोधन प्रणाली स्वच्छ पेयजल की समस्या के लिए एक सतत और लागत प्रभावी समाधान प्रदान करती है। यह पानी के पुनः उपयोग को बढ़ावा देते हुए समुदाय को सुरक्षित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करता है। पेयजल की गुणवत्ता की समस्या से जूझ रही ग्राम पंचायत के लिए यह पहल लाभदायक हो सकती है।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

हिवरा लाहे गांव, जिला-वाशिम, राज्य-महाराष्ट्र⁵⁹ :

- सीएसआर समर्थन से सौर ऊर्जा संचालित जल शोधन प्रणाली/ जल एटीएम कियोस्क (समुदाय आधारित) को स्थापित किया गया।
- समुदाय की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार देखा गया ।
- प्रणाली के संचालन और प्रबंधन के लिए ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति को सक्षम बनाया गया ।
- इसी तरह की पहल गुजरात, तेलंगाना, राजस्थान आदि राज्यों में भी की गई है।

57 <https://www.avontuura.com/rajkumari-ratnavati-girls-school-diana-kellogg-architects>

58 <https://peda.gov.in/solar-passive-complex>

59 <https://yraindia.org/wp-content/uploads/2019/12/RO-plant-Success-story-in-Village-Hiwara-HDB-project.pdf>

4. सौर ऊर्जा संचालित पशु शेड का निर्माण:

पशु शेड मवेशियों को तीव्र गर्मी और शीतलहर से बचाने के लिए सौर ऊर्जा संचालित अनुकूली उपाय हैं। इस पहल में पशु शेड की छतों पर सौर ऊर्जा पैनलों लगाना जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का शमन करने में सहायक हैं। यह सौर ऊर्जा संचालित पशु शेड बिजली की मांग की भी पूर्ति कर सकते हैं। यह ऊर्जा की मांग में कमी और निष्क्रिय शीतलन और वेंटिलेशन प्रदान करने में सहायक हैं, इसके अलावा पशु शेड अन्य ऊर्जा की जरूरत को पूरा करता है जैसे की चारे की तैयारी और शेड में संचालन करने में ऊर्जा की ज़रूरत। अतिरिक्त उत्पादित बिजली को ग्रिड में डाला जा सकता है जिससे किसानों को अतिरिक्त आय उत्पन्न करने का स्रोत मिल सकता है।

इस तरह के पशु शेड बायोगैस उत्पादन और पशु अपशिष्ट (गोबर) से उर्वरक तैयार करने में भी मदद करेंगे। ये पशु शेड उचित पृथक और पशुओं को सुरक्षित स्थान प्रदान करके पशुओं में फैलने वाले रोगों के संचरण को कम करने में भी मदद कर सकते हैं।

यह गतिविधि संस्त्रुतियों के 'सतत कृषि' खंड में सतत पशुधन प्रबंधन सुझावों को मजबूत कर सकती है।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

जिले: लुधियाना, बठिंडा और तरनतारन, पंजाब^{60,61}

- यह परियोजना 3 जिलों में 1-2 हेक्टेयर भूमि और 5-15 डेयरी पशुओं वाले छोटे और सीमांत किसानों के 3000 परिवारों के लिए कार्यान्वित की गई
- पशु शेडों जलवायु को सुरक्षित करने और छोटे और सीमांत पशुधन किसानों की स्थायी आजीविका को बढ़ावा देते हैं

निर्मल गुजरात अभियान⁶²

- गुजरात के हिममतनगर में पशु छात्रावास गांवों को साफ रखने में मदद करते हैं।
- ऐसे पशु आश्रय स्थल (पशु छात्रावास) में बायोगैस और वर्मीकम्पोस्ट उत्पन्न करने के लिए गोबर एकत्र करने में भी प्रभावी हैं। इसके अतिरिक्त ग्राम कल्याण के लिए धन जुटाने के लिए वर्मीकम्पोस्ट बेचा जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, एक "अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी)⁶³" के तहत पशु शेड सब्सिडी योजना" है, जिसे गुजरात सरकार के पशुपालन, कृषि, किसान कल्याण और सहयोग विभाग निर्देशल्य द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इस योजना के तहत, अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को 2 जानवरों के लिए मवेशी शेड के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता (या तो ₹30,000/- या मवेशी शेड की लागत का 50%, जो भी कम हो) दी जाती है।

60 <https://pscst.punjab.gov.in/en/climate-resilient-livestock-production-system>

61 <https://moef.gov.in/wp-content/uploads/2017/08/Punjab.pdf>

62 <https://jayshaktiengg.com/gujarat-government-launches-solar-scheme-for-farmers/>

63 <https://www.myscheme.gov.in/schemes/cssscscpscc>

5. कूल रूफ/ठंडी छतें

घरों, सार्वजनिक इमारतों और सरकारी भवनों की छतों को सौर-परावर्तक पेंट से रंगना।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

जोधपुर, भोपाल, सूरत और अहमदाबाद में झुग्गी-झोपड़ी वाले घर⁶⁴

- स्थानीय सामुदायिक कार्यकर्ताओं ने परिवारों को अपनी खुद की ठंडी छत को पेंट करने के लिए प्रशिक्षित किया।
- प्रदर्शन आउटरीच: 460 से अधिक छतें में पेंट किया गया।
- पारंपरिक छतों की तुलना में घर के अंदर का तापमान 2 - 5°C कम पाया गया।

यह गतिविधि "स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच" अनुभाग से जुड़ी है।

6. चारे की संपूरक के उपयोग से मवेशियों से मीथेन उत्सर्जन को कम करना :

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)-राष्ट्रीय पशु पोषण और फिजियोलॉजी संस्थान ने पशुधन से मीथेन उत्सर्जन को कम करने में मदद के लिए फ्रीड सप्लीमेंट (हरित धारा और टैमरिन प्लस) विकसित किए हैं।

यह गतिविधि "सतत कृषि" अनुभाग से जुड़ी है।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

- इन सम्पूरकों के उपयोग से आंशिक मीथेन उत्सर्जन में 17-20% तक कम हो सकता है⁶⁵।
- आईसीएआर की रिपोर्ट के अनुसार इन पूरक आहार की कीमत ₹6 प्रति किलोग्राम है।

7. सौर ऊर्जा संचालित ऊर्ध्वाधर चारा उगाने वाली इकाइयों (घरेलू स्तर/ सामुदायिक स्तर) का निर्माण:

सौर ऊर्जा से संचालित, माइक्रोक्लाइमेट-नियंत्रित, ऊर्ध्वाधर चारा उगाने वाली इकाई उपयोगकर्ताओं को प्रतिदिन एक बाल्टी से भी कम पानी के साथ ताजा चारा काटने में सक्षम बनाती है। ऐसी इकाइयाँ सूखे की स्थिति में भी पशुओं के लिए चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगी।

यह गतिविधि "सतत कृषि" अनुभाग से जुड़ा है।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और बिहार राज्यों में⁶⁶

- ऊर्ध्वाधरचारा उत्पादक इकाइयों को अपनाने से पशुधन के लिए हरे चारे की उपलब्धता में वृद्धि।
- इससे किसानों की आय में वृद्धि होती है।

64 <https://www.nrcd.org/bio/anjali-jaiswal/cool-roofs-community-led-initiatives-four-indian-cities>

65 भारतीय कृषि परिषद की रिपोर्ट के अनुसार (<https://testicar.icar.gov.in/content/icar-nianp-commercializes-anti-methanogenic-feed-supplement-%E2%80%99Charit-dhara%E2%80%9D>)

66 <https://india.mongabay.com/2024/04/amid-fodder-crisis-hydroponics-offers-new-hope-for-indian-farmers/>

8. पंचायत स्तरीय जल बजटिंग

जलवायु-अनुकूल कृषि-आधारित आजीविका के लिए जल प्रबंधन और 'जल बजटिंग'

- वार्षिक/त्रैमासिक जल बजट की गणना।
- ग्राम स्तर पर "जल की कमी" और "जल अधिशेष" की गणना।
- पानी की उपलब्धता के आधार पर वार्षिक फसल उत्पादन योजना।
- जल बर्बादी को रोकने के लिए जल ऑडिट।

यह गतिविधि कार्ययोजना के सतत कृषि और जल संसाधन प्रबंधन अनुभागों से जुड़ी है। यह पहल फसल चयन/योजना, खेत तालाब, बेहतर सिंचाई विधियों, जल पुनर्भरण आदि जैसे कई हस्तक्षेपों को सुदृढ़ बनाएगी।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

ग्राम पंचायतें (जीपी) और पड़ोसी बस्तियां, रंगारेड्डी और नागौरकुर्नूल जिले, तेलंगाना⁶⁷

- यह गतिविधि पानी की खपत की वर्तमान स्थिति व खपत को अनुकूलित करने के उपाय दोनों को पहचानने में मदद करेगी।
- इस गतिविधि के द्वारा प्रत्येक कृषि मौसम यानी खरीफ़ (मानसून), रबी (सर्दी), और ज़ैद (गर्मी) के लिए योजना बनाने में भी सहायता मिल सकती है।

9. जलवायु प्रभाव क्षेत्रों में ग्रामीण महिला उद्यमियों को सक्षम बनाना

गांवों में महिलाओं के नेतृत्व वाली जमीनी स्तर की उद्यमिता सहायता पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण:

- महिलाएं स्वच्छ/हरित प्रौद्योगिकी-आधारित उत्पाद की बिक्री करें।
- महिलाएं समुदायों को स्वच्छ-प्रौद्योगिकियों के महत्व पर शिक्षित करें।
- उदाहरण के लिए, स्वच्छ खाना पकाने (सौर कुकस्टोव), पोर्टेबल सौर जल शोधक, एनर्जी एफिफिसिएंट लाइट, आदि।
- महिलाओं को व्यवसाय विस्तार ऋण उपलब्ध कराया जाए।
- ग्रामीण विपणन और वितरण संबंधों को सुविधाजनक बनाया जाए।

ग्रामीण महिलाओं को उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र में सक्षम बनाने के लिए व्यावसायिक कौशल विकास, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण।

इस पहल का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों और जलवायु प्रभाव क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिका और भागीदारी को मजबूत करना है। यह कार्ययोजना के आजीविका और हरित उद्यमिता को बढ़ाने वाले अनुभाग से जुड़ता है।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

4 राज्यों (महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात और तमिलनाडु) में 14 जिले⁶⁸

स्वयं शिशन प्रयोग (एसएसपी) महिलाओं को उनके ग्रामीण समुदायों में स्वच्छ ऊर्जा उद्यमियों और जलवायु परिवर्तन नेताओं के रूप में सक्षम बनाता है:

- 60,000 से अधिक ग्रामीण महिला उद्यमियों को स्वच्छ ऊर्जा, सतत कृषि, स्वास्थ्य और पोषण, और सुरक्षित पानी और स्वच्छता में सक्षम बनाया गया।
- 1,000 से अधिक महिला उद्यमियों ने स्वच्छ-ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षण लिया और व्यवसाय शुरू किया।

67 <https://wotr.org/2018/03/31/water-budgeting-in-telangana-the-need-and-the-objective-of-the-campaign/>

68 <https://unfccc.int/climate-action/momentum-for-change/women-for-results/rural-community-leaders-combatting-climate-change>

10. सामुदायिक बीज बैंक

- सामुदायिक बीज बैंक क्षेत्र में फसल विविधीकरण और स्थिरता को बढ़ावा देंगे एवं स्थानीय बीज प्रणालियों को मुख्यधारा में लाएंगे, तथा जलवायु परिवर्तन के प्रति सुदृढ़ बनाएंगे।
- ऐसे बीज बैंक किसानों को सूखा-सहिष्णु और जलवायु परिवर्तन अनुरोधक फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
- किसानों के लिए सुरक्षा जाल सुनिश्चित करें, विशेष रूप से प्रतिकूल मौसम की स्थिति और भोजन की कमी के दौरान।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

सामुदायिक बीज बैंक, डंगधोरा, जोरहाट, असम (UNEP-GEF परियोजना)⁶⁹

- बीज बैंक से जुड़े किसानों को स्थानीय बाजार में उपलब्ध बीजों की तुलना में बेहतर गुणवत्ता वाले बीजों की कटाई, उपचार, भंडारण और गुणा करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।
- बीज बैंक की पहल सहभागी फसल सुधार और ज्ञान-साझाकरण रणनीतियों को बढ़ावा देती है।
- किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीजों तक सस्ते और आसान पहुंच प्रदान की जाती है व किसानों को बाज़ार से भी जोड़ती है।
- यह बीज प्रणालियाँ व इनकी मूल्य श्रृंखलाएँ स्थिरता और खाद्य सुरक्षा दोनों की रक्षा करती हैं।

11. जैव-संसाधन केंद्र (बीआरसी) की स्थापना

जैव-इनपुट संसाधन केंद्र (बीआरसी) प्राकृतिक खेती को अपनाने की सुविधा के लिए जैव-इनपुट तैयार करते हैं और आपूर्ति करते हैं। बीआरसी से किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए जैव-इनपुट स्वयं तैयार करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि जैव-इनपुट तैयार करना एक समय लेने वाली और श्रम-गहन गतिविधि है।

- मिट्टी के स्वास्थ्य, फसल उपज की वृद्धि, कीट या रोग प्रबंधन में सुधार के लिए उपयोगी जैविक संस्थाओं या जैविक रूप से व्युत्पन्न इनपुट का उपयोग करने वाले स्थानीय रूप से तैयार उत्पाद किसानों द्वारा खरीद के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं।
- बीआरसी क्षेत्र के किसानों की सभी जैव इनपुट आवश्यकताओं के लिए सिंगल-स्टॉप शॉप के रूप में कार्य करता है।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

आंध्र प्रदेश राज्य में⁷⁰

- सतत जलवायु-अनुकूल कृषि में योगदान देता है।
- किसानों को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल ढलने में मदद मिलती है क्योंकि उच्च कार्बनिक पदार्थ की मात्रा मिट्टी को बाढ़, सूखे और भूमि क्षरण प्रक्रियाओं के प्रति अधिक लचीला बनाती है।
- कृषि-पारिस्थितिकी तंत्र और पैदावार में स्थिरता होने के परिणामस्वरूप जोखिम कम हो जाता है, और उत्पादन लागत भी कम हो जाती है।







69 <https://alliancebioiversityciat.org/stories/community-seed-banks-empower-farmers-address-climate-risk-india>

70 <https://www.apmas.org/pdf/csv/casestudy-1.pdf>

7









अनुकूलन, सह-लाभ और सतत विकास लक्ष्यों से जुड़ाव

हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना







सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियां	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया ⁷¹
<p>क. हरित क्षेत्रों में वृद्धि</p> 	<ul style="list-style-type: none"> जलवायु घटनाओं/आपदाओं से प्राकृतिक सुरक्षा सूक्ष्म जलवायु को विनियमित करने से हीटवेव और गर्मी के तनाव से अनुकूलन में सहायता मिलेगी औषधीय पौधों तक पहुंच से स्वास्थ्य लाभ बेहतर मृदा स्थिरता, जल संरक्षण और संबंधित कृषि लाभों के लिए प्रकृति-आधारित समाधान (एनबीएस)। पशुधन उत्पादकता में सुधार कृषिवानिकी, प्राकृतिक औषधियों के उत्पादन आदि से राजस्व सृजन। जैवविविधता के लिए बेहतर पर्यावरण और आवास, पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में वृद्धि 	<p>एसडीजी 11: सतत शहर और समुदाय</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 11.7 लक्ष्य 11.4 <p>एसडीजी 12: सतत खपत और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 12.2 <p>एसडीजी 13: जलवायु कार्रवाई</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 13.1 लक्ष्य 13.2 लक्ष्य 13.3 <p>एसडीजी 15: भूमि पर जीवन</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 15.1 लक्ष्य 15.2 लक्ष्य 15.3 लक्ष्य 15.5 लक्ष्य 15.9
<p>ख. जन जैवविविधता रजिस्टर</p> 		   

71 प्रासंगिक एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों की विस्तृत सूची अनुलग्नक V में दी गई है

जल निकायों का प्रबंधन और कायाकल्प

सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियां	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया
क. वर्षा जल संचयन (RWH) को बढ़ावा देना 	<ul style="list-style-type: none"> • प्रकृति-आधारित समाधान (एनबीएस) पानी की कमी और पानी से जुड़ी समस्याओं से निपटने की क्षमता को बढ़ाता है • बेहतर भूजल पुनर्भरण • पानी की गुणवत्ता में वृद्धि • सूखा, लू आदि जैसी आपदाओं के प्रति लचीलापन बढ़ा। • कृषि एवं पशुधन उत्पादकता में सुधार • स्थानीय जैवविविधता को बढ़ावा 	<p>एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ लक्ष्य 6.1 ▪ लक्ष्य 6.4 ▪ लक्ष्य 6.5 <p>एसडीजी 11: सतत शहर और समुदाय</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ लक्ष्य 11.4 <p>एसडीजी 12: सतत खपत और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करें</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ लक्ष्य 12.2
ख. जल स्रोतों का रखरखाव 		<p>एसडीजी 13: जलवायु कार्रवाई</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ लक्ष्य 13.1 ▪ लक्ष्य 13.2 <p>एसडीजी 15: भूमि पर जीवन</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ लक्ष्य 15.1 ▪ लक्ष्य 15.5
ग. जल निकासी और सीवेज की बुनियादी अवसंरचना में वृद्धि 		    

सतत कृषि


सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियां	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया
क. जलवायु परिवर्तन सहनशीलता विकसित करना 	<ul style="list-style-type: none"> • सूखे, गर्मी के प्रभाव, कीटों आदि से फसलों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए इको-डीआरआर दृष्टिकोण के माध्यम से खाद्य सुरक्षा • कृषि उत्पादकता एवं लाभ में वृद्धि • मृदा स्वास्थ्य में सुधार • रासायनिक आदानों के कम उपयोग के कारण पानी की गुणवत्ता में सुधार हुआ • शीत लहर और गर्मी की लहर के दौरान पशुधन की हानि कम हुई और उत्पादकता में वृद्धि हुई • वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ और उत्सर्जन में कमी आई 	<p>एसडीजी 2: शून्य भूख</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ लक्ष्य 2.3 ▪ लक्ष्य 2.4 ▪ लक्ष्य 2.ए; अनुच्छेद 10.3.ई <p>एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ लक्ष्य 6.4 ▪ लक्ष्य 13.1 <p>एसडीजी 13: जलवायु कार्रवाई</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ लक्ष्य 13.2 ▪ लक्ष्य 13.3
ख. सतत पशुधन प्रबंधन 		  
ग. प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को अपनाना 		

सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियां	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया
<p>क. अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की स्थापना</p> 	<p>a. जलभराव कम हुआ</p> <p>b. जल और भूमि प्रदूषण में कमी/स्वच्छता में सुधार</p> <p>c. 100% अपशिष्ट प्रबंधन और सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों और महामारी की घटनाओं में कमी के कारण अच्छा स्वास्थ्य और अपेक्षाकृत रोग-मुक्त वातावरण</p> <p>d. आजीविका और आय सृजन</p>	<p>एसडीजी 3: अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 3.3 लक्ष्य 3.9 <p>एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 6.3 लक्ष्य 6.8
<p>ख. कचरे का सतत प्रबंधन</p> 	<p>e. राजस्व और लाभ सृजन</p> <p>f. सतत कृषि के लिए उन्नत इनपुट</p>	<p>एसडीजी 8: सभ्य कार्य और आर्थिक विकास</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 8.3 <p>एसडीजी 9: उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 9.1
<p>ग. एकल-उपयोग-प्लास्टिक पर प्रतिबंध</p> 		<p>एसडीजी 12: सतत खपत और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करें</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 12.4 लक्ष्य 12.5 लक्ष्य 12.8 <p>एसडीजी 13: जलवायु कार्रवाई</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 13.1 लक्ष्य 13.2 लक्ष्य 13.3 <p>एसडीजी 15: भूमि पर जीवन</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 15.1










स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच

सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियां	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया
<p>क. सोलर रूफटॉप की संस्थापना</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ऊर्जा सुरक्षा उष्ण आराम उन्नत आजीविका विकल्प अतिरिक्त राजस्व सृजन उच्च तापमान/धूप के संपर्क से रहत प्रदान करता है जिसके परिणामस्वरूप उपज में स्थिरता और उत्पादकता में वृद्धि होती है विषैले उत्सर्जन/स्थानीय वायु प्रदूषण में गिरावट पे-बैंक अवधि के बाद आर्थिक लाभ घर के अंदर वायु प्रदूषण में कमी विशेषकर महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार ईंधन की लकड़ी इकट्ठा करने के कठिन परिश्रम/शारीरिक श्रम को समाप्त करता है आपदाओं के दौरान ग्रिड विफलताओं से निपटने की क्षमता में वृद्धि 	<p>एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 6.4 <p>एसडीजी 7: सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 7.1 लक्ष्य 7.2 लक्ष्य 7.3 लक्ष्य 7.ए लक्ष्य 7.बी <p>एसडीजी 9: उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 9.1 <p>एसडीजी 13: जलवायु कार्रवाई</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 13.2 लक्ष्य 13.3
<p>ख. कृषि-फोटोवोल्टिक</p> 		
<p>ग. सौर पंप</p> 		
<p>घ. रसोई में स्वच्छ ईंधन का प्रयोग/क्लीन कुकिंग</p> 		
<p>ङ. ऊर्जा दक्षता</p> 		
<p>च. सोलर स्ट्रीट लाइट</p> 		



सतत और उन्नत गतिशीलता

सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियां	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया	
<p>क. वर्तमान सड़क बुनियादी अवसंरचना का प्रसार</p> 	<ul style="list-style-type: none"> स्थानीय वायु प्रदूषण में गिरावट से मानव और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में सुधार जोखिम वाले और संवेदनशील लोगों के लिए बेहतर पहुंच अतिरिक्त राजस्व सृजन वस्तुओं और सेवाओं की अंतिम-मील कनेक्टिविटी में वृद्धि जलभराव कम करने जैसे सह-लाभों के साथ सड़क बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के माध्यम से लचीलेपन में सुधार 	<p>एसडीजी 7: सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 7.2 <p>एसडीजी 11: सतत शहर और समुदाय</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 11.2 	
<p>ख. मध्यवर्ती सार्वजनिक परिवहन (आईपीटी) को बढ़ाना</p> 		<p>एसडीजी 9: उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 9.1 	   
<p>ग. इलेक्ट्रिक माल परिवहन वाहन और ई-ट्रैक्टर किराए पर लेने की सुविधा</p> 		<p>एसडीजी 13: जलवायु कार्रवाई</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 13.2 लक्ष्य 13.3 	

आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ावा देना

सुझाई गई क्लाउडमेट स्मार्ट गतिविधियां	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया
<p>क. सतत उत्पादों के निर्माण में पहले से मौजूद स्वयं सहायता समूहों को शामिल करें</p> 	<ul style="list-style-type: none"> जल एवं भूमि प्रदूषण में कमी सतत कृषि के लिए उन्नत सुझाव 001% अपशिष्ट प्रबंधन और सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों और महामारी की घटनाओं में कमी के कारण अच्छा स्वास्थ्य और अपेक्षाकृत रोग-मुक्त वातावरण 	<p>एसडीजी 5: लैंगिक समानता हासिल करना और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 5.5
<p>ख. जैविक कचरे को खाद बनाकर उर्वरक के रूप में बिक्री</p> 	<ul style="list-style-type: none"> अतिरिक्त राजस्व सृजन आजीविका के उन्नत विकल्प औषधीय पौधों तक पहुंच से स्वास्थ्य लाभ 	<p>एसडीजी 8: सभ्य कार्य और आर्थिक विकास</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 8.3
<p>ग. ई-माल वाहक और ई-ट्रैक्टर किराए पर लेने की सुविधा</p> 	<ul style="list-style-type: none"> कृषिवानिकी, प्राकृतिक औषधियों के उत्पादन आदि से राजस्व सृजन। जैवविविधता के लिए बेहतर पर्यावरण और आवास, पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में वृद्धि 	<p>एसडीजी 12: सतत खपत और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करें</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 12.2 लक्ष्य 12.4 लक्ष्य 12.5 लक्ष्य 12.8
<p>घ. सौर ऊर्जा संचालित कोल्ड स्टोरेज के उपयोग के माध्यम से आजीविका में वृद्धि</p> 	<ul style="list-style-type: none"> स्थानीय वायु प्रदूषण में गिरावट से मानव और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है वस्तुओं और सेवाओं की अंतिमलमी-धिद्ध में टीविटिक्नेक 	<p>एसडीजी 13: जलवायु कार्रवाई</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 13.1 लक्ष्य 13.2 लक्ष्य 13.3
<p>ङ. प्राकृतिक औषधियों और पूरकों के उत्पादन और बिक्री के लिए आरोग्य वन</p> 		
<p>च. नवीकरणीय सौर ऊर्जा स्थापनाओं का संचालन एवं रखरखाव</p> 		



कार्यान्वयन पर प्रस्तावित सुझाव न केवल ग्राम पंचायत पुरवा के ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन को कम करने में बल्कि ऊर्जा, खाद्य और जल सुरक्षा भी हासिल करने में भी मदद करेंगे, जिससे ग्राम पंचायत जलवायु स्मार्ट, लचीली (रेजिलिएंट) और सतत बनेगी। यह अपने निवासियों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ग्राम पंचायत के समग्र और सतत विकास को बढ़ावा देगी। इसके अतिरिक्त, ये सुझाव प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व को बढ़ावा देते हुए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करेंगे। पुरवा के लिए यह जलवायु स्मार्ट कार्ययोजना ऊर्जा, कृषि इनपुट, पानी आदि पर खर्च में कमी जैसे विभिन्न पहलुओं के माध्यम से इसे 'आत्मनिर्भर' बनाएगी और आर्थिक विकास के नए रास्ते खोलेगी।

इसके अतिरिक्त, प्रस्तावित हस्तक्षेपों के कार्यान्वयन से जलवायु परिवर्तन पर उत्तर प्रदेश राज्य कार्ययोजना II, 2022 में परिकल्पना के अनुसार, पुरवा जलवायु कार्यवाही पर राज्य के दृष्टिकोण और लक्ष्यों में भी योगदान देगा, जो बदले में, जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए देश के प्रयासों को सशक्त करेगा, जिससे एनडीसी (NDC), 2015 और इसके अद्यतन संस्करण, 2022 में सूचीबद्ध योगदान और 2030 तक सतत विकास लक्ष्य भी प्राप्त होंगे।

जलवायु संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए स्थानीय स्तर पर अनुरूप समाधान की आवश्यकता है, जो पर्याप्त जलवायु वित्त की उपलब्धता से ही सफल हो सकता है। इसे राज्य और केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत समर्थित चल रही गतिविधियों को एकीकृत करके और अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाकर हासिल किया जा सकता है। इससे सभी प्रासंगिक हितधारकों: समुदाय, सरकारी प्रशासन, निर्वाचित प्रतिनिधियों और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग में वृद्धि होगी। कार्ययोजना के क्रियान्वयन के बाद, नए बुनियादी ढांचे/प्रौद्योगिकी के कुशल प्रबंधन के रूप में निरंतर कार्यवाही पुरवा को एक मॉडल जलवायु स्मार्ट ग्राम पंचायत बनने को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण होगी। वर्तमान योजना की सफलता संभवतः अन्य ग्राम पंचायतों को खुद को स्मार्ट, लचीला और सतत बनाने की प्रक्रिया का पालन करने के लिए प्रभावित करेगी। इस दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए, माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित लाइफ (LiFE) मिशन की तर्ज पर, एक स्थायी जीवन शैली को अपनाने के लिए सामुदायिक स्वामित्व और व्यवहार परिवर्तन की भावना को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण होगा।

अनुलग्नक I: पृष्ठभूमि और कार्यप्रणाली

पृष्ठभूमि

उत्तर प्रदेश (यूपी) राज्य जलवायु कार्ययोजना की दिशा के प्रति तेजी से प्रगति कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री, श्री योगी आदित्यनाथ के दूरदर्शी और प्रेरणादायक नेतृत्व के अंतर्गत, राज्य ने शासन के विभिन्न स्तरों पर जलवायु कार्ययोजनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला शुरू की है। ऐसी ही एक पहल 'जलवायु स्मार्ट ग्राम पंचायतों' के लिए कार्ययोजना को विकसित करना है।⁷² इस अवधारणा की परिकल्पना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जून, 2022 में की थी। इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, उत्तर प्रदेश के 39 संवेदनशील जिलों में जलवायु अनुकूल ग्राम पंचायतों की पहचान करने के लिए एक त्वरित बहु-मानदंड आकलन⁷² किया गया था। चयनित ग्राम पंचायतों की घोषणा की गई और इनमें से कई का 5 जून, 2022 को आयोजित 'पंचायतों के सम्मेलन' (सीओपी (COP)) के दौरान अभिनंदन किया गया था।

पुरवा के लिए जलवायु स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना⁷³ वसुधा फाउंडेशन और गोरखपुर एनवायरमेंटल एक्शन ग्रुप के सहयोग से पर्यावरण, वन और जलवायु कार्ययोजना विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकसित की गई है। कार्ययोजना का उद्देश्य ग्राम पंचायत स्तर पर जलवायु कार्ययोजना को मुख्यधारा में लाने के लिए एक अनुकूलित खाका प्रदान करना है। यह बदले में न केवल जलवायु लचीलापन बनाने के लिए स्थानीय जलवायु पहलों को मजबूत करेगा, बल्कि 2030 तक शून्य कार्बन/कार्बन तटस्थ बनने के उद्देश्य के साथ उत्सर्जन को भी कम करेगा।

इस कार्ययोजना को विकसित करने में अपनाया गया सहभागी दृष्टिकोण बॉटम-अप प्लानिंग की अवधारणा का समर्थन करता है। इस कार्ययोजना में दी गई प्रमुख सुझावों को व्यक्तिगत प्रायोगिक परियोजनाओं में परिवर्तित किया जा सकता है जिन्हें सीएसआर (CSR) निधि, वर्तमान राज्य एवं केंद्र सरकार के कार्यक्रमों, नवीन सार्वजनिक-निजी साझेदारी, कार्बन वित्त और निजी निवेश जैसे वित्तपोषण विकल्पों की एक श्रृंखला के माध्यम से वित्त पोषित किया जा सकता है।

इसे व्यवहार्य बनाने के लिए, कार्ययोजना में पंचायत-निजी-साझेदारी (पीपीपी (PPP)) विकसित करने के लिए एक रूपरेखा भी है और इस कार्ययोजना के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य अभिनेताओं और गैर-राज्य अभिनेताओं के बीच सहकार्यता और सहयोग बढ़ाया गया है।

72 उत्तर प्रदेश के 39 अति संवेदनशील जिलों की पहचान उत्तर प्रदेश के जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्ययोजना 2.0 और डीओईएफसीसी (DoEFCC), गोयूपी (GoUP) द्वारा उत्तर प्रदेश में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन नियोजन हेतु विस्तार पूर्वक आकलन से की गई थी

73 इस दस्तावेज़ में मुख्य जलवायु स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना है और इसमें अनुलग्नक के रूप में निम्नलिखित शामिल हैं: विस्तृत कार्यप्रणाली; भरी गई प्रश्नावली; खतरा, जोखिम, भेद्यता एवं क्षमता आकलन (एचआरवीसीए (HRVCA)) रिपोर्ट, और ग्राम पंचायत का सामाजिक और संसाधन मानचित्र।

कार्यप्रणाली

प्रस्तुत रिपोर्ट में मुख्य जलवायु स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना के साथ-साथ समुदाय के सहयोग से भरी गयी प्रश्नावली, एचआरवीसीए रिपोर्ट, अनुलग्नक के रूप में संलग्न ग्राम पंचायत का सामाजिक एवं संसाधन मानचित्र से प्राप्त जानकारी सम्मिलित हैं।

जलवायु स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना को तैयार करने के लिए, निम्नलिखित गतिविधियों का आयोजन किया गया :

- सर्वेक्षण प्रश्नावली तैयार करना: जमीनी स्तर पर स्थिति को समझने और ग्राम पंचायत के आधारभूत परिदृश्य विकसित करने के लिए प्रमुख हितधारकों और क्षेत्रीय विशेषज्ञों के इनपुट के साथ एक प्रश्नावली तैयार की गई। इस प्रश्नावली में जनसांख्यिकी, सामाजिक-आर्थिक संकेतक, जलवायु परिवर्तनशीलता, जलवायु संबंधी धारणा (पिछले 5 वर्ष), ऊर्जा, कृषि और पशुधन, भूमि संसाधन, स्वच्छता और स्वास्थ्य जैसे विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया। सर्वेक्षण का उद्देश्य ग्राम पंचायत में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं तक पहुंच को समझना भी था।
- हितधारकों के साथ परामर्श और क्षमता निर्माण: स्थानीय सहयोगी स्वयं सेवी संस्थाओं, ग्राम प्रधानों, पंचायत सचिवों के लिए परामर्श और क्षमता निर्माण कार्यशालाएं आयोजित की गईं। हितधारकों को जलवायु स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना के उद्देश्य और इनके घटकों, इन कार्ययोजनाओं के विकास की प्रक्रिया और इसमें उनकी व्यक्तिगत भूमिकाओं के बारे में जानकारी दी गई।
- इसके अतिरिक्त, सहयोगी स्वयं सेवी संस्थाओं को प्रमुख जलवायु परिवर्तन अवधारणाओं, अपनाई जाने वाली सर्वेक्षण तकनीकों और फोकस समूह चर्चाओं के लिए विकसित प्रश्नावली पर प्रशिक्षण भी दिया गया।
- क्षेत्र का सर्वेक्षण: समुदाय से अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु, प्राथमिक डेटा एकत्र करने के उद्देश्य से ग्राम सभा और समूह केन्द्रित चर्चाओं का आयोजन किया गया।
 - » क्षेत्र सर्वेक्षण में ग्राम पंचायत के सामाजिक और संसाधन मानचित्र तैयार करने के लिए ग्राम पंचायत का भ्रमण भी किया गया।
 - » ग्राम पंचायत के सामने आने वाले विभिन्न मुद्दों को समझने के लिए एक खतरा, जोखिम, संवेदनशीलता और क्षमता आकलन (एचआरवीसीए) भी किया गया था।
 - » पुरवा ग्राम पंचायत द्वारा सामना किए जाने वाले प्रमुख जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों को चिह्नित करने के साथ-साथ पंचायत की विकास प्राथमिकताओं की पहचान करने के लिए समूह केन्द्रित चर्चाएं की गईं।
- प्राप्त इनपुट के आधार पर, योजना विकसित की गई और ग्राम पंचायत के लिए आधारभूत मूल्यांकन किया गया। इसमें जलवायु-स्मार्ट गतिविधियों की पहचान शामिल है जो न केवल पहचाने गए पर्यावरणीय और जलवायु संबंधी मुद्दों को संबोधित करती हैं बल्कि ग्राम पंचायत (जीपी) की प्रचलित कृषि-जलवायु विशेषताओं को भी ध्यान में रखती हैं।
- ग्राम प्रधान, समुदाय और पंचायत सचिव के साथ व्यक्तिगत रूप में चर्चा के कई दौरों के माध्यम से जानकारी संबंधी कमियों की पहचान की गई और उन्हें दूर किया गया।
- योजना की रूपरेखा की समीक्षा करने के लिए ग्राम पंचायत को प्रस्तुत किया गया था।
- ग्राम पंचायत से मिले सुझाव के आधार पर आवश्यक अपडेट को समायोजित करने के बाद, कार्ययोजना को अंतिम रूप दिया गया और अनुमोदन के लिए ग्राम पंचायत को प्रस्तुत किया गया।

अनुलग्नक II: प्रश्नावली



उत्तर प्रदेश क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत की सर्वे प्रश्नावली

ग्राम पंचायत : पुरवा

विकासखण्ड : कछौना

जनपद : हरदोई

I. गाँव की रूपरेखा

	विवरण	संख्या (सूचना का स्रोत- समुदाय के सदस्य)
1	राजस्व गाँव की संख्या	1
2	टोलों की संख्या	6
3	a कुल जनसंख्या	4506
	b कुल पुरुषों की जनसंख्या	2367
	c कुल महिलाओं की जनसंख्या	2139
	d विकलांगजन की जनसंख्या	27
	e कुल बच्चों की जनसंख्या	317
	f वरिष्ठ नागरिक (60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग)	42
4	कुल परिवार की संख्या	809
a	गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की संख्या	168
5	कुल भौगोलिक क्षेत्रफल	413.3540 हेक्टेयर
6 a	साक्षरता दर	90%
7 a	पक्का घरों की संख्या	741
b	कच्चा घरों की संख्या (मुख्य रूप से उपयोग की गई सामग्री का उल्लेख करें)	68 (खपरैल, घास, फूस मिट्टी)





II. सामाजिक आर्थिक

8	ग्राम पंचायत में केवल कृषि (प्रकार) पर आश्रित परिवार	कुल परिवारों की संख्या	
	निजी भूमि/स्वयं की भूमि	809	
	किराए की भूमि (हुण्डा)	0	
	अनुबंध खेती	0	
	दिहाड़ी मजदूर	300	
	अन्य व्यवस्था (रेहन, अधिया आदि)	96	
	अन्य सूचनाएं/जानकारी (एक से अधिक कृषि गतिविधि में शामिल परिवार, उल्लेख करें)	0	
9	ग्राम पंचायत में आय के स्रोत	कुल परिवारों की संख्या	
	सेवा क्षेत्र (उदाहरण: अध्यापन, बैंक, सरकारी नौकरी आदि)	72	
	कुटीर उद्योग	4	
	कृषि	695	
	कला/हस्तकला	110 (बुनाई एवम चिकन के कपड़े की कढ़ाई)	
	पशुपालन	85 (गाय, भैंस, भेड़ एवं बकरी पालन)	
	व्यवसाय (स्थानीय दुकान)	46 (किराने की दुकान मुख्य रूप से)	
	व्यवसाय/उद्यम	35 (आटा चक्की, पालेशर, दुग्ध)	
	दैनिक/दिहाड़ी मजदूर (अकृषिगत)	149	
	अन्य	Nill	
10	पलायन	हां	नहीं
	a क्या पिछले पांच वर्षों में आप के ग्राम पंचायत से ग्रामीणों ने पलायन किया है?	हां	<input type="checkbox"/>
	b पलायन करने वाले स्थान	15	पलायन के मुख्य कारण
	अन्य गांव		आजीविका हेतु
	निकट के शहर		
	राज्य के प्रमुख शहर		नोएडा, लखनऊ
	देश के प्रमुख महानगर		दिल्ली
	c क्या पिछले पांच वर्षों में आप के ग्राम पंचायत में परिवार/व्यक्ति ने प्रवास किए हैं?	हां	नहीं
		हां	<input type="checkbox"/>





d	पिछले पांच वर्षों में आपके ग्राम पंचायत में कितने परिवार प्रवास किए हैं? मुख्य कारण स्पष्ट करें।	कुल 7 परिवारों ने प्रवास किया तथा अपने घर में कुछ दिन रुकने के उपरांत चले गए
---	--	--

11 महिलाओं की स्थिति		
a	महिला प्रमुख परिवारों की संख्या (आय का मुख्य स्रोत- महिला)	46
b	खेती में कार्यरत महिला	56
	निजी भूमि/स्वयं की भूमि	42
	किराएकी भूमि/हुण्डा	*
	अनुबंध खेती	*
	दिहाड़ी मजदूर	56
	अन्य व्यवस्था	*
	अन्य सूचनाएं/जानकारी (एक से अधिक कृषि गतिविधि में संलग्न महिलाएं, उल्लेख करें)	आधिकांश महिलाएं ब्रेती एवं मजदूरी से जुड़ी हुई हैं
c	नौकरी/अन्य क्षेत्र में कार्यरत महिलाएं	
	सेवा क्षेत्र (उदाहरण: अध्यापन, बैंक, सरकारी नौकरी आदि)	7
	कुटीर उद्योग	0
	कृषि	56
	कला/हस्तकला	110
	पशुपालन	52
	व्यवसाय (स्थानीय दुकान)	25
	दैनिक/दिहाड़ी मजदूर (अकृषिगत)	42
	अन्य	0





12	स्वयं सहायता समूहों				
	स्वयं सहायता समूह का नाम	सदस्यों की संख्या	अपनायी गई गतिविधियाँ	वार्षिक बचत (₹0)	बैंकों से जुड़ाव/अजुड़ाव
1	बालाजी स्वयं सहायता समूह	10	किराने की दुकान की गयी	6600	CCL है
2	तुलसी आजीविका स्वयं सहायता समूह	10	भैंस पालन	6500	CCL है
3	मंगलेश्वर बाबा स्वयं सहायता समूह	12	बकरी एवम भैंस पालन	6000	CCL है
4	भोले बाबा स्वयं सहायता समूह	10	बकरी पालन	6000	CCL है
5	बजरंग बली स्वयं सहायता समूह	10	किराने की दुकान की गयी	6000	CCL है
6	विकाश स्वयं सहायता समूह	10	भैंस पालन	6000	CCL है
7	किरणबेदी स्वयं सहायता समूह	10	दोना पतल बनाना	6000	CCL है
8	पूर्णा स्वयं सहायता समूह	11	आचार बनाना	6000	CCL है
9	लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह	12	सैनिटरी pad का कार्य करना	6000	CCL है
10	सिद्धिनाथ स्वयं सहायता समूह	12	टॉइलेट एण्ड फ्लोर cleaner	6000	CCL है
11	अंजली स्वयं सहायता समूह	11	सिलाई कार्य करना	6000	CCL है
12	किसमता स्वयं सहायता समूह	10	आचार बनाना	6000	CCL है
13	उजाल स्वयं सहायता समूह	10	दुकान/खेती के लिय	6000	CCL है
14	बिस्मिल्लाह स्वयं सहायता समूह	9	nil	nil	नहीं है
15	राधा स्वयं सहायता समूह	10	नया है अभी	nil	नहीं है
16	शीतला स्वयं सहायता समूह	11	बकरी पालन	7680	CCL है
17	राधे स्वयं सहायता समूह	10	बकरी पालन, खेती के लिय	6000	CCL है



--	--	--	--	--	--

13 कृषक उत्पादक संगठन (एफ0पी0ओ0)						
	एफ0पी0ओ0 का नाम	क्या इस संगठन की प्रमुख महिला हैं?	प्रत्येक एफ0पी0ओ0 में सदस्यों की संख्या	एफ0पी0ओ0 से प्राप्त वार्षिक राजस्व/ बचत	कृषि उत्पाद	पोस्ट हार्वेस्ट की गतिविधियां / गतिविधियों का क्षेत्र
1	x	<input type="checkbox"/>				
2	x	<input type="checkbox"/>				
3	x	<input type="checkbox"/>				
4	x	<input type="checkbox"/>				
5	x	<input type="checkbox"/>				

14 अन्य समुदाय आधारितसंगठन /						
	सामाजिक संगठन / समितियों के नाम	क्या महिला प्रमुख संगठन / समिति हैं?	सदस्यों की संख्या	प्राप्त वार्षिक राजस्व/ बचत	उत्पाद/ सेवा	विपणन / लक्षित उपभोगकर्ता
1	युवक मंगल दल	<input type="checkbox"/>	12	nil	nil	nil
		<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>				

15	योजनाएं
----	---------





a	योजना के नाम	पंजीकृत लाभार्थी की संख्या	लाभ प्राप्त लाभार्थियों की संख्या	विगत वर्ष ग्राम पंचायत में प्राप्त कुल भगतान (रु0)	अन्य कोई बकाया (रु0)	की गई गतिविधियाँ/कार्य
	मनरेगा	549	549	200000		नाली, खडंजा एवं कच्चा कार्य
	प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना/एन.एफ.एस.ए.	766	766			
	प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना	120	120	गैस चुल्हा, सिलिंडर		
	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	1	1	सोलर पैनल		सिंचाई
	प्रधान मंत्री कुसुम योजना	nill				
b	अन्य योजनाएं	nill				
	ग्राम उज्ज्वला योजना	nill				
	ऊर्जा दक्षता योजना	nill				
	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम	nill				
	प्रधानमंत्री आवास योजना	250	250	—		लाभार्थी का आवास बना है
	सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी0डी0एस0)	766	766			5 से 35 kg राशन मिलता है
	कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम	Nill				
	उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन	Nill				
	राष्ट्रीय कौशल विकास योजना (RKVY)	Nill				
	मौसम आधारित फसल बीमा	Nill				
	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)	Nill				
	मृदा स्वास्थ्य कार्ड	Nill				
	किसान क्रेडिट कार्ड	245				आवश्यकतानुसार लोन मिला है।





	स्वच्छ भारत मिशन	625	625			
	सौर सिंचाई पम्प योजना	1	1			लाभार्थी का सोलर पंप लगा है
	नई/नवीन भारतीय बायोगैस व कार्बनिक खाद कार्यक्रम	Null				
	विकेन्द्रित अनाज क्रय केन्द्र योजना	Null				
	गोवर्धन योजना	Null				
	जल पुनर्भरण योजना	Null				
	रेनवाटर हार्वेस्टिंग	1				ग्राम सचिवालय में है
	समन्वित वाटरशेड विकास कार्यक्रम	Null				
	अन्य वाटरशेड विकास योजनाएं	Null				
	अन्य (एक जिला-एक उत्पाद, मेक इन इण्डिया, अन्य)	Null				
	उद्यमिता सहायता योजनाएं आदि	Null				

16	सक्रिय बैंक खाताधारकों की संख्या	2422
17	ई-बैंकिंग/डिजिटल भुगतान एप/यू.पी.आई आदि से भुगतान करने वाले खाताधारकों की संख्या	32

8	निकट कृषि बाजार/क्रय केन्द्र/सरकारी केंद्र	क्या ग्राम पंचायत द्वारा बाजार/कय केन्द्र का उपयोग होता है	यदि नहीं, तो बाजार/केन्द्र का उपयोग क्यों नहीं किया जाता	उत्पादित फसल(कु0)	बिक्री हुई फसल (कु0)	ग्राम पंचायत से दूरी (यदि ग्राम पंचायत से दूर है) (कि0मी0)
		हां	नहीं			
1	कृषि उत्पादन मंडी समिति हरदोई	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	आलू, (220)		35





					कुंतल सरसों (530 कुंतल एवं गेंहूँ(3200 कुंतल)		
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				

19		शिक्षा (केवल ग्राम पंचायत में)				
	प्रकार/स्तर	उपलब्ध छत का क्षेत्रफल (वर्ग मी0)	कुल नामांकित विद्यार्थियों की संख्या	विगत वर्ष में कुल ड्राप आऊट विद्यार्थियों की संख्या	ड्राप आऊट के मुख्यकारण(स्वास्थ्य (1), पहुँच/उपलब्धता-(2), आर्थिक समस्या-(3), अन्य-(4) उल्लेख करें)	
a	प्राथमिक विद्यालय			-	-	
	3	181.80 वर्ग मीटर	164			
b	जू0 हाई स्कूल	2000 वर्ग फीट	94	-	-	
	1					
c	हाई स्कूल		<input checked="" type="checkbox"/>			





	d	अन्य संस्थान	<input checked="" type="checkbox"/>		

20	कौशल विकास/व्यवसायिक प्रशिक्षण/पुनः कौशल संस्थान (केवल ग्राम पंचायत में)	उपलब्ध छत का क्षेत्रफल (वर्ग मी0)	संस्थान के प्रकार (सरकारी 1, निजी 2)	नामांकित व्यक्तियों की संख्या	नामांकित व्यक्तियों की आयु
	Nil				

21	राज्य/राष्ट्रीय राजमार्ग की उपलब्धता			
	राजमार्ग का नाम	राज्य मार्ग 1, राष्ट्रीय राजमार्ग 2	ग्राम पंचायत से दूरी	सम्पर्क मार्ग की स्थिति अच्छा (1), खराब (2), घटिया (3), सबसे घटिया (4)
1	लखनऊ से हरदोई	2	4 km	(2)

III. भूमि संसाधनों संबंधित सूचनाएं/जानकारी

22	वन भूमि का विवरण	
a	वन का क्षेत्र	8 हेक्टेयर
b	वन विभाग द्वारा अधिसूचित क्षेत्र	11.1310 हेक्टेयर वन विभाग द्वारा आक्षादित
c	सार्वजनिक उपयोग हेतु उपलब्ध वन क्षेत्र	Nil
d	कितने क्षेत्र पर अतिक्रमण है?	Nil





e	विगत पांच वर्षों में कोई वन उन्मूलन/वन कटाई की गतिविधियां	Null
f	अनुमानित वन उन्मूलन/वन कटाई का क्षेत्रफल (एकड़)	Null

23 अन्य भूमि का वर्गीकरण			
a	ग्राम पंचायत के पास ग्राम सभा की कितनी भूमि उपलब्ध है?	105 एकड़	
b	कितनी भूमि पर अतिक्रमण है? (एकड़)	32 एकड़	
c	ग्राम पंचायत में खनन गतिविधियां	हां <input type="checkbox"/>	नहीं <input checked="" type="checkbox"/>
	खनन के प्रकार बालू खनन 1, खनिज खनन—(उल्लेख करें) 2, अन्य (उल्लेख करें) 3	Null	
	अतिरिक्त सूचनाएं	Null	

24 जल निकाय क्षेत्र			
	विवरण	हां	नहीं
a	क्या आप के ग्राम पंचायत में जल निकाय क्षेत्र है?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b	ग्राम पंचायत में कुल जल निकाय क्षेत्रों की संख्या	22	
c	क्या जल निकाय क्षेत्र में अतिक्रमण है?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d	जल निकाय क्षेत्र में अतिक्रमण कब से है?	पूर्व समय	
e	क्या जल निकाय क्षेत्र के आस-पास के भूमि पर अतिक्रमण किया गया है?	हां	

25 जल आपूर्ति	
a	ग्राम पंचायतमें घरों हेतु जल आपूर्ति का मुख्य स्रोत क्या है? नहर (1) वर्षा जल—(2) भूमिगत जल—(3) तालाब/झील—(4) पानी की टंकी हर घर नल से जल (hcl से निर्मित है)





	अन्य- (5)	
b	क्या उपरोक्त जल आपूर्ति के स्रोत मौसमी या बारहमासी है?	
c	घरों में जल आपूर्ति कैसे होती है? पाइप जलापूर्ति (1) ग्राम पंचायत में सामान्य संग्रह केन्द्र (2) पानी टंकी (3) महिलाओं/बच्चों द्वारा दूर से लाया गया (4) हैण्डपम्प (5) ऊँचा सतही जलाशय (6) कूआ (7) अन्य (8), उल्लेखित करें। अगर 4 है, तो कितनी दूर से लाया जा रहा है?	1,3,5,7
d	कितने घरों में जलापूर्ति पाइप से है?	304
e	क्या पानी का बहाव/प्रवाह दर कम, अधिक या संतोषजनक है?	संतोषजनक है
f	पाइप जलापूर्ति की नियमितता 24×7 घण्टे(1) काफी नियमित (2) अनियमित (3)	24*7 एवं काफी नियमित है
g	ग्राम पंचायत में कृषि सिंचाई हेतु जल आपूर्ति का मुख्य स्रोत क्या है? नहर (1) वर्षा जल (2) भूमिगत जल - (नलकूप (3A), कूआ (3B)) तालाब/झील (4) पानी टैंक (5) नदी (6) अन्य (7)	(1) नहर, (2) वर्षा जल, (4) तालाब, व्यक्तिगत बोर
h	क्या उपरोक्त जल आपूर्ति स्रोत मौसमी या बारहमासी है?	व्यक्तिगत बोरिंग का प्रयोग आवश्यकता अनुसार या वर्षा पर आधारित है
i	क्या जलापूर्ति का बहाव/प्रवाह दर कम/अधिक या संतोषजनक है?	प्रवाह दर कम





	<p>अतिरिक्त जानकारी (उदाहरण : क्या घरेलू, कृषि व संबंधित गतिविधियों, उद्योगों आदि के लिए जल आपूर्ति पर्याप्त है)</p>	
j	<p>क्या विगत वर्षों में भूजल, नदी या नहर से जल की उपलब्धता बढ़ी/घटी या सूख गया?</p> <p>क्या सूखे या गर्मी के मौसम में पानी की टंकियों का उपयोग बढ़ जाता है?</p>	<p>जलापूर्ति अपर्याप्त है, इसके साथ ही जल की उपलब्धता घटी है तथा सूखे और गर्मी के मौसम में पानी की टंकियों का उपयोग बढ़ जाता है</p>






IV. जलवायु की धारणा

तापमान व वर्षा में प्रमुख परिवर्तन/बदलाव				
26				
a	गर्मी के माह में देखा गया			
b	गर्मी के तापमान में देखे गए बदलाव (पिछले पांच वर्षों में)	गर्म दिनों में वृद्धि	गर्म दिनों में कमी	गर्म दिनों में कोई परिवर्तन नहीं
		हा		
c	दिनों की संख्या	20 दिन		
d	अन्य सूचनाएं (गर्मी माह में कोई परिवर्तन)			
27				
a	सर्दी के माह में महसूस किया गया			
b	सर्दियों के तापमान में कोई परिवर्तन पाया गया (विगत पांच वर्षों में)	ठण्ड दिनों में वृद्धि	ठण्ड दिनों में कमी	ठण्ड दिनों में कोई परिवर्तन नहीं
		<input type="checkbox"/>	हा	<input type="checkbox"/>
c	दिनों की संख्या	25		
d	अन्य सूचनाएं (सर्दी माह में कोई परिवर्तन)			
28				
a	मानसून माह में महसूस किया गया			
b	मानसून ऋतु की वर्षा में कोई परिवर्तन देखा गया (विगत पांच वर्षों में)	वर्षा के दिनों में वृद्धि	वर्षा के दिनों में कमी	वर्षा के दिनों में कोई परिवर्तन नहीं
		<input type="checkbox"/>	हा	<input type="checkbox"/>
c	दिनों की संख्या	30		
d	अन्य सूचनाएं (मानसून माह में कोई परिवर्तन)	देर से आया		
29				
a	क्या गैर मानसून ऋतु की वर्षा में परिवर्तन हुआ है? (विगत पांच वर्षों में)	वर्षा के दिनों में वृद्धि	वर्षा के दिनों में कमी	वर्षा के दिनों में कोई परिवर्तन नहीं
		<input type="checkbox"/>	हां	<input type="checkbox"/>
b	ग्रीष्म ऋतु की वर्षा में देखे गये परिवर्तन	वर्षा दिनों में वृद्धि	वर्षा दिनों में कमी	वर्षा के दिनों में कोई परिवर्तन नहीं
		<input type="checkbox"/>	हा	<input type="checkbox"/>
c	दिनों की संख्या	15-20		
d	शरद ऋतु की वर्षा में देखे गये परिवर्तन	वर्षा के दिनों में वृद्धि	वर्षा के दिनों में कमी	वर्षा के दिनों में कोई परिवर्तन नहीं





		<input type="checkbox"/>	हां	<input type="checkbox"/>
e	दिनों की संख्या		5-7	
f	अन्य सूचनाएँ/जानकारी			





चरम मौसम की घटनाएं

30 सूखा						
a	सूखे की घटना	प्रथम वर्ष (2022)	द्वितीय वर्ष (2021)	तृतीय वर्ष (2020)	चतुर्थ वर्ष (2019)	पंचम वर्ष (2018)
		✓ <input type="checkbox"/>	✓ <input type="checkbox"/>	✓ <input type="checkbox"/>	✓ <input type="checkbox"/>	✓ <input type="checkbox"/>
b	किस माह में सूखा देखा गया	जुलाई, अगस्त	जून, जुलाई	जुलाई, अगस्त	जून, जुलाई	जुलाई, अगस्त
c	सूखे का प्रबन्धन कैसे किया गया (सरकारी सहायता, निजी सहायता, कुएं खोदा आदि)	घरेलू स्तर पर प्रबन्धन कुछ नहीं करते हैं।			कृषि स्तर पर प्रबन्धन नहर में पानी आने पर सिंचाई	
d	सूखे की आवृत्ति : सूखे की घटना (पिछले पांच वर्षों में)	वृद्धि हा	कमी <input type="checkbox"/>	कोई परिवर्तन नहीं <input type="checkbox"/>		
e	अतिरिक्त सूचना कोई पुरानी प्रमुख घटना-1, स्वास्थ्य पर प्रभाव-2					
31 बाढ़						
	बाढ़ की घटना केवल जलजमाव होता है	प्रथम वर्ष (2022)	द्वितीय वर्ष (2021)	तृतीय वर्ष (2020)	चतुर्थ वर्ष (2019)	पंचम वर्ष (2018)
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b	किस माह में बाढ़ देखा गया					
c	बाढ़ का प्रबन्धन कैसे किया गया (सरकारी सहायता, निजी सहायता आदि)	घरेलू स्तर पर प्रबन्धन			कृषि स्तर पर प्रबन्धन	
d	बाढ़ की आवृत्ति : बाढ़ की घटना (पिछले पांच वर्षों में)	वृद्धि <input type="checkbox"/>	कमी <input type="checkbox"/>	कोई परिवर्तन नहीं <input type="checkbox"/>		
e	अतिरिक्त सूचना कोई पुरानी प्रमुख घटना-1, स्वास्थ्य पर प्रभाव-2					
32 भूस्खलन						
a	भूस्खलन की घटना नहीं	प्रथम वर्ष (2022)	द्वितीय वर्ष (2021)	तृतीय वर्ष (2020)	चतुर्थ वर्ष (2019)	पंचम वर्ष (2018)
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b	किस माह में भूस्खलन देखी गई					





c	भूस्खलन का प्रबन्धन कैसे किया गया (सरकारी सहायता, निजी सहायता आदि)	घरेलू स्तर पर प्रबन्धन			कृषि स्तर पर प्रबन्धन	
d	भूस्खलन की आवृत्ति : भूस्खलन की घटना (पिछले पांच वर्षों में)	वृद्धि	कमी	कोई परिवर्तन नहीं		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
e	अतिरिक्त सूचना कोई पुरानी प्रमुख घटना-1, स्वास्थ्य पर प्रभाव-2					
33 ओलावृष्टि						
a	ओलावृष्टि की घटना	प्रथम वर्ष (2022)	द्वितीय वर्ष (2021)	तृतीय वर्ष (2020)	चतुर्थ वर्ष (2019)	पंचम वर्ष (2018)
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b	किस माह में ओलावृष्टि हुई	फरवरी	फरवरी	Null	Null	मार्च
c	ओलावृष्टि का प्रबन्धन कैसे किया गया (सरकारी सहायता, निजी सहायता आदि)	घरेलू स्तर पर प्रबन्धन			कृषि स्तर पर प्रबन्धन	
d	ओलावृष्टि की आवृत्ति : ओलावृष्टि की घटना (पिछले पांच वर्षों में)	वृद्धि	कमी	कोई परिवर्तन नहीं		
		हां	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
34 फसलों के कीट/बीमारी						
a	कीट/बीमारी की घटनाक्रम	प्रथम वर्ष (2022)	द्वितीय वर्ष (2021)	तृतीय वर्ष (2020)	चतुर्थ वर्ष (2019)	पंचम वर्ष (2018)
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
b	किस माह में कीट/बीमारी को देखा गया?	जनवरी फरवरी	दिसम्बर	जनवरी फरवरी	जनवरी फरवरी	जनवरी
b	किस प्रकार के टिड्डी/कीट/बीमारी को देखा गया?	माहू, थिप्स, गंधी कीट, गेरुई (रस्ट), झुलसा, हर्दिया, सब्जी में फलछेदक एवं विषाणुजनित रोग	माहू, थिप्स, गंधी कीट, गेरुई (रस्ट), झुलसा, हर्दिया, सब्जी में फलछेदक एवं विषाणुजनित रोग	माहो, थिप्स, गंधी कीट, गेरुई (रस्ट), झुलसा, हर्दिया, सब्जी में फलछेदक एवं विषाणुजनित रोग	माहो, थिप्स, गंधी कीट, गेरुई (रस्ट), झुलसा, हर्दिया, सब्जी में फलछेदक एवं विषाणुजनित रोग	माहो, थिप्स, गंधी कीट, गेरुई (रस्ट), झुलसा, हर्दिया, सब्जी में फलछेदक एवं विषाणुजनित रोग
c	कीट/बीमारी का प्रबन्धन कैसे किया गया? (सरकारी सहायता, निजी सहायता आदि)	किसान स्वयं खरीदकर कीटनाशकों का छिड़काव करते हैं।				
d	कीट/बीमारी की आवृत्ति : कीट बीमारी का घटनाक्रम (पिछले पांच वर्षों में)	वृद्धि	कमी	कोई परिवर्तन नहीं		
		हां	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	अतिरिक्त जानकारी/सूचनाएं					





35 ग्राम पंचायत में आपदा की तैयारी					
		ग्राम पंचायत स्तर पर क्या आपदा प्रबन्धन/तैयारी के उपाय उपलब्ध हैं?		क्या ग्रामीणों तक इसकी पहुँच/उपलब्धता है?	
आपदा तैयारी के उपाय		हां	नहीं	हां	नहीं
ग्राम आपदा प्रबन्धन योजना		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ग्राम आपदा प्रबन्धन समिति		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
पूर्व चेतावनी प्रणाली/मौसमी चेतावनी प्रणाली/कृषि चेतावनी प्रणाली		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
आपातकाल अनाज बैंक		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
अन्य		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

36 अनाज भण्डारण		
a ग्राम पंचायत के आपातकालिन खाद्य/अनाज बैंक में किस प्रकार का भोजन भण्डारित किया जाता है?		
	अनाज (विवरण दें)	<input checked="" type="checkbox"/>
	तेल	<input checked="" type="checkbox"/>
	चीनी	<input checked="" type="checkbox"/>
	अन्य खाद्य पदार्थ – उल्लेख करें	<input checked="" type="checkbox"/>
b	क्या ग्राम पंचायत में शीतगृह है, अगर है तो उसकी क्षमता क्या है?	<input checked="" type="checkbox"/>

37 ग्राम पंचायत में मौसम की चेतावनी, पूर्व चेतावनी प्रणाली, कृषि आधारित चेतावनी के लिए उपलब्ध जानकारी के स्रोत	
स्थानीय कृषि अधिकारी	<input checked="" type="checkbox"/>
समाचार पत्र/समाचार/रेडियो	<input checked="" type="checkbox"/>
मोबाईल फोन/एप	<input checked="" type="checkbox"/>
मौखिक	<input checked="" type="checkbox"/>
कृषि विज्ञान केन्द्र/कृषि ज्ञान केन्द्र	<input checked="" type="checkbox"/>
पशुपालन विभाग	<input checked="" type="checkbox"/>
उद्यान विभाग	<input checked="" type="checkbox"/>





अन्य	<input checked="" type="checkbox"/>
------	-------------------------------------

कृषि एवं संबंधित गतिविधियों पर प्रभाव (विगत पांच वर्षों में)						
38	फसल हानि					
a	घटना का वर्ष	हानि की ऋतु/मौसम खरीफ (1) रबी(2) जायद/अन्य ऋतु (3)	फसल का नाम	हानि के कारण रोग, चरम, घटनाक्रम— गर्मी, ठण्ड, वर्षा, ओलावृष्टि, मिट्टी आदि	अनुमानित हानि की मात्रा (कुन्तल)	परिणाम स्वरूप आय में हानि (औसत रु०)
	प्रथम वर्ष (2022)	सूखा	धान	गर्मी	370 कुन्तल	518000/-
	द्वितीय वर्ष (2021)	सूखा	मक्का,उड़द	गर्मी	310 कुन्तल	12400/-
	तृतीय वर्ष (2020)					
	चतुर्थ वर्ष (2019)					
	पंचवां वर्ष (2018)					
b	क्या आप फसल बीमा के बारे में जानते हैं?	हां	नहीं			
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	अतिरिक्त जानकारी (फसल बीमा के लाभार्थी— बड़े किसान, लघु एवं सीमान्त किसान आदि) फसल बीमा लाभार्थी का संतुष्टि स्तर क्या है?	10 प्रतिशत किसान को जानकारी है। संतोषजनक				





39 फसल पद्धति में बदलाव					
a	सामान्य फसल	खरीफ	रबी	जायद / अन्य ऋतु	
		धान	गेंहू, सरसों, आलू		
b	फसल का नाम	पारम्परिक बोआई का समय	विगत 5 वर्षों में बोआई के समय में परिवर्तन हुआ है / देखा है।	अभी बोआई का समय	परिवर्तन के कारण
	धान	जुलाई के प्रथम सप्ताह	अगस्त	अगस्त	वर्षा न होने के कारण
	गेंहू	अक्टूबर	अक्टूबर नवम्बर	नवम्बर दिसम्बर	ठंड का देर से होना, इस वर्ष अक्टूबर में पानी बरसने के कारण जल्दी बुवाई से निचले स्थानों में दिसम्बर के अंतिम सप्ताह में हुई है।
c	अन्य सूचना / जानकारी (विलुप्त फसल / प्रजाति आदि उल्लेख करें)	काकुनी, अरहर			

40 सिंचाई प्रणाली / पद्धति में परिवर्तन					
a	फसल का नाम	वर्तमान में सिंचाई पद्धति का उपयोगफव्वारा सिंचाई (1), टपक विधि (2), नहर (3), वर्षा	वर्तमान में उपयोग किए गए पानी की मात्रा	पूर्व में सिंचाई पद्धति का उपयोगफव्वारा सिंचाई (1), टपक विधि (2), नहर	पूर्व में उपयोग किए गए पानी की मात्रा (रूपया / एकड़)






		आधारित (4), पारम्परिक (5), अन्य (6) (उल्लेखित करें)	(रुपया / ए कड़)	(3), वर्षा आधारित (4), पारम्परिक (5), अन्य (6) (उल्लेखित करें)			
	धान	डीजल पंप सेट/समर सिबल	2500	वर्षा आधारित/पंप सेट	1000		
	गेंहू	वर्षा आधारित पानी//समर सिबल	1500	वर्षा आधारित/तालाबो से	400		
	b	ग्राम पंचायत में सिंचाई हेतु पम्पों की संख्या	डीजल आधारित	विद्युत आधारित	सौर पम्प	पारम्परिक सिंचाई विधियां	
		50		1	तालाब	नाला	
	c	अन्य सूचनाएं/जानकारी अगर कोई है					
41	पशु पालन/पशुधन						
	a	ग्राम पंचायत में प्रचलित पशुधन और पशुपालन सम्बन्धित गतिविधियां श्रेणी : डेयरी (1) मुर्गी पालन (2) मत्स्य पालन (3) सूअर पालन (4) मधुमक्खी पालन (5) अन्य- स्पष्ट करें (6)		डेरी, बकरी पालन, भेड़ पालन			
	b	डेयरी पर प्रभाव	पशु हानि गाय (1) भैंस (2) अन्य (3) बकरी	पशु हानि की संख्या (प्रत्येक पशु को उल्लेख करें)	हानि के कारण (रोग, आयु, दुर्घटना आदि)	हानि का मौसम	उत्पादकता में कोई परिवर्तन देखा गया? वृद्धि (1) कमी (2) परिवर्तन नहीं (3)
		प्रथम वर्ष (2022)					
		द्वितीय वर्ष(2021)	3	50	रोग	बरसात के दिनों में	2
		तृतीय वर्ष (2020)					
		चतुर्थ वर्ष(2019)					





	पंचम वर्ष(2018))					
	अन्य जानकारी / सूचनाएं	Nill				
c	मुर्गी पालन पर प्रभाव	पक्षी हानि मुर्गी (1) बत्तख (2) अन्य (3)	पक्षी हानि की संख्या (प्रत्येक पक्षी का उल्लेख करें)	हानि के कारण	हानि के मौसम / ऋतु	उत्पादकता में कोई परिवर्तन पाया गया है? वृद्धि (1) कमी (2) परिवर्तन नहीं (3)
	प्रथम वर्ष (2022)					
	द्वितीय वर्ष(2021)					
	तृतीय वर्ष (2020)					
	चतुर्थ वर्ष(2019)					
	पंचम वर्ष(2018))					
	अन्य जानकारी / सूचनाएं					
d	अन्य पशुओं पर प्रभाव	पशु हानि (कृपया निर्दिष्ट करें कि कौन से हैं)	पशु हानि की संख्या (प्रत्येक पशु का उल्लेख करें)	हानि के कारण	हानि की ऋतु	उत्पादकता में कोई परिवर्तन पाया गया है? वृद्धि (1) कमी (2) परिवर्तन नहीं (3)
	प्रथम वर्ष (2022)	NILL				
	द्वितीय वर्ष(2021)	NILL				
	तृतीय वर्ष (2020)	NILL				
	चतुर्थ वर्ष(2019)	NILL				
	पंचम वर्ष(2018)	NILL				
	अन्य जानकारी / सूचनाएं	NILL				





V. कृषि व पशुपालन

प्रमुख उगाई जाने वाले फसलें व सम्बन्धित सूचनाएं/जानकारी														
42	a	फसल (अनाज, तिलहन, दलहन, उद्यान एवं फूल आदि)	ऋतु/ मौसम	उपज (कु0)	उर्वरक के प्रकार	उर्वरक उपयोग			कीटनाशक उपयोग			खरपतवारनाशी		
						औसत प्रयुक्त मात्रा (किग्रा/एकड़)	क्या विगत पांच वर्षों में उपयोग किये गये उर्वरकों की मात्रा में वृद्धि (1) कमी (2) परिवर्तन नहीं है (3)	कीटनाशकों के प्रकार	औसत प्रयुक्त मात्रा (किग्रा/एकड़)	क्या विगत पांच वर्षों में उपयोग किये गये कीटनाशकों की मात्रा में वृद्धि (1) कमी (2) परिवर्तन नहीं है (3)	खरपतवार नाशी के प्रकार	औसत प्रयुक्त मात्रा (किग्रा/एकड़)	क्या विगत पांच वर्षों में उपयोग किये गये खरपतवार की मात्रा में वृद्धि (1) कमी (2) परिवर्तन नहीं है (3)	
		धान	गर्मी	4221	यूरिया, जिंक	(1)	केसर लीडर	250 ML	2,4D मछेटी					
		गेंहूँ	सर्दी	9000	यूरिया, सुपर फॉस्फेट		फयूराडान, फारेट 10		नलिनो गोल्ड					(1)
	b	क्या ग्राम पंचायत में फसल अवशेष जलाये जाते हैं	हां <input checked="" type="checkbox"/>	नहीं <input type="checkbox"/>	जलाये गये खेतों का कुल क्षेत्रफल (एकड़)	क्या यह फसल अवशेष पूर्व में जलाये जाते थे नहीं	अगर नहीं तो, कब से जलाना आरम्भ किया	क्या फसल अवशेष प्रबन्धन की योजनाओं को जानते/जागरूक है?						
						10 वर्षों से	नहीं							



43 जैविक खेती सम्बन्धित गतिविधियां					
फसल	क्षेत्रफल	प्रति फसल आय (₹0 / कुन्तल)	बिक्री हेतु बाजार	तृतीय पक्ष द्वारा प्रमाणित / सत्यापित	
NIII					
NIII					
NIII					
NIII					
NIII					
NIII					

44 अन्य स्थाई खेती सम्बन्धी गतिविधियां (जैसे शून्य/जीरो बजट प्राकृतिक खेती)			
फसल	स्थायी गतिविधियां (शून्य जुताई, मल्लिंग, फसल चक्र, अन्तःफसलें, वर्मी कम्पोस्ट, कम्पोस्ट, मिश्रित फसलें, प्राकृतिक कीट प्रबन्धन, जैव पदार्थ में वृद्धि आदि)	क्षेत्रफल (एकड़)	प्रति फसल प्राप्त आय (रूपया)
NIII			
NIII			
NIII			
NIII			
NIII			



46 अपनाये गये स्थायी पशुधन प्रबन्धन तकनीक				
पशुधन के प्रकार	ग्राम पंचायत में कुल संख्या (लगभग)	अपनाई गई गतिविधियां (चारा में परिवर्तन, पोषण पूरक अर्थात् पशुआहार, खुले में चराई आदि)	प्राप्त/उत्पादित आय प्रति पशुधन (प्रतिवर्ष)	
गाय (देशी नस्ल)	70	पशु आहार एवं चराई	5000	
गाय (संकर नस्ल)	12	पशु आहार एवं चराई	6500	
भैंस (देशी नस्ल)	35	पशु आहार एवं चराई	9500	
भैंस (संकर नस्ल)	66	पशु आहार एवं चराई	1100	
बकरी	50	पशु आहार एवं चराई	2500	
सुअर				
मुर्गी				
मत्स्य				
अन्य, भेड़	42	खुले में चराई		

VI. स्वच्छता एवं स्वास्थ्य

47 जल की गुणवत्ता (पियजल या नल जल से आपूर्ति परिवार)							
A	आपूर्ति किये जाने वाले पानी की गुणवत्ता कैसी है?	उपयुक्त	अनुपयुक्त				
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
B	जल का स्वाद कैसा लगता है?	तीक्ष्ण	नमकीन	सामान्य			
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
C	आपूर्ति होने वाले जल में सामान्यतः दूषित पदार्थ क्या है?	नमकीन	गन्दा	मटमैला	बालू/कीचड़	गन्ध	कुछ नहीं
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	





D	जल को शुद्ध करने के लिए आप किस विधि का प्रयोग करते हैं?	उबालकर	जल शोधक	आयोडीन / फिटकरी मिलाकर	सौर शुद्धीकरण	क्ले वेसल फिल्ट्रेशन	अन्य, (कृपया उल्लेख करें)
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> क्लोरीन

48 ठोस अपशिष्ट उत्पादन/अपशिष्ट प्रबन्धन							
a	अपने घर में प्रतिदिन उत्पन्न होने वाला अपशिष्ट पदार्थ/कचरा	1.5 -2.0 kg	छिलका, प्लास्टिक, मिट्टी,				
b	आपके ग्राम पंचायत में अपशिष्ट पदार्थ/कचरा कैसे इकट्ठा किया जाता है?	नहीं किया जाता है।					
c	कचरा संग्रह कितनी बार होता है?	<input checked="" type="checkbox"/> प्रतिदिन	<input type="checkbox"/> साप्ताहिक	<input type="checkbox"/> वैकल्पिक दिन			
		हां	नहीं				
d	क्या आपके क्षेत्र में कोई स्थान है, जहां कचरा इकट्ठा डाला जा सकता है? यदि हां तो कृपया आपकी ग्राम पंचायत से कितनी दूरी पर है या किस स्थान पर है?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ग्राम पंचायत से दूरी/ग्राम पंचायत में अवस्थिति - २०० मीटर			
e	क्या आपके ग्राम पंचायत क्षेत्र में सामान्य कूड़ेदान रखे गये हैं?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
f	क्या आप कचरे को सूखे और गीले कचरे की श्रेणी में बांटते हैं?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
g	आप गृह स्तर पर कचरे का उपचार कैसे करते हैं?	पुनःचक्रमण	कम्पोटिंग	वर्मी कम्पोस्ट	अपशिष्ट	जलाना	अन्य (उल्लेखित करें)
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	नहीं करते

49 खुले में शौच मुक्त स्थिति			
a	क्या आपका गांव खुले में शौच मुक्त घोषित है?	<input checked="" type="checkbox"/> हां	<input type="checkbox"/> नहीं
b	स्वयं के शौचालय वाले परिवारों की संख्या	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c	सामुदायिक शौचालय/इज्जत घर की संख्या	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d	क्या शौचालय का उपयोग किया जा रहा है?	प्रमुख स्थान- महादेवन के पास	





e	अगर शौचालय का उपयोग नहीं किया जा रहा है तो क्यों? (साफ-सफाई का अभाव, रख-रखाव का अभाव, बहुत दूर आदि)	
---	---	--

50	अपशिष्ट जल	घरेलू	व्यवसायिक	औद्योगिक	कृषि गतिविधियां	गंदा नाला
a	अपशिष्ट जल का क्या स्रोत है?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b	उत्पन्न अपशिष्ट जल की मात्रा (अनुमानित लीटर प्रतिदिन)					
c	गांव में किया गया अपशिष्ट जल उपचार, यदि कोई है तो-	नहीं				
d	अपशिष्ट जल पुनःचक्रण या पुनः उपयोग की गतिविधि, यदि कोई है तो-	नहीं				

51	स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा	हां	नहीं	उपलब्ध छत का क्षेत्रफल (वर्गमीटर)
	स्वास्थ्य केन्द्र की उपलब्धता	हां	नहीं	उपलब्ध छत का क्षेत्रफल (वर्गमीटर)
a	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
b	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
c	उपस्वास्थ्य केन्द्र	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	140
d	आंगनवाड़ी	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	60
e	आशा	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
f	स्वास्थ्य कैम्प/मेला	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
g	डिजिटल स्वास्थ्य देखभाल	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	





52 रोग / बीमारी									
	विगत वर्ष निम्नवत् बीमारी/रोग से कितने लोग प्रभावित हुए हैं?	प्रभावित कुल व्यक्तियों की संख्या	प्रभावित आयु समूह			सामान्य उपचार का विकल्प			
			प्रभावित बच्चों की संख्या	प्रभावित व्यवस्कों की संख्या	प्रभावित वरिष्ठ नागरिकों की संख्या	स्थानीय स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं (उल्लेख करें)	घरेलू देखभाल	घर-घर जाने वाला	अन्य (उल्लेख करें)
a	वेक्टर-जनित रोग (मलेरिया, डेंगू, चिकेनगुनिया आदि)	67	35	22	10	बालामौउ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	बालामौउ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निजी डाक्टर / निजी अस्पताल हरदोई
b	जल-जनित रोग (हैजा / डायरिया / टाईफाईड / हैपेटाइटिस आदि)	85	25	35	25		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	"
c	श्वास सम्बन्धी रोग जो वायु प्रदूषण से होते हैं (इनडोर एण्ड आउटडोर)	39		20			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	"
d	कुपोषण	0					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

VII. उर्जा

53		
a	आपके ग्राम पंचायत में कुल कितने घर विद्युत्कृत हैं	730
b	ग्राम पंचायत में निम्नलिखित अनुमानित विद्युत् उपकरणों की संख्या	3
	ए0सी0	0
	एयर कुलर	136





	रेफ्रिजरेटर / फ्रीज	126
--	---------------------	-----

54 विद्युत कटौती की आवृत्ति		
a	दिन में कुछ बार	<input checked="" type="checkbox"/>
	दिन में एक बार	<input type="checkbox"/>
	विद्युत कटौती नहीं	<input type="checkbox"/>
b	प्रतिदिन कितने घण्टे गुल रहती है?	7 घंटे
	यदि प्रतिदिन नहीं तो सप्ताह में कितने घण्टे बिजली गुल होती है?	---

55 वोल्टेज अस्थिरता / उतार-चढ़ाव की आवृत्ति क्या है?		
	दिन में कुछ बार	<input checked="" type="checkbox"/>
	दिन में एक बार	<input type="checkbox"/>
	अस्थिरता / उतार-चढ़ाव नहीं	<input type="checkbox"/>

56 पावर बैकअप का मतलब विद्युत कटौती के दौरान उपयोग	संख्या
डीजल चलित जेनरेटर	12
सौर उर्जा	1
इमरजेंसी लाईट	24
इन्वर्टर	142
अन्य साधन (उल्लेख करें)	

57 नवीकरणीय / अक्षयऊर्जा के स्रोत			
a	क्या गांव में निम्नलिखित में से कोई स्थापना है?	इंस्टालेशन (स्थापना) की संख्या	कुल स्थापित क्षमता (किलोवाट)
	घर की छतों पर सौर उर्जा स्थापना	1	
	विद्यालय की छत पर सौर उर्जा स्थापना	x	
	चिकित्सालय की छत पर सौर उर्जा स्थापना	x	
	ग्राम पंचायत भवन पर सौर उर्जा स्थापना	x	





	अन्य सौर उर्जा स्थापना	x	
	सौर स्ट्रीट लाईट	x	
	बायोगैस	x	
	विकेन्द्रित नवीनीकरण उर्जा/मिनी ग्रीड	x	
b	क्या आप सौर उर्जा स्थापना के लिए उपलब्ध अनुदान के बारे में जानते हैं (कुछ योजनाओं/कार्यक्रमों का उल्लेख करें)	नहीं	

58	भोजन बनाने हेतु प्रयुक्त ईंधन	परिवारों की संख्या	प्रति परिवार प्रयुक्त औसत मात्रा (किग्रा/महीना)	
	पारम्परिक जलौनी (उपले/जलौनी लकड़ी)	739	1500	
	बायोगैस	x		
	एलपीजी गैस	726	14	
	विद्युत	x		
	सौर उर्जा	x		
	अन्य (कोयला, मिट्टी का तेल, चारकोल आदि)	x		
59	वाहन की संख्या			
	वाहन के प्रकार	ग्राम पंचायत में वाहन संख्या (अनुमानित)	प्रयुक्त ईंधन के प्रकार	तय की गई औसत दूरी (किमी प्रतिदिन)
a	जीप	3	डीजल	150
b	कार	20	पेट्रोल	120
c	दो पहिया वाहन	359	पेट्रोल	50
d	विद्युत चालित वाहन			
e	आटो			





f	ई-रिक्शा	14	बैटरी	10
g	अन्य, डाला	2	डीजल	100

60	कृषि यंत्र	ग्राम पंचायत में कृषि यंत्रों/मशीनों की संख्या	प्रयुक्त ईंधन के प्रकार	तय की गई औसत दूरी (किमी प्रतिदिन)
a	टैक्टर	15	डीजल	10 km प्रतिदिन जुताई/बुवाई एवं घरेलु उपयोग
b	कम्बाईन हारवेस्टर	--		
c	अन्य (कृपया उल्लेख करें)			

61 ग्राम पंचायत में अवस्थित पेट्रोल पम्प (अगर कोई है)										
	ईंधन के प्रकार	प्रतिदिन की बिक्री	पम्प से आपूर्ति वाले गांव की संख्या	कितने प्रकार के वाहन एक दिन/महीना में पेट्रोल पम्प से ईंधन लेते हैं? (समय/ अवधि का उल्लेख करें)						
				टैक्टर	कृषि यंत्र	जीप	कार	दो पहिया वाहन	आटो	ई-रिक्शा
a	nill									
b										

62 औद्योगिक इकाई				
	उद्योग के प्रकार	संख्या	उर्जा के स्रोत: ग्रिड विद्युत (1), डीजल जेनरेटर (2), नवीनीकरण/अक्षय उर्जा (3)	उर्जा की खपत प्रति माह विद्युत का उपयोग (किलोवाट) ईंधन उपयोग (लीटर प्रतिदिन)
	आटा चक्की	4	डीजल	
	पालेपर	3	डीजल	



अनुलग्नक III: एचआरवीसीए (HRVCA) रिपोर्ट



[क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकास योजना](#)

ग्राम पंचायत	—	पुरवा
विकास खण्ड	—	कछौना
जनपद	—	हरदोई

खतरा, जोखिम, नाजुकता एवं क्षमता विश्लेषण

जलवायु परिवर्तनशीलता-प्रवृत्ति/परिवर्तन, मुख्य चुनौतियां/झटके एवं तनाव

ग्राम पंचायत-पुरवा में मौसम सर्दी गर्मी एवं बरसात का प्रभाव रहता है गांव में आयोजित बैठक में आये श्री वीरेन्द्र बाजपेई बताते हैं कि पिछले 15 वर्षों की अपेक्षा अब सर्दी के दिन कम हुए हैं। लेकिन कम दिनों में ही ठंडक अधिक पड़ रही है व गर्मी भी बहुत होने लगी है। पहले आद्रा नक्षत्र में पानी बरसता था तो लोग धान बोने के लिये भिगो देते थे आज परिस्थितियां विपरीत हैं जब धान की कटाई का समय आता है तब बारिश होती है। जल भराव इतना हो जाता है कि फसल काटना मुश्किल हो जाता है, तथा सूखे से भी फसलें प्रभावित होने लगी एवं जायद की फसलें विलुप्त होने की कगार पर हैं गांव के लोगों से बात करने पर जानकारी मिली कि पहले गर्मी मई जून के महीने से शुरू होकर अगस्त तक होती थी, अब गर्मी मार्च के बाद से सितम्बर तक हो रही है।

1. गांव को प्रभावित करने वाली आपदाओं की पहचान करना एवं इनका प्राथमिकीकरण

समुदाय के साथ पी0आर0ए0 विधियों का उपयोग करते हुए विभिन्न टूल्स के माध्यम से गांव को प्रभावित करने वाली आपदाओं की पहचान एवं उनका प्राथमिकीकरण की प्रक्रिया की गई और आपदाओं के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा व विचार-विमर्श किया गया। दिनचर्या, जनजीवन, आजीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल एवं साफ-सफाई आदि को प्रभावित करने वाली आपदाओं की एक सूची बनाई गई, सूची में प्राप्त आपदाओं एवं उत्पन्न समस्याओं की पहचान करना एवं तुलनात्मक प्राथमिकीकरण किया गया। गांव की मुख्य आपदा जल-जमाव एवं सूखा है जिससे आजीविका, स्वास्थ्य एवं पेयजल आदि में जोखिम की सम्भावना बढ़ जाती है।

2. आपदा का इतिहास एवं क्षति

समुदाय के साथ होने वाली आपदाओं एवं उनसे होने वाली क्षति पर विस्तृत चर्चा की गई, व्यापक प्रभाव वाली आपदाओं में सूखा, बाढ़, जल-जमाव व आगजनी है। गांव के अधिकांश हिस्से में फसलें सूखें से प्रभावित होती हैं वहीं गांव का एक हिस्सा जिसे खदरा कहा जाता है बाढ़ की वजह से करीब दो सौ बीघे के क्षेत्र में कोई भी फसल नहीं होती है सन 1972 में अप्रैल मई के महीने में भीषण वर्षा के चलते सारा अनाज गेहूं, चना मसूर, अरहर, खलिहान में ही सड़ गये। 2021 की ओलावृष्टि से तिलहनी फसलें एवं गेहूं के फसल की अपूर्णनीय क्षति हुई। 2022 में वर्षा के दौरान बिजली का करंट पानी में उतरने के चलते एक भैंस की मृत्यु हो गई। 2008 में लगी आग, जिसका दायरा 4 कि0मी0 दूर फैल गया। जिससे अहीरी गांव में एक बेटी की शादी का रखा सारा सामान आग में स्वाहा हो गया। 2021 में संक्रामक रोग के चलते गांव की ढेर सारी बकरियां मर गयीं।

आपदा की पहचान एवं प्राथमिकीकरण के आधार पर निम्न आपदाएं ग्राम पंचायत-पुरवा को प्रभावित करती हैं-

आपदा का नाम	जन	फर	मार्च	अप्रै	मई	जून	जुला	अग	सितं	अक्टू	नवं	दिसं
जलजमाव												
सूखा												
लू												
शीतलहर												
आंधी तूफान												
ओला-पत्थर												

आपदा का ऐतिहासिक मानचित्रण, मौसमी कैलेंडर बनाने एवं उस दौरान समुदाय से हुई चर्चा से यह स्पष्ट हुआ कि कम दिनों में अधिक वर्षा व वर्षा के दिनों में कमी आना तथा तापमान में बेतहाशा वृद्धि से जनजीवन अस्त-व्यस्त तो हो ही रहा है साथ ही पशु भी प्रभावित हो रहे हैं।

जल-जमाव इस गांव की प्रमुख समस्या है गांव के पूर्व का हिस्सा (खदरा) का क्षेत्र अत्यधिक प्रभावित रहता है। लोग मुश्किल से एक फसल ले पाते हैं जून-जुलाई में वर्षा न होने के कारण सूखे की आवृत्ति में

वृद्धि हुई है, जिसके परिणामस्वरूप सिंचाई, पेयजल, खाद्यान्न उत्पादन एवं पशुपालन पर व्यापक असर देखने को मिल रहा है।

जायद की फसलें गायब हो रही हैं, रबी की फसलों में आंधी, तूफान, ओल-पत्थर, पाला, तेज गर्मी एवं लू के कारण कम पैदावार की सम्भावना अधिक बनी रहती है, शीतलहर से पशुपालन मुख्यतः बकरीपालन प्रभावित हो रहा है दुधारू पशुओं के लिये चारे की समस्या उत्पन्न हो जाती है।

2. जलवायु परिवर्तन जनित आपदा के जोखिम, खतरों का मानचित्रण एवं आंकलन

उपरोक्त आपदाओं के आधार पर होने वाले नुकसान, सम्भावित जोखिम, समुदाय एवं संसाधनों पर पड़ने वाले अनुमानित प्रभाव एवं उनसे प्रभावित समुदाय, संसाधन आदि की विस्तृत जानकारी प्राप्त की गई। जो समुदाय के सभी वर्गों महिला-पुरुष, दलित एवं वंचित समुदाय, विकलांगजन, किसान, पशुपालकों द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित है। ग्राम पंचायत पुरवा मे आपदाओं के कारण पर्यावरण बुनियादी एवं आधारभूत संरचना के साथ ही मानवजीवन एवं स्वास्थ्य आदि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। जलजमाव, सूखा, शीतलहर एवं लू, आदि आपदाओं का पुरवा ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न प्रकार से जोखिम की सम्भावना बनती है, इसे गांव के लोगों ने माना है कि जोखिमों से उन्हे प्रतिवर्ष तरह-तरह के नुकसान सहना पड़ता है जो निम्न प्रकार है-

खतरा एवं जोखिम विश्लेषण से प्राप्त सूचनाएं :-

क्र म सं 0	आसन्न आपदा / खतरे	संभावित जोखिम का क्षेत्र	संभावित जोखिम प्रभावित क्षेत्र			
			जोखिम	आबादी	घर	संसाधन
1.	जलजमाव	पेयजल	पेयजल का दूषित होना, जलजनित बीमारी का जोखिम	कुशालपुर, प्रतापपुर, हाजीपुर	45 घर 67 घर 20 घर	हैण्डपम्प का जलस्तर गिर जाना
		स्वच्छता	गोबर बहकर फैल जाना	अधिकांश क्षेत्र	100 घर	सड़क, खड़जा, इण्टरलॉकिंग
		स्वास्थ्य	जलजनित बीमारियों का पनपना (टाइफाइड, डायरिया, दस्त आदि) का होना।	पूरा गांव	-	अधिकांश बच्चे बुजुर्ग प्रभावित
		शिक्षा	आवागमन बाधित	पूरा गांव	-	विद्यालय मे उपस्थिति कम होना।
		समाजिक सुरक्षा	वृद्धजन, बच्चे, विकलांग, महिलाओं के गिर जाना / घायल हो जाना	अधिकांश क्षेत्र	-	आवागमन अवरुद्ध होना
		कृषि	खरीफ की फसल का नुकसान, धान की नर्सरी का नुकसान, रबी की फसल की बुवाई में विलम्ब, बीमारियों, कीट का प्रकोप	पूरा गांव	-	40 एकड़ क्षेत्र में जलजमाव

		उद्यान/सब्जी उत्पादन	पेड़-पौधे एवं सब्जी फसल खराब हो जाना।	—	—	20 एकड़ की सब्जी का उत्पादन कम हो जाता है।
		पशुपालन	पशुउत्पाद का कम होना, बीमारी आदि का प्रकोप	120 घर	—	भैंस, बकरी एवं भेड़ पालन
		आजीविका	स्थानीय स्तर पर मजदूरी न मिलना	120 घर	—	पलायन करके आजीविका की तलाश में बाहर जाना
		जल निकाय	जलनिकायों में गंदा पानी भरना	पूरा गांव	—	10 एकड़ जलनिकायों में गंदा पानी भरना
2.	सूखा	पेयजल	जलस्तर का नीचे जाना, पेयजल की कमी/संकट	सम्पूर्ण गांव	—	7 इण्डियामार्का हैण्डपम्प एवं निजी नलों का जलस्तर नीचे चला जाता है।
		कृषि	उपज का प्रभावित होना	सम्पूर्ण गांव	—	200 हेक्टेयर
		उद्यान/सब्जी उत्पादन	सिंचाई लागत अधिक	—	—	अधिकांश पेड़ पौधों में सिंचाई के अभाव में उपज कम
		पशुपालन	जानवरों को चारा का संकट, तापमान बढ़ने से विभिन्न प्रकार की बीमारियों का होना, उत्पादन कम होना आदि	भैंस, गाय, बकरी, एवं भेड़ पालन	120 घर	चारागाह
3.	लू	स्वास्थ्य	मानव एवं पशुओं को लू लगना, स्वास्थ्य खराब होना, टीकाकरण में बाधा	पूरा गांव	—	टायफाइड, दस्त आदि से लोग प्रभावित हो जाते हैं।
		शिक्षा	बच्चों का स्वास्थ्य प्रभावित।		बच्चे	शिक्षा बाधित होना
4.	शीतलहर	स्वास्थ्य	मानव एवं जानवरों को ठण्ड लगना।	अधिकांश बुजुर्ग व बच्चे	—	शीतलहर के प्रकोप से मानव स्वास्थ्य प्रभावित
		कृषि	शीतलहर से फसलों को नुकसान		—	आलू, दलहन, तिलहन को पाले से नुकसान
		पशुपालन	पशु क्षति खेत में फसल का नुकसान		—	प्रत्येक वर्ष भेड़ व बकरियों की मृत्यु

5.	ओलावृष्टि	मानव स्वास्थ्य एवं पेयजल	छोटे बच्चे, वृद्धजन महिलाओं के गिरने, चोट लगने का खतरा, जानवरों के घायल होना।	सम्पूर्ण गांव	—	कच्चे घरों का क्षतिग्रस्त होना व फसलों का होना
----	-----------	--------------------------	---	---------------	---	--

आजीविका के साधनों पर आपदा का प्रभाव

क्षेत्र में आजीविका का मुख्य साधन कृषि, पशुपालन व कृषिगत मजदूरी है। जल जमाव होने तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार न होने के कारण लोग अपनी आजीविका तलाशने के लिये पलायन कर जाते हैं। आपदा का सबसे ज्यादा प्रभाव आजीविका संसाधनों पर पड़ता है।

नाजुकता विश्लेषण :-

आपदाओं की बढ़ती आवृत्ति ने प्रभावित समुदाय को सामाजिक, मानसिक, आर्थिक रूप से प्रभावित किया है। किसी भी ग्राम पंचायत पर आपदा के प्रभाव को यदि देखा जाये तो समान रूप से नहीं पड़ता है इसलिये जरूरी होता है कि नाजुक समुदाय, संसाधन, स्थल आदि की पहचान कर ली जाये, इसको समझने के लिये ग्राम के हितधारक जैसे आशा, आंगनवाड़ी, युवक, वृद्धजनों एवं अध्यापक आदि से व्यापक चर्चा कर प्रभावित वर्ग संसाधन स्थल आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की गयी।

1. जल जमाव :-

जलवायु परिवर्तन एवं आपदा के प्रभाव स्वरूप पुरवा ग्राम पंचायत के बारे में बात करें तो जल जमाव एक क्षेत्र विशेष के लिये सुनिश्चित आपदा बन गयी है। इस ग्राम में निर्मित ग्राम सचिवालय के ठीक पूर्व का हिस्सा जिसे स्थानीय भाषा में लोग खदरा के नाम से जानते हैं। जो तकरीबन 200 बीघे के क्षेत्रफल में फैला है। बरसात में आस-पास के गांव का जल इसी क्षेत्र में भर जाता है। पूरा क्षेत्र एक लम्बे समय के लिये जलप्लावित क्षेत्र बन जाता है जबकि इस क्षेत्र से दक्षिण की ओर एक नाला निकला हुआ है, जिसका सम्पर्क रेल लाइन के नीचे बनी एक पुलिया से है लेकिन नाले की साफ-सफाई न होने के कारण जलजमाव उत्पन्न होता है। स्थानीय लोग बताते हैं कि उक्त नाले की साफ-सफाई हो जाये, और इसे खारजा, एक बड़ा तालाब झील, में मिला दिया जाये तो इस क्षेत्र के जलजमाव से निजात मिल सकती है।

- गांव का सम्पर्क दो तरफ से है, एक सम्पर्क मार्ग स्थानीय कस्बा बघौली से है जो कि निकटतम रेलवे स्टेशन भी है मार्ग अत्यंत टूटा-फूटा एवं जीर्ण-क्षीण अवस्था में है।
- गांव से दूसरा रास्ता राजकीय राजमार्ग सं0-25, जो कि लखनऊ से दिल्ली जाता है, वो भी वर्षा के दिनों में जलमग्न हो जाता है और गांव का आवागमन प्रभावित हो जाता है।
- गांव की अधिकांश नालियां क्षतिग्रस्त हैं व बसावट घनी होने के कारण नाली निर्माण में बाधा उत्पन्न होती है जिसके चलते अनियोजित तरीके से जल निकासी एक समस्या बन कर उभरी है।
- गांव में 20 डिसमिल से हेक्टेयर तक के दायरे के 22 तालाब हैं, लेकिन सभी तालाबों पर अतिक्रमण एवं गन्दगी होने के कारण पानी का प्रवाह बाधित होता है।

समुदाय पर जलजमाव का प्रभाव :-

- बरसात के दिनों में गांव के जगह जगह गोबर के ढेर लगे होने के कारण नालियां अवरुद्ध हो जाती हैं। गोबर सड़क पर फैल जाता है। जिससे सड़क पर फिसलन बढ़ जाती है। बूढ़ों से लेकर बच्चों तक चोटिल होने का खतरा बढ़ जाता है।
- जगह-जगह गोबर के ढेर खासकर बरसात के दिनों में रास्ते अवरुद्ध हो जाते हैं। सड़ांध पैदा हो जाती है जिसका स्वास्थ्य पर असर पड़ता है।

- गांव के पूरब का हिस्सा नीचा होने के कारण दो सौ बीघे का क्षेत्र जलमग्न हो जाता है, रबी व खरीफ की फसलें नहीं हो पाती हैं। अर्थात् प्रभावित होती है।

2. सूखा :-

समुदाय आधारित चर्चा करने पर पता चलता है कि गांव में सूखे का भी व्यापक असर रहता है। लोग बताते हैं कि जब हम लोग छोटे थे तो धान की सीधे बुआई होती थी। लोग धान छींट देते थे और बारिश होती थी। आज असमय व असमान बारिश ने सूखे की स्थिति पैदा कर दी है, पहले जहां वर्षा 21 जून जब आद्रा नछत्र लगता था तब वर्षाकाल शुरू हो जाता था। गत कुछ वर्षों से अक्टूबर के महीने में वर्षा हो जा रही है। निम्नवत गतिविधियां भी सूखे के लिए जिम्मेदार हैं।

- गांव का जलस्तर निरन्तर नीचे खिसक रहा है। समुदाय ताल-पोखरों को कूड़ादान समझकर गांव-घर का कूड़ा डालते हैं।
- ताल-पोखरों पर अतिक्रमण की घटनाएं बढ़ रही हैं।
- गांव में 20 कुएं हैं जोकि खरपतवार कूड़े कचरे से पटे पड़े हैं। किसी भी कुएं का पानी पीने लायक नहीं है। वहीं साफ-सफाई न होने के कारण गर्मी के दिनों में सूख जाते हैं। इनकी साफ-सफाई व गाद निकालकर जल प्रबंधन कर सकते हैं।
- वृक्षारोपड़ पर्याप्त मात्रा में है लेकिन लोगों ने फलदार वृक्षों की जगह पर अधिकांश यूकेलिप्टस के पेड़ लगा रखे हैं। जो पर्यावरण के प्रतिकूल है, लोगों का कहना है कि यह धरती का पूरा पानी खींच कर जमीन को बंजर बना देता है।
- लोगों में ताल-पोखरों के संरक्षण के प्रति जागरूकता का अभाव है।
- रसायनिक खादों व कीटनाशकों का बेतहासा प्रयोग बढ़ा है।

सूखा का समुदाय पर प्रभाव :-

- बढ़ते तापमान के कारण पशुधन के लिए चारे व पेयजल की समस्या उत्पन्न हो जाती है।
- सूखे के प्रभाव के चलते जायद की फसलें अत्यधिक पानी लगने के कारण लोप होती जा रही हैं।
- सूखे के प्रभाव से खरीफ ऋतु की फसल मुख्यतः धान में लागत बढ़ जाती है।
- घरेलू जल तथा इण्डियामार्का हैण्डपम्पों का जलस्तर काफी नीचे चला जाता है।

3. लू

गांव के तीसरे नंबर की प्रमुख आपदा लू है। समुदाय आधारित चर्चा व विचार-विमर्श के निष्कर्षों से पता चलता है कि इसका असर दुधारू पशुओं व बकरियों पर ज्यादा पड़ता है। पेयजल की कमी आ जाती है। बच्चों व बुजुर्गों का स्वास्थ्य प्रभावित होता है। बोई गई फसलों का उत्पादन व लागत भी प्रभावित होती है। पशुओं की उत्पादन क्षमता भी प्रभावित होती है।

4. शीतलहर :-

शीतलहर का सबसे ज्यादा असर दुधारू पशुओं पर पड़ता है। गांव के निवासी रवि शर्मा बताते हैं जब ज्यादा शीतलहर चलती है तो बकरियों व भेड़ों में टी0पी0आर0 नामक बीमारी आ जाती है जिससे बकरियों व भेड़ों में पेसाब रुकना, पोंकना, नाक से बलगम निकलना, व मुंह में छाले पड़ जाते हैं एवं मुंह पक जाता है। बकरियां मरने लगती हैं। गाय भैंसों में दूध का उत्पादन घट जाता है। फसलों खासकर आलू की फसल झुलसने लगती है, सरसों के दाने छोटे पड़ जाते हैं स्थानीय लोग बताते हैं कि हमारे यहां कंद की प्रमुख

फसल आलू ही है। ज्यादा शीतलहर चलती है तो पत्तियां एंठने लगती हैं और पैदावार पर असर पड़ता है। अर्थात कीट-व्याधियों का प्रकोप बढ़ जाता है।

समुदाय की व्यवहारगत एवं ढांचागत संरचना में कमियां :-

- गांव में एक मात्र युवक मंगलदल है जो कि निष्क्रिय है। खेती-बाड़ी सम्बन्धी कीट-व्याधियों के उपचार हेतु दवाओं आदि के लिये दूर जाना पड़ता है, समुदाय आधारित जागरूकता कार्यक्रमों का अभाव है।
- गांव में पशुपालन व्यापक रूप से किया जाता है। पशुपालन में अधिकतर गांव वाले भैंस, भेड़, बकरी, आदि का पालन करते हैं, लेकिन गांव में सड़कों किनारे गोबर के ढेर लगे मिल जायेंगे, जिससे बरसात के दिनों में गन्दगी फैलती है, बीमारी फैलती है व लोगों का स्वास्थ्य खराब होता यदि गोबर से कम्पोस्ट खाद बनाकर खेत में डाली जाये तो कृषिगत लागत भी घटेगी, अच्छी पैदावार होगी, और गांव से गंदगी भी हट जायेगी।
- गांव में घरों की संरचना पक्की होने के बावजूद एकमात्र घर में सौर पैनल स्थापित है। सौर ऊर्जा का प्रयोग कर जहां एक तरफ बिजली की निर्भरता में कमी आयेगी, वहीं लोग आत्मनिर्भर हो सकेंगे।
- गांव में अधिकांश किसान बेतहाशा उर्वरकों कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं। इनको जागरूक कर, इनके दुष्परिणामों के प्रति सचेत किया जा सकता है।
- समय पूर्व मौसम पूर्वानुमान चेतावनी तन्त्र के न होने के कारण गांव व लोगों के नाजुकता में वृद्धि होती है।
- ग्राम स्तर पर बैंकिंग सुविधाओं का अभाव है। लोग पास के कस्बों पर आश्रित हैं। जिससे बहुत सी बैंकिंग सुविधाओं की जानकारी आमजन को नहीं हो पाती है। जन सुविधा केंद्र तक आम-जनों की पहुँच न होने के कारण केंद्र वे प्रदेश सरकार द्वारा संचालित सरकारी जनकल्याणकारी कार्यक्रमों व योजनाओं से भी से लोग वंचित रह जाते हैं।

4. क्षमता विश्लेषण :-

जलवायु परिवर्तन व आपदाओं के सन्दर्भ में गांवों की सक्षमता जानने के लिये समुदाय के साथ मिलकर समग्र ग्राम पंचायत का क्षमता आंकलन किया गया किसी भी आपदा से उत्पन्न होने वाले खतरों से गांव के साथ ही संसाधन भी प्रभावित होते हैं। ये संसाधन भौतिक, पर्यावरणीय एवं मानव संसाधन के रूप में उपलब्ध होते हैं। ये संसाधन आपदा के दौरान खतरों से निपटने में मददगार होते हैं। ग्राम पंचायत पुरवा हरदोई जिला मुख्यालय से करीब 35 कि०मी० राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-25 के मतुआ नामक स्थान से 4 कि०मी० उत्तर में स्थित है। ग्रामीणों की सुविधा के लिये सामुदायिक शौचालय, तीन प्राथमिक विद्यालय, एक उच्च प्राथमिक विद्यालय व दो निजी विद्यालय हैं। गांव के उत्तर में शारदा सहायक नहर परियोजना की एक अल्पिका है। ग्राम पंचायत पुरवा में अधिकांशतः पक्के घर हैं। गांव में सामुदायिक जलापूर्ति के लिये एक पानी की टंकी है जिससे ग्राम पुरवा के 304 घरों में पानी के कनेक्शन हैं वहीं कसहाई गांव में कम क्षमता युक्त पानी की टंकी स्थापित है। जिससे 38 घरों में पानी की सप्लाई की जाती है। गांवों में 22 तालाब हैं। वही 20 कुएं हैं। गांव में फलदार वृक्षों आम अमरूद के 20 निजी बाग हैं। महिला संगठन के तौर पर ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिलाओं के 25 स्वयं सहायता समूह कार्यरत हैं। जिनका बैंक से लिंक भी है। इसके साथ ही 68 इण्डियामार्का हैण्डपम्प पेयजल हेतु गांव में उपलब्ध हैं। गांवों में लोगों के आवगमन हेतु इण्टरलॉकिंग सड़के हैं। संकरी बस्ती होने के कारण कहीं-कहीं संकरे रास्ते भी दिख जाते हैं। गांव के पास ही तुषारी नामक तालाब का सुन्दरीकरण एच०सी०एल० संस्था के द्वारा कराया गया। गांव के दक्षिण की तरफ लखनऊ-दिल्ली राजमार्ग है जिसका निकट का रेलवे स्टेशन बघौली है जो कि 3 कि०मी० पर है। गांव आने के लिए संपर्क मार्ग बहुत ही खस्ताहाल है। गांव के उत्तर में एक नहर निकली है लेकिन समय से पानी न आने के कारण फसलें प्रभावित रहती हैं। गांव में सड़के इन्टरलॉकिंगयुक्त हैं कहीं-कहीं नालियों का निर्माण हुआ है अधिकांश जगहों पर नालियां टूट चुकी हैं। जिससे गांव की मुख्य सड़क पर गंदा पानी भर जाता है। गांव में रास्ते काफी संकरे हैं। गांव में जल

संसाधन के दृष्टि से बड़े-बड़े तालाब हैं उनके नाम भी हैं जैसे गहरी के नाम से जाना जाता है। अर्थात् इतना गहरा है कि गांव वाले बताते हैं कि कोई भी जानवर अन्दर गिर जाता है तो उसी में सड़ता रहता है। उसकी दुर्गंध से जीना मुश्किल हो जाता है। तालाब जल कुम्भी और आस-पास गोबर के ढेरों से पटा पड़ा है। गांव के लोगों में क्षमताएं भरपूर हैं लेकिन स्थानीय स्तर पर रोजगार न होने के कारण पलायन को मजबूर हुए हैं। बहुत से घरों में ताले बन्द हैं, लोग लखनऊ, कानपुर, नोयडा में काम करने चले गये हैं। गांव के आस-पास यूकेलिप्टस, बांस आदि की अधिकता है। स्थानीय स्तर पर पक्के घरों की संरचना होने के कारण बांसों का समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है। जबकि गांव में करीब 24 महिलाओं के स्वयं सहायता समूह हैं बांस आधारित कार्यक्रम चलाया जा सकता है। ग्राम पंचायत में आम के बाग हैं, लोग अच्छी किस्म के फलदार वृक्ष लगाना चाहते हैं, लेकिन पास में नर्सरी न हाने के कारण कठिनाई हो रही है, युवाओं के लिये खेल के मैदान की जगह, सरस्वती शिशु मंदिर के पीछे का प्लाट युवक मंगल दल के नाम पर भू-अभिलेख में दर्ज है। इसको खेल के मैदान के रूप में विकसित किया जा सकता है। युवाओं में अधिकांश पढ़े लिखे नौजवान हैं। गांव ओ0डी0एफ0 घोषित तो है। लेकिन लोग खुले में शौच जाते देखे जाते हैं। खासकर महिलाओं के लिये एक बड़ी चुनौती है, गांव पुरवा के ग्राम सचिवालय के सामने करीब 200 बीघे की खेती में जल जमाव होता है जिससे फसलें और किसानों की आजीविका प्रभावित होती है स्थानीय लोग इस क्षेत्र को खदरा कहते हैं। गांव से रेलवे लाइन के नीचे जलनिकासी के लिये एक पुलिया निर्मित है। स्थानीय लोग जब खतरों की पहचान कर रहे थे तो बताया कि एक ड्रेन अगर बन जाये और उसे खारजा में मिला दिया जाये तो जल जमाव की समस्या से निजात मिल जायेगी। बिजली की आवाजाही व कटौती से जनजीवन प्रभावित होता है इसके लिये ग्राम सचिवालय की छत पर व उच्च प्राथमिक विद्यालय की छत पर सौर ऊर्जा पैनल स्थापित किया जा सकता है। जिसकी छतों का क्रमशः क्षेत्र-162 वर्ग फिट, 2000 वर्ग फिट है।

सुविधा, संसाधन मानचित्र से सम्बंधित आंकड़े व तथ्य

ग्राम स्तरीय संसाधन व सुविधाएँ जलवायु परिवर्तन व आपदा जोखिम को काम करने में सहायक होते हैं। मुख्यतः संसाधनों व सुधाओं के परिपेक्ष्य में क्षमता आंकलन को तीन भागों में बांटा गया है जो निम्न हैं—

भौतिक संसाधनों की उपलब्धता एवं गांव से दूरी :-

विवरण	संख्या	संपर्क व्यक्ति का नाम एवं संख्या	गांव से दूरी
उच्च प्राथमिक विद्यालय	02		0 कि०मी०
उच्च प्राथमिक विद्यालय (प्राइवेट)	03		0 कि०मी०
इंग्लिश मीडिएम	01		0 कि०मी०
ग्राम सचिवालय	01		0 कि०मी०
सरकारी राशनकार्ड दुकान	01		0 कि०मी०
थाना	01		3 कि०मी०
कचहरी, हरदोई	—		
जिला चिकित्सालय	—	102, 108	35 कि०मी०
एम्बुलेंस			9 कि०मी०
विकास खण्ड कार्यालय	01		9 कि०मी०
प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र	01		0 कि०मी०
तहसील, संडीला			30 कि०मी०
आपदा विभाग, हरदोई			35 कि०मी०
पोस्ट आफिस बरवा सांसद			1 कि०मी०
बिजली विभाग, बालामऊ			12 कि०मी०
डिग्री कालेज	01		4 कि०मी०
फायर स्टेशन, संडीला			30 कि०मी०
बरन स्टेशन, बघौली			6 कि०मी०
रेलवे स्टेशन, बघौली			9 कि०मी०

खाद बीज दवा केन्द्र	01		10 कि०मी०
बजार, बघौली			3 कि०मी०
बैंक बरना सरसंड			1.5 कि०मी०

प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता संख्या एवं दूरी :-

क्रमांक	संसाधन	संख्या	विवरण/नाम/संपर्क संख्या
पर्यावरणीय संसाधन			
01	तालाब	22	—
02	कुआं	20	—
03	नाला	01	—
04	बाग	20	शिवकुमार बाजपेई, रामासरे, बाबू सिंह, अमर सिंह, शिवशंकर शुक्ला, रामशंकर शुक्ला, जगदीश लाल, राजेन्द्र वर्मा, मन्नू सिंह मनोहा शिवराज, महेश्वर, श्याम सुंदर सिंह, हरिनन्दन सिंह
05	कृषिगत क्षेत्र	435 हेक्टेयर	
06	खुला क्षेत्र/सामुदायिक भूमि		
07	सामुदायिक भूमि	10 एकड़	5 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण है

मानव संसाधन					
1—	ग्राम प्रधान	0	श्री छविनाथ मोर्य	7525809479	0.0 कि०मी०
2—	सचिव	01	श्री संतोष कुमार	7051154849	0.0 कि०मी०
3—	लेखपाल	01	श्री अनिल शुक्ला	9793323523	0.0 कि०मी०
4—	रोजगार सेवक	01	श्री अरविन्द कुमार	9936852514	0.0 कि०मी०
5—	पंचायत सहायक	01	श्री हृद्देश सिंह	7607976575	0.0 कि०मी०
6—	ए०एन०एम०	01	श्रीमती नीलम देवी	9792853612	0.5 कि०मी०
7—	आंगनवाड़ी	02	श्रीमती मालती पाठक	7897187015	0.0 कि०मी०
	आंगनवाड़ी	—	श्रीमती किरन तिवारी	9918531424	0.0 कि०मी०
8—	आशाबहू	04	श्रीमती जानकी	7839823092	0.0 कि०मी०
		—	श्रीमती मंजू देवी	9936805818	0.0 कि०मी०
			श्रीमती सरोजनी	7839823093	0.0 कि०मी०
			श्रीमती रुषा	7839823097	01 कि०मी०
9—	झोलाछाप डाक्टर	06	—	—	

आपदा के समय सुविधाओं व उपलब्ध संसाधनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। उपलब्ध सुविधाएं आपदा को कम करने में सहायक होती हैं, यह जानना बहुत जरूरी होता है कि समुदाय सुविधाओं से लाभान्वित हो रहा है कि नहीं, संसाधनों से जुड़े तथ्यों की ये पूरी प्रक्रिया समुदाय की सहभागिता के आधार पर पारदर्शी तरीके से प्रदर्शित होती है जिसका पूरा विवरण संकलित किया गया है।

वित्तीय संसाधन

उपरोक्त के अतिरिक्त गांव के पास वित्तीय संसाधन भी उपलब्ध हैं ग्राम पंचायत के पास वित्तीय वर्ष 2023-24 में उपलब्ध होने वाले सम्भावित वित्तीय संसाधनों के विवरण निम्न प्रकार होंगे।

क्रम	मद	वर्ष 2022-23
1	15वां वित्त आयोग	7,50,000 / -
2	स्वयं के राजस्व का स्रोत (ओ0एस0आर0)	-

क्लाइमेट स्मार्ट आधारित कार्ययोजना

क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकास योजना निरूपण हेतु सहभागी विधियों, टूल्स, चर्चा आदि के माध्यम से जलवायु परिवर्तन व आपदा जोखिम सम्बंधित सूचनाओं को संकलित कर तथा उनके परिपेक्ष्य में समुदाय की सक्रीय सहभागिता से क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्य योजना को तैयार किया गया।

ग्राम पं०—पुरवा

वि०ख०—कछौना

जनपद—हरदोई

क्र० सं०	कार्य का क्षेत्र	कार्य का नाम	कार्य का विवरण	भौतिक मात्रा/माप	कुल योग	अनुमानित लागत	
						सामग्री	श्रमांश
01	आधारभूत संरचना/ बुनियादी ढांचा	नालीनिर्माण	गया प्रसाद के खेत से नया तारा तालाब तक नाली निर्माण	145 मी०	493000 /-	123250	369750
02		नालीनिर्माण	हरिशंकर के घर से कमलेश मौर्य के घर तक U टाइप नाली निर्माण	60 मी०	204000 /-	51000	153000
03		नालीनिर्माण	अम्बेडकर स्थल से खाता तालाब तक नाली निर्माण	145 मी०	493000 /-	123250	369750
04		नालीनिर्माण	मेन डामर रोड से संतोष के घर तक दोनों तरफ U टाइप नाली निर्माण	60 मी०	204000 /-	51000	153000
05		नालीनिर्माण	घनश्याम गुप्ता के घर से सेवाला तालाब तक U टाइप नाली निर्माण	145 मी०	493000 /-	123250	369750
06		नालीनिर्माण	आजाद मिश्रा के घर से प्रदीप गुप्ता के घर तक दोनो तरफ U टाइप नाली निर्माण	145 मी०	493000 /-	123250	369750
07		नालीनिर्माण	सत्यपाल के घर से खाता तालाब तक दोनो तरफ U टाइप नाली निर्माण	145 मी०	493000 /-	123250	369750
08		नालीनिर्माण	मैकू के खेत से तालाब तक दोनो तरफ U टाइप नाली निर्माण	90 मी०	306000 /-	76500	229500
09		नालीनिर्माण	अंकित सिंह के घर से अवधेश नंदन के खेत तक दोनो तरफ U टाइप नाली निर्माण	145 मी०	493000 /-	123250	369750
10		नालीनिर्माण	मुकेश के घर से मदनपाल के घर तक दोनो तरफ U टाइप नाली निर्माण	145 मी०	493000 /-	123250	369750
11		नालीनिर्माण	मुन्नीलाल के घर से शुभम सिंह के मकान तक दोनो तरफ U टाइप नाली निर्माण	145 मी०	493000 /-	123250	369750

12		नालीनिर्माण	विनोद सिंह के घर से दयाराम के मकान तक दोनो तरफ U टाइप नाली निर्माण	60 मी0	204000 /-	51000	153000
13		नालीनिर्माण	हरिशरन के घर से अब्दुल हसन के मकान तक दोनो तरफ U टाइप नाली निर्माण	145 मी0	493000 /-	123250	369750
14		नालीनिर्माण	चन्दू पण्डित के घर से अशोक पण्डित के मकान तक दोनो तरफ U टाइप नाली निर्माण	145 मी0	493000 /-	123250	369750
15		नालीनिर्माण	शिवकुमार के घर से गयाप्रसाद के ग्वाड़ा तक दोनो तरफ U टाइप नाली निर्माण	145 मी0	493000 /-	123250	369750

क्र0सं0	कार्य का क्षेत्र	कार्य का विवरण	भौतिक माप	कुल लागत	सामग्री	श्रमांश
01	कृषिगत/पशुपालन	रामदुलारे का सोकपिट गड़ढा निर्माण कार्य	1	30000 /-	7500 /-	22500 /-
02		विनोद पाल का खाद गड़ढा निर्माण कार्य	1	30000 /-	7500 /-	22500 /-
03		जब्बार अली का सोकपिट गड़ढा निर्माण कार्य	1	30000 /-	7500 /-	22500 /-
04		जसकरन के घर पास खाद गड़ढा निर्माण कार्य	1	30000 /-	7500 /-	22500 /-
05		बबलू का खाद गड़ढा निर्माण कार्य	1	30000 /-	7500 /-	22500 /-
06		विजेश्वर के घर के पास खाद गड़ढा निर्माण कार्य	1	30000 /-	7500 /-	22500 /-
07		छत्रपाल के घर के पास खाद गड़ढा निर्माण कार्य	1	30000 /-	7500 /-	22500 /-
08		दीपक वर्मा के घर के पास खाद गड़ढा निर्माण कार्य	1	30000 /-	7500 /-	22500 /-
09		नरेश सिंह के ग्वाड़ा के पास खाद गड़ढा निर्माण कार्य	1	30000 /-	7500 /-	22500 /-
10		दयाराम के ग्वाड़ा के पास खाद गड़ढा निर्माण कार्य	1	30000 /-	7500 /-	22500 /-
11		शिवकुमार डाक्टर के खेत के पास खाद गड़ढा निर्माण कार्य	1	30000 /-	7500 /-	22500 /-
12		ज्ञानेन्द्र बाजपेई के घर के पास खाद गड़ढा निर्माण कार्य	1	30000 /-	7500 /-	22500 /-
13		कमलेश मिश्रा के ग्वाड़ा के पास खाद गड़ढा निर्माण कार्य	1	30000 /-	7500 /-	22500 /-

14		तुसारी तालाब के पास खाद गड्ढा निर्माण कार्य	1	30000 / -	7500 / -	22500 / -
15		खारजा तालाब के निकट खाद गड्ढा निर्माण कार्य	1	30000 / -	7500 / -	22500 / -
16		राजनारायण राठौर के खेत के पास खाद गड्ढा निर्माण कार्य	1	30000 / -	7500 / -	22500 / -
17		सुरेश सिंह के खेत के पास खाद गड्ढा निर्माण कार्य	1	30000 / -	7500 / -	22500 / -
18		गुरुदयाल के खेत के पास खाद गड्ढा निर्माण कार्य	1	30000 / -	7500 / -	22500 / -
19		विजय के खेत के पास खाद गड्ढा निर्माण कार्य	1	30000 / -	7500 / -	22500 / -
20		गयाप्रसाद के खेत के पास खाद गड्ढा निर्माण कार्य	1	30000 / -	7500 / -	22500 / -
21		सेबरन यादव के खेत के पास खाद गड्ढा निर्माण कार्य	1	30000 / -	7500 / -	22500 / -
22		पप्पू यादव के खेत के पास खाद गड्ढा निर्माण कार्य	1	30000 / -	7500 / -	22500 / -
23		यतेन्द्र के घर के पास खाद गड्ढा निर्माण कार्य	1	30000 / -	7500 / -	22500 / -
24		सुनील के घर के पास खाद गड्ढा निर्माण कार्य	1	30000 / -	7500 / -	22500 / -
25		सर्वेश बाजपेई के घर के पास खाद गड्ढा निर्माण कार्य	1	30000 / -	7500 / -	22500 / -
26		वीरेन्द्र बाजपेई के घर के पास खाद गड्ढा निर्माण कार्य	1	30000 / -	7500 / -	22500 / -
27		रामसेवक के घर के पास खाद गड्ढा निर्माण कार्य	1	30000 / -	7500 / -	22500 / -
28		सुखेन्द्र सिंह के घर के पास खाद गड्ढा निर्माण कार्य	1	30000 / -	7500 / -	22500 / -
29		अमर सिंह के घर के पास खाद गड्ढा निर्माण कार्य	1	30000 / -	7500 / -	22500 / -
30		शिवपाल सिंह के खेत के पास खाद गड्ढा निर्माण कार्य	1	30000 / -	7500 / -	22500 / -
31		जसकरन मोर्य के घर के पास खाद गड्ढा निर्माण कार्य	1	30000 / -	7500 / -	22500 / -
32		तेजराम के घर के पास खाद गड्ढा निर्माण कार्य	1	30000 / -	7500 / -	22500 / -
33		गोकरन लाल के घर के पास खाद गड्ढा निर्माण कार्य	1	30000 / -	7500 / -	22500 / -
34		गोविन्दराम के घर के पास खाद गड्ढा निर्माण कार्य	1	30000 / -	7500 / -	22500 / -

35		राजेश तिवारी के घर के पास खाद गड्ढा निर्माण कार्य	1	30000 / -	7500 / -	22500 / -
36		ललित तिवारी के घर के पास खाद गड्ढा निर्माण कार्य	1	30000 / -	7500 / -	22500 / -
37		रवि शर्मा के घर के पास खाद गड्ढा निर्माण कार्य	1	30000 / -	7500 / -	22500 / -

क्र०सं०	सेक्टर	कार्य का नाम	कार्य का विवरण	अनुमानित धनराशि
01	आजीविका / पशुपालन / पर्यावरणन	नर्सरी का निर्माण	पशुचर भूमि के निकट	3 लाख रू०
02		स्थाई पशुआश्रय (4 पशु तक)	व्यक्तिगत लाभार्थी सं० 70	1 लाख 20 हजार रू० प्रति पशुआश्रय
03		तालाब का जीर्णोद्धार	21 तालाब	5 लाख रू० प्रति तालाब
04		बायोगैस प्लाण्ट की स्थापना	व्यक्तिगत लाभार्थी सं० 05	2 लाख रू० प्रति
05		मोटे अनाज	बीज, प्रदर्शन, प्रशिक्षण आदि	1 लाख रू०
06		मेढबन्दी	1500 कृषक	मनरेगा अंतर्गत
07		वृक्षारोपण	पशुचर भूमि एवं तालाब के किनारे, खेत के मेढों पर	मनरेगा अंतर्गत
08		पशुओं का नियमित टीकाकरण	समस्त पशुपालक	पशुपालन विभाग

नोट—उपरोक्त कार्य / गतिविधियों का बजट विकास खंड के तकनीकी सहायक एवं ग्राम प्रधान महोदय द्वारा तैयार किया गया।

क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकास योजना के निरूपण की सहभागी प्रक्रिया

वातावरण निर्माण

किसी भी कार्य का व्यवस्थित निष्पादन के लिये वातावरण निर्माण नितान्त जरूरी प्रक्रिया है कि जिससे लोगों सम्बन्धित कार्य के प्रति एक समझ बन सके, चूंकि किसी भी समग्र योजना के लिए सभी वर्गों का होना उनकी जरूरतें अलग-अलग हो सकती हैं इसी दृष्टि से ग्राम पंचायत पुरवा के प्रधान श्री छविनाथ मौर्य गांव के उत्साही युवकों वृद्धजनों समूह की दीदियों पशुपालकों, सामाजिक सोंच के लोगों किसानों से सामूहिक चर्चा की गई साथ ही साथ योजना एवं विकास की चर्चा की गयी जिससे गांव का समुचित विकास हो सके। समस्त ग्रामीणजनों को सूचना हो इसके लिये ग्राम प्रधान जी ने दिनांक—12.02.2023 को ग्राम सचिवालय से प्रसारण तन्त्र के माध्यम से एक बैठक का आयोजन किया गया।



खुली बैठक

ग्राम पंचायत पुरवा के लिये क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना निरूपण हेतु हितभागियों की खुली बैठक पूर्व निर्धारित सूचना के अनुसार दि०-14.02.2023 को ग्राम सचिवालय परिसर में खुली बैठक का आयोजन किया गया जिसमें ग्राम प्रधान, पंचायत सदस्य, आंगनवाड़ी, रसोइया, समूह की महिलायें युवक किसान एवं बुजुर्गजनों ने हिस्सा लिया सभी मजरो को मिलाकर कुल 114 लोगों ने भाग लिया

विस्तृत विवरण हेतु संलग्नक सं०-01 देखें

ट्रांजेक्ट वाक (ग्राम भ्रमण)

ग्राम पंचायत में जलवायु आपदा एवं जोखिम की पहचान समझ रहन-सहन आदि को जानने समझने की दृष्टि से समुदाय के साथ भ्रमण किया गया। भ्रमण ग्राम पुरवा, नेवादा, कसहाई, कुशालपुरा प्रतापपुर, हाजीपुर भ्रमण करते हुए गांव संरचाना पशुपालन बसाहट, गांव में निर्मित पानी को टंकी व अमृतसरोवर का भ्रमण कर सभी लोग ग्राम सचिवालय में एकत्रित हुए।

विस्तृत विवरण हेतु संलग्नक संख्या 02 देखें-



सामाजिक मानचित्रण

सभी मजरो के भ्रमण के उपरान्त ग्राम पंचायत में स्थित ग्राम पंचायत में स्थित ग्राम सचिवालय के परिसर में ग्रामवासियों की उपस्थिति में सामाजिक मानचित्रण तैयार किया गया। जिसके आधार पर प्राप्त सूचनाएं निम्न तालिका में प्रदर्शित हैं।

विवरण	संख्या	गुणात्मक विवरण
ग्राम पंचायत के चौहद्दी का क्षेत्र	413.3540 हे०	6 मजरे, बाग-बगीचा एवं खेती का हिस्सा मिलाकर
कुल मजरो की संख्या	06	पुरवा, कसहाई, नेवादा, हाजीपुर, प्रतापपुर, कुशालपुर
कुल घरों की संख्या	809	पुरवा-464 घर, कसहाई-41 घर नेवादा-86 घर, हाजीपुर-56 घर, प्रतापपुर-82 घर, कुशालपुर-80 घर
कुल पक्के घरों की संख्या	741	अधिकांश पक्के मकान हैं
कुल कच्चे घरों की संख्या	68	खपरैल व मिट्टी घास-फूस आदि से निर्मित हैं

विकलांगजनों की संख्या	27	सम्पूर्ण ग्राम पंचायत
महिला मुखिया परिवारों की संख्या	46	सभी टोलों पर
इण्डिया मार्का हैण्डपम्प	65	पुरवा, कसहाई, नेवादा, हाजीपुर, प्रतापपुर, कुशालपुर

जातिगत/श्रेणीगत विवरण

सामान्य जाति के घरों की संख्या	285
पिछड़ी जाति के घरों की संख्या	177
अनु० जाति के घरों की संख्या	347
कुल घरों की संख्या	809

वातावरण निर्माण

संलग्नक-1

ग्राम पंचायत पुरवा की आगामी वित्तीय वर्षों हेतु क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत योजना निरूपण हेतु ग्राम पंचायत के समग्रजन की सहभागिता सुनिश्चित कराने की दृष्टि से ग्राम प्रधान से श्री छविनाथ मौर्य ने ग्राम सचिवालय में स्थापित ध्वनिविस्तारक यंत्र के माध्यम से दिनांक-12 फरवरी 2023 को सूचना कराई गयी कि आगामी 14 फरवरी 2023 को ग्रामसभा की एक खुली बैठक का आयोजन ग्राम सचिवालय पर किया जा रहा है।

खुली बैठक :-



ग्राम पंचायत पुरवा के लिये क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्य योजना के निर्माण हेतु एक ग्रामसभा की खुली बैठक का आयोजन पूर्व में दी गयी सूचना के अनुसार दिनांक 14 फरवरी 2023 को किया गया। इस खुली बैठक में ग्राम प्रधान, पंचायत सहायक, सदस्य ग्राम पंचायत, आशा, आंगनवाड़ी व गांव के उत्साही नवयुवकों आदि ने भाग लिया, इस बैठक की अध्यक्षता ग्राम प्रधान श्री छविनाथ मौर्य ने की। बैठक का प्रारम्भ सचिव ग्राम पंचायत श्री संतोष कुमार ने स्वागत व परिचय के साथ किया सचिव ने बैठक के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा आज जलवायु परिवर्तन का असर पूरी दुनिया के देशों पर है। सभी जलवायु परिवर्तन व उससे हो रहे दुष्प्रभावों से सभी चिंतित हैं क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत का चयन उत्तरप्रदेश के 39 जनपदों के एक-एक गांव को लिया गया है। हम सभी लोग भाग्यशाली हैं कि हमारी ग्राम पंचायत पुरवा उसमें से एक है हम वैसे तो ग्राम पंचायत विकास योजना बनाते ही हैं परन्तु इस कार्य योजना का मकसद जलवायु परिवर्तन उसके प्रभाव को लेकर है। जलवायुगत/ मौसम से सम्बन्धित समस्याओं के समाधान हेतु विकास के सभी मुद्दों के साथ जलवायु स्मार्ट ग्राम पंचायत योजना के निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण करनी है। जिसमें हम सभी की सहभागिता होनी ही चाहिए।

ग्राम पंचायत के दक्षिण-पूर्व में सेवला तालाब है जिसके दक्षिण के भाग का क्षेत्र जलजमाव के रूप में जाना जाता है जिसे स्थानीय भाषा में खदरा कहा जाता है जलजमाव के चलते करीब 200 बीघे का क्षेत्र जलमग्न रहता है जिससे लोगों की आजीविका प्रभावित होती है। इसके जल निकास के लिये एक नाला पूर्व से ही निर्मित है। नाले में सिल्ट जमा होने व खरपतवार होने के कारण जलप्रवाह बाधित होता है। इसके लिये इसकी साफ-सफाई कराकर जलजमाव होने से रोका जा सकता है।

ग्राम पंचायत समितियों का विवरण

नियोजन एवं विकास समिति	निर्माण कार्य समिति	प्रसाशनिक समिति
अध्यक्ष-श्री छविनाथ मौर्य सदस्य-श्रीमती गीता देवी " श्रीमती पुष्पा देवी " श्री रजेपाल " श्री मुन्नालाल " श्री विपिन राठौर " श्री ओम प्रकाश	अध्यक्ष-श्री रजेपाल सदस्य-कु0 मीरा " श्री अतुल गौतम " श्री मुन्ना लाल " श्री विपिन राठौर " श्रीमती पुष्पा " श्रीमती ममता	अध्यक्ष-श्री छविनाथ मौर्य सदस्य-श्रीमती ममता " श्री रजेपाल " श्री मुन्ना लाल " श्री ओम प्रकाश " कु0 मीरा " श्रीमती पुष्पा देवी
शिक्षा समिति	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति	जल प्रबन्धन समिति
अध्यक्ष-श्री छविनाथ मौर्य सदस्य-कु0 मीरा " श्री ओम प्रकाश " श्री विपिन राठौर " श्री अतुल गौतम " श्रीमती पुष्पा देवी " श्रीमती मीरा	अध्यक्ष- श्री ओम प्रकाश सदस्य-श्रीमती गीता देवी " श्री अतुल गौतम " श्रीमती सरोजदेवी " श्रीमती ममता " श्रीमती विमला " श्रीमती पुण्या	अध्यक्ष-श्री राजकुमार मौर्य सदस्य-श्रीमती ममता " श्री मुन्ना लाल " श्री अतुल गौतम " श्री रजेपाल " श्री ओम प्रकाश " कु0 मीरा

ग्राम पंचायत सदस्यों का विवरण-

क्रमांक	पंचायत सदस्य का नाम	
1.	श्री छविनाथ मौर्य (ग्राम प्रधान)	वार्ड क्रम
2.	मीरा देवी (वार्ड सदस्य)	1
3.	ममता "	2
4.	विमला "	3
5.	मुन्ना लाल "	4
6.	रजेपाल "	5
7.	पुष्पा "	6
8.	अतुल गौतम "	7
9.	विपिन कुमार राठौर "	8
10.	ओमप्रकाश "	9
11.	सरोज देवी "	10
12.	राजकुमार मौर्य "	11
13.	गीता देवी "	12
14.	उत्तम "	13
15.	उर्मिला "	14
16.	गुरुदयाल "	15

ट्रांजेक्ट वाक (ग्राम भ्रमण)



ग्राम पंचायत पुरवा के जलवायुगत/आपदा एवं जोखिम को समझने की दृष्टि से एक खुली बैठक का आयोजन ग्राम सचिवालय में ग्राम प्रधान श्री छविनाथ मौर्य पंचायत सचिव श्री संतोष कुमार पंचायत सहायक, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं आशा, आंगनवाड़ी समुदाय के सभी मजदूरों का पुरवा, नेवादा, कसहाई, हाजीपुर, प्रतापपुर, कुशालपुर का भ्रमण किया गया। ग्राम पंचायत पुरवा से नेवादा की दूरी 500 मी० नेवादा से हाजीपुर की दूरी लगभग एक कि०मी० कसहाई 500मी० प्रतापपुर 1 कि०मी० व कुशालपुर 2 कि०मी० की दूरी पर स्थित है।

ट्रांजेक्ट वाक के दौरान अवलोकन की गई स्थितियां

बसाहट	6 टोले ग्राम पंचायत के अधिकांश घरों की संरचना पक्की है ग्राम पुरवा की बसाहट काफी सघन है व गलियां बहुत संकररी हैं। गांव के अन्दर के तालाब कूड़े कचरे से पटे पड़े हैं व अतिक्रमण है वहीं नेवादा, हाजीपुर, कसहाई, प्रतापपुर, कुशालपुर में आबादी इतना घनत्व नहीं है। ग्राम पुरवा व कसहाई में पानी की टंकी स्थापित है। अधिकांश घरों में पानी के कनेक्शन हैं लोगों के घरों में रोस्टर के मुताबिक तीन टाइम पानी की सप्लाई होती है। लोग आलू बैंगन, टमाटर, गोभी की खेती पर्याप्त मात्रा में करते हैं। खेतों की तरफ आवारा पशु विचरण करते देखे गये।
ताल-तलैया	22 तालाब तालाबों में नयानी, रमतलिया, तुषारी, गहरी, सेउला, नया तालाब, महक, कोडरी, गढ़ई, जियन ताल, इन तालाबों का क्षेत्रफल तीन बीघे से लेकर एक हेक्टेयर तक है। तुषारी तालाब का एच०सी०एल० के द्वारा सुन्दरीकरण कराया गया अधिकांश तालाब गन्दगी से पटे पड़े हैं। तथा लोगों के द्वारा कब्जा करने की होड़ लगी है।
नाला	ग्राम पंचायत के पूर्व-दक्षिण में एक नाला निकला है जो कि सिल्ट से पटा पड़ा है पानी के प्रवाह को बढ़ाने के लिये साफ-सफाई की आवश्यकता है।
हरित क्षेत्र (बाग-बगीचा)	ग्राम पंचायत के भ्रमण के दौरान हरित क्षेत्र देखने को मिला जिसमें मुख्य रूप से यूकेलिप्टिस, सागौन, आम, अमरूद के बाग देखने को मिले।
भौतिक संसाधन	ग्राम पुरवा के पूर्व दिशा में श्री वीरेन्द्र बाजपेई के घर के पास एच०सी०एल० के द्वारा एक पानी की टंकी बनी हुई है। जिसका 354 घरों में पानी कनेक्शन है। कसहाई में भी पानी की टंकी एच०सी०एल० द्वारा स्थापित है। इसी पानी की टंकी के द्वारा घरों में जलापूर्ति की जाती है। इसी के साथ 20 कुएं भी हैं। अधिकांश कुएं कूड़े कचरे से पटे पड़े हैं।



नजरी नक्शा



आपदाओं का ऐतिहासिक समयरेखा एवं घटनाक्रम

ग्राम पंचायत पुरवा का ऐतिहासिक समय रेखा आपदाओं एवं उसके प्रभाव को जानने के बाद यह भी जानने का प्रयास किया गया कि ये आपदाएं इस ग्राम पंचायत को कब-कब प्रभावित करती रही हैं। आपदाओं का ऐतिहासिक समयरेखा समुदाय के साथ मिलकर जानने का प्रयास किया गया समुदाय ने माना कि हमारे यहां जलजमाव एक निश्चित क्षेत्र की आपदा है जो लगातार एक निश्चित वर्ग को प्रभावित करती रहती है। गत कुछेक वर्षों से सूखा, लू, एवं शीतलहर का प्रकोप भी ग्राम पंचायत को झेलना पड़ रहा है। विगत दो वर्षों से कोरोना नामक बीमारी का कहर आपदा बनकर आयी है, बीमारी के बचाव के लिये लॉकडाउन लग जाने के कारण लोग अपने घरों में कैद रहने को मजबूर रहै इसका सबसे अधिक प्रभाव खेती व उससे तैयार उत्पाद पर पड़ा। सबकुछ बन्द हो जाने के कारण बड़े पैमाने पर लोगों की आजीविका प्रभावित हुयी। प्राप्त सूचनाओं को निम्नवत दर्ज किया गया है-

क्रम सं०	वर्ष	आपदा / खतरा	घटनाओं का कारण	मृतकों की संख्या	प्रभावित लोगों की संख्या	आर्थिक क्षति	न्यूनीकरण हेतु किया गया कार्य
1	1972 अप्रैल-मई	वर्षा	भारी बारिस / ओलावृष्टि	-	300	293 हे० गेहूं, अरहर, चना, मसूर, सरसों खलिहान में ही सड़ गया	कुछ भी सम्भव नहीं हो पाया
2	2008	आग	मानवीय चूक चिन्ना रैदास के यहां से लगी आग	-	98	घर ग्रहस्ती का सामान व बेटी की शादी का सारा सामान जल कर राख, खेतों में लगी आग से रवी फसलें जलकर राख	मिट्टी बालू आदि से बुझाने का प्रयास

3	2018	सूखा	निम्न बारिश, जलसंचयन क्षेत्रों पर अतिक्रमण	—	—	230 हे0 क्षेत्र प्रभावित	धान की फसल में अत्यधिक सिंचाई से लागत में अधिक वृद्धि व उत्पादन पर असर
4	2020–21	कोरोना का प्रभाव	लोग आजीविका हेतु दिल्ली मुम्बई आदि शहरों से लोग गांवों को लौटे	2	30–40 लोग	रोजगार बाधित तथा अर्थिक क्षति	मास्क एवं सैनिटाइजर का उपयोग, साफ-सफाई उचित दूरी का पालन
5	2021–22	बारिश एवं ओलावृष्टि	मौसम खराब	—	पूरा गांव प्रभावित	रबी की फसलें प्रभावित	कोई कार्य नहीं

संलग्नक-5

आजीविका के साधनों पर आपदाओं का प्रभाव

क्रम सं०	आजीविका के प्रकार	परिवार की संख्या	आपदा	आपदा का प्रभाव			क्या प्रभाव पड़ता है
				अधिक	मध्यम	कम	
1	कृषि	25	जलजमाव				<ul style="list-style-type: none"> लगभग 20 एकड़ में फसल की बुवाई प्रभावित रबी के मौसम में देर से बिजाई के चलते लागत व उत्पादन पर असर
			सूखा				<ul style="list-style-type: none"> सिंचाई पर अधिक खर्च फसलों की बढ़वार पर असर फसल उत्पादन में कमी

			शीतलहर			<ul style="list-style-type: none"> ● फसलों में झुलसा रोग ● आलू में पाले की समस्या ● तिलहनी फसलों में माहू का प्रकोप
2	मजदूरी	120	जलजमाव			<ul style="list-style-type: none"> ● मनरेगा का कार्य न होने के कारण आजीविका संकट ● कार्य की जानकारी का न मिल पाना ● आवागमन का बाधित होना
			सूखा			<ul style="list-style-type: none"> ● आजीविका का प्रभावित होना ● आर्थिक संकट ● पलायन ● खान-पान पर असर ● स्वास्थ्य पर प्रभाव
			शीतलहर			<ul style="list-style-type: none"> ● काम की कमी ● खराब स्वास्थ्य ● खर्च में बढ़ोत्तरी
3	पशुपालन (गाय, भैंस, बकरीपालन, भेड़ पालन आदि)	50	सूखा			<ul style="list-style-type: none"> ● दुधारू पशुओं में दुग्ध उत्पादन का कम होना ● बढ़ते तापमान से पशुओं में भयंकर बीमारियों का आना ● भेड़-बकरियों में बीमारी का प्रकोप ● हरे चारे का अभाव
			शीतलहर			<ul style="list-style-type: none"> ● भेड़ बकरियों में पोकनी की बीमारी से मृत्यु हो जाना ● बकरियों में पेशाब रुक जाना व मृत्यु हो जाना ● दुधारू पशुओं में दुग्ध उत्पादन का कम हो जाना ●

4	स्वयं का व्यवसाय (छोटी दुकान आदि)	120	जलजमाव			<ul style="list-style-type: none"> ● सामान लाने में असुविधा ● माल भाड़े में वृद्धि ● शीलन की समस्या ● कीमतों में वृद्धि
			शीतलहर			<ul style="list-style-type: none"> ● व्यवसाय में मन्दी आना

टीम का नाम

श्री जनार्दन बाबू मिश्रा

राजेश शर्मा

यदुराज सिंह

श्रीमती ममता

अनुलग्नक IV: लक्ष्य, लागत, उत्सर्जन से बचाव और अनुक्रमण क्षमता का अनुमान

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियाँ	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता /उत्सर्जन से बचाव
हरित स्थान और जैवविविधता को बढ़ाना				
1	वृक्षारोपण गतिविधियाँ	<p>चरण 1: वर्तमान में ग्राम पंचायत में हो रही गतिविधियों के सामान (प्रधान के साथ परामर्श के दौरान जानना अनिवार्य है)</p> <p>चरण 2: भूमि की उपलब्धता के आधार पर वृक्षारोपण लक्ष्य को 500-1000 तक बढ़ाना।</p> <p>चरण 3: भूमि की उपलब्धता के आधार पर लक्ष्य को 500-1000 तक और बढ़ाना।</p>	<p>वृक्षारोपण (तैयारी, पौधारोपण, श्रम आदि)¹ = ₹70 प्रति पेड़ (पौधे डीओईएफसीसी, उत्तर प्रदेश सरकार से निःशुल्क उपलब्ध हैं)</p> <p>ट्री गार्ड (धातु)² = ₹1,200 प्रति इकाई</p> <p>वृक्षारोपण का रखरखाव: ₹1.5 लाख/हेक्टेयर</p>	<p>सागौन की प्रजातियों के आधार पर अनुक्रमण की क्षमता का अनुमान - प्रति पेड़ 5.6 से 10 टन कार्बन डाइऑक्साइड (tCO₂e)</p> <p>कृषि वानिकी के लिए वृक्षारोपण घनत्व 100 पेड़/हेक्टेयर माना जाता है</p>
2	आरोग्य वन	<ul style="list-style-type: none"> 300-400 हेक्टेयर से कम क्षेत्र वाले ग्राम पंचायत के लिए, 0.1 हेक्टेयर क्षेत्र के साथ एक आरोग्य वन का सुझाव दिया जा सकता है। लगभग 1000 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाली ग्राम पंचायत के लिए, भूमि की उपलब्धता के आधार पर 0.2-0.5 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाले एक आरोग्य वन का सुझाव दिया जा सकता है। 		
3	कृषि वानिकी	<p>(यह व्यक्तिपरक हो सकता है और कृषि-वानिकी गतिविधियाँ चरण 1 से शुरू की जा सकती हैं)</p> <p>चरण 2: कुल कृषि भूमि का 40% ; साथ ही + प्रति हेक्टेयर 100 पेड़ लगाया जाना</p> <p>चरण 3: शेष कृषि भूमि ; साथ ही + प्रति हेक्टेयर 100 पेड़ लगाया जाना</p>	<p>कृषि वानिकी की लागत³ = ₹40,000/हेक्टेयर⁴</p>	

1 वृक्षारोपण दिशानिर्देशों और ग्राम पंचायत से प्राप्त सुझावों के अनुसार लागत

2 लागत बाजार भाव के अनुसार

3 कृषि वानिकी दिशानिर्देशों पर उप-मिशन, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन के अनुसार लागत

4 <https://link.springer.com/article/10.1007/s42535-022-00348-9>

क्र. सं.	सूझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/फार्मुला	अनुक्रमण क्षमता /उत्सर्जन से बचाव
----------	----------------------	---	---	-----------------------------------

सतत कृषि

1	सूक्ष्म सिंचाई-ड्रिप एवं स्प्रिंकलर (छिड़काव) सिंचाई	<p>चरण 1: कुल कृषि भूमि का 30% सम्मिलित किया जाना</p> <p>चरण 2: कुल कृषि भूमि का 70% सम्मिलित किया जाना</p> <p>चरण 3: कुल कृषि भूमि का 100% सम्मिलित किया जाना</p>	₹1 लाख प्रति हेक्टेयर	
2	बांधों का निर्माण	<p>चरण 1: सम्मिलित की जाने वाली कुल कृषि भूमि का 50%</p> <p>चरण 2: सम्मिलित की जाने वाली कुल कृषि भूमि का 100%</p> <p>चरण 3: मेड़ों का रखरखाव</p> <p>- मेड़ों का निर्माण कृषि क्षेत्रों की परिधि पर किया जाता है</p> <p>- ग्राम पंचायत में किसानों के पास विभिन्न आकारों की भूमि होती है। अनुमान : सभी खेत वर्गाकार होते हैं।</p>	1 मी. मेड़बंदी के लिए ⁵ = ₹150 रुपये	
3	कृषि तालाबों का निर्माण	<p>चरण 1: 5-10 तालाब</p> <p>चरण 2: 15-20 तालाब चरण : यदि आवश्यक हो तो अधिक + तालाबों का रखरखाव</p> <p>1 कृषि तालाब की क्षमता = 300 m³</p> <p>ग्राम पंचायत में बड़े खेतों की संख्या + तालाबों की आवश्यकता पर निर्भर करता है (प्रधान से की गई बातचीत के आधार पर)</p>	1 कृषि तालाब का निर्माण ⁶ = ₹90,000	

5 एचआरवीसीए में ग्राम पंचायत से प्राप्त इनपुट के अनुसार लागत

6 एचआरवीसीए में ग्राम पंचायत से प्राप्त सुझावों के अनुसार लागत

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/फार्मुला	अनुक्रमण क्षमता /उत्सर्जन से बचाव
4	जैविक खेती की ओर कदम बढ़ाना	चरण 1: कुल कृषि भूमि का 15% सम्मिलित किया जाना चरण 2: कुल कृषि भूमि का 40% सम्मिलित किया जाना चरण 3: कुल कृषि भूमि का 100% सम्मिलित किया जाना	a. प्रशिक्षण, प्रदर्शन और कोई अन्य प्रशासनिक लागत (3 सत्र): ₹60,000 b. प्रमाणीकरण (विशेषज्ञ परामर्श के आधार पर): ₹33,000 c. फसल प्रणाली का परिचय- जैविक बीज खरीद; नाइट्रोजन संचयन संयंत्र लगाना--> प्रति एकड़ लागत = ₹2,500 d. एकीकृत खाद प्रबंधन- तरल जैव उर्वरक की खरीद और उसका उपयोग; तरल जैव कीटनाशकों की खरीद और उसका उपयोग; प्राकृतिक कीट नियंत्रण तंत्र की स्थापना; फॉस्फेट युक्त जैविक खाद---> प्रति एकड़ लागत = ₹2,500 e. गणना (प्रति एकड़ परिवर्तन की लागत) = a + b + c + d = ₹1,00,000 कुल लागत ⁷ : क्षेत्र (हेक्टेयर) * e->2.471 * 1,00,000 = ₹2,47,100	
5	सतत पशुधन प्रबंधन	सौर ऊर्जा संचालित शेड निर्माण चरण 1: 30% पशुधन के लिए शेड का निर्माण चरण 2: 60% पशुधन के लिए शेड का निर्माण चरण 3: 100% पशुधन के लिए शेड का निर्माण (नोट: यदि गौ शालाओं को सुझावों में सम्मिलित किया जाता है तो यह बहुत कुछ बदल जायेगा)	सौर ऊर्जा संचालित शेड ⁸ की लागत = ₹2 लाख सौर ऊर्जा संचालित मवेशी शेड के लिए गणना = 4 से 20 मवेशी प्रति मवेशी शेड (इनपुट के आधार पर)	
		चारा अनुपूरक चरण 1: 30% पशुधन के लिए चरण 2: 60% पशुधन के लिए चरण 3: 100% पशुधन के लिए	पूरक आहार की लागत ⁸ = 6 रुपये प्रति दिन/ मवेशी अंतिम गणना = मवेशियों की संख्या * 365 * ⁹	

7 यूपी राज्य जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी (UPSOCA_Tariff_20March.pdf (apeda.gov.in)) और राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (NMSA) दिशानिर्देश

8 एचआरवीसीए में जीपी से प्राप्त इनपुट के अनुसार लागत

9 आईसीएआर - राष्ट्रीय पशु पोषण और शरीर क्रिया विज्ञान संस्थान के अनुसार लागत

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/फार्मुला	अनुक्रमण क्षमता /उत्सर्जन से बचाव
----------	----------------------	---	---	-----------------------------------

जल निकायों का प्रबंधन और कायाकल्प

1	वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) संरचनाएं	चरण 1: सभी सरकारी/पीआरआई भवनों में चरण 2: सभी पीआरआई भवनों + पुनर्भरण गड्डों में वर्षा जल संचयन संरचनाओं (आरडब्ल्यूएच) की स्थापना (एचआरवीसीए में सुझाई गई) चरण 3: 1000 वर्ग फुट के आवासीय भवनों में आरडब्ल्यूएच संरचनाओं की स्थापना + सभी नए भवनों में आरडब्ल्यूएच प्रणाली को शामिल करना	10 m ³ क्षमता वाली 1 वर्षा जल संचयन संरचना की लागत ¹⁰ = ₹35,000 1 पुनर्भरण गड्डे की लागत ¹¹ = ₹35,000	
2	जल निकायों का रख-रखाव (यदि ये वृक्षारोपण समग्र हरित स्थान को बढ़ने के प्रयासों का हिस्सा हैं, जैसा कि ऊपर बताया गया है तो लागत की दोगुनी गणना नहीं की जाएगी)	चरण 1: जल निकायों की सफाई, गाद निकालना और बाड़ लगाना + जल निकायों की परिधि के आसपास वृक्षारोपण (1000) (ट्री गार्ड के साथ) चरण 2: जल निकायों के आसपास अतिरिक्त 100 वृक्षारोपण (वृक्ष रक्षकों के साथ) + जल निकायों का निरंतर रखरखाव चरण 3: जल निकायों का निरंतर रखरखाव	अनुमानित लागत ¹¹ : 1. 1 तालाब का जीर्णोद्धार (सफाई, गाद निकालना, जलग्रहण क्षेत्र में वृद्धि, आदि) = ₹7 लाख 2. 1 रिटेंशन तालाब (300 मीटर ³ क्षमता) का निर्माण = : ₹7 लाख 3. ट्री गार्ड के साथ वृक्षारोपण = ₹1,200 प्रति यूनिट 4. रखरखाव की लागत: a. 1 तालाब/जल निकाय = ₹3,75,000 b. 1 प्रतिधारण तालाब = ₹50,000 c. ट्री गार्ड वाला पेड़ = ₹20 प्रति यूनिट	
3	जल निकासी के बुनियादी ढांचे को बढ़ाना	चरण 1: मौजूदा नालियों की सफाई और गाद निकालना + जल निकासी के बुनियादी ढांचे को बढ़ाना (नए नालों का निर्माण) चरण 2 और 3: चरण 1 में जारी गतिविधियाँ जारी जार्यें	अधिकतर एचआरवीसीए दस्तावेज़ में दी गई लागतों को देखें	

10 छत पर वर्षा जल संचयन दिशानिर्देश, भारतीय मानक (IS 15797:2008)

11 एचआरवीसीए में जीपी से प्राप्त इनपुट के अनुसार लागत

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/फार्मुला	अनुक्रमण क्षमता /उत्सर्जन से बचाव
----------	----------------------	---	---	-----------------------------------

सतत और उन्नत गतिशीलता

1	मौजूदा सड़क बुनियादी ढांचे को बढ़ाना	चरण 1: सड़क मरम्मत/रख-रखाव कार्य + सड़क आरसीसी/इंटरलॉकिंग कार्य चरण 2 और 3: सड़कों का निरंतर रखरखाव	सड़क रख-रखाव /मरम्मत की प्रति किमी लागत ¹² : ₹50,00,000 प्रति किलोमीटर	
2	माध्यम आकर के सार्वजनिक परिवहन (आईपीटी) को बढ़ाना	ग्राम पंचायत की आवश्यकतानुसार सुझावों के अनुसार ई-रिक्शा	1 ई-रिक्शा की कीमत: ~₹50,000 उपलब्ध सब्सिडी: प्रति वाहन 10,000 रुपये तक	
3	ई-ट्रैक्टर और ई-माल वाहन किराए पर लेने की सुविधा	चरण 1: डीजल ट्रैक्टरों और माल परिवहन वाहनों के इलेक्ट्रिक विकल्पों को बढ़ावा देना + किसानों को ई-वाहनों के दीर्घकालिक लाभों के बारे में जागरूक करना चरण 2 & 3: निरंतर जागरूकता	1 ई-ट्रैक्टर की कीमत = ₹6,00,000 1 कमर्शियल ई-वाहन की कीमत = ₹5 से 10 लाख	

12 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) दर/किमी के अनुसार लागत और एचआरवीसीए में जीपी से प्राप्त इनपुट

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता /उत्सर्जन से बचाव
----------	----------------------	---	---	-----------------------------------

सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

1	अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली स्थापित करना	<p>चरण 1:</p> <p>a. ग्राम पंचायत की घर-घर कचरा संग्रहण प्रणाली के तहत 100% घरों को शामिल करना</p> <p>b. मौजूदा कचरे का 100% एकत्र करने के लिए इलेक्ट्रिक कचरा वैन की व्यवस्था</p> <p>c. कूड़ादानों की स्थापना</p> <p>d. अन्य हितधारकों (एसएचजी, स्थानीय स्कैप डीलर, स्थानीय व्यवसाय और एमएसएमई) के साथ साझेदारी बनाना</p>	<p>कुल उत्पन्न कचरा = प्राथमिक डेटा, यदि उपलब्ध नहीं है, तो ग्राम पंचायत में उत्पन्न प्रति व्यक्ति औसत कचरा लगभग 80 ग्राम प्रति दिन लें;</p> <p>बायोडिग्रेडेबल/जैविक अपशिष्ट- 58%</p> <p>गैर-बायोडिग्रेडेबल/अकार्बनिक अपशिष्ट - 42%</p> <p>आवश्यक ई-कचरा वैन की संख्या¹³ = कुल उत्पन्न कचरा/प्रत्येक वैन की क्षमता (310 किग्रा)</p> <p>कूड़ेदानों की संख्या = एचआरवीसीए से या उचित स्थानों की पहचान करके अनुमान लगाया जा सकता है</p> <p>स्थान (पीआरआई भवन, सार्वजनिक भवन, पार्क, आदि)</p>	
		<p>चरण 2:</p> <p>a. ग्राम पंचायत-स्तरीय पुनर्चक्रण और प्लास्टिक श्रेडर इकाई</p> <p>b. अतिरिक्त कूड़ादानों की स्थापना</p> <p>c. अतिरिक्त इलेक्ट्रिक कचरा वैन की व्यवस्था</p> <p>d. मौजूदा सुविधाओं/बुनियादी ढांचे का रखरखाव</p> <p>e. साझेदारी को बढ़ाना</p>	<p>प्लास्टिक श्रेडर इकाई की संख्या = 1 प्रति पंचायत</p> <p>अतिरिक्त कूड़ादान = एचआरवीसीए से या उचित स्थानों (पीआरआई भवन, सार्वजनिक भवन, पार्क, आदि) की पहचान करके अनुमानित करना ।</p>	
		<p>चरण 3:</p> <p>a. रखरखाव कार्य</p> <p>b. साझेदारी को बढ़ाना</p>	<p>लागत¹⁴: 1. 1 इलेक्ट्रिक कचरा वैन = ₹95,000 से 1,00,000</p> <p>2. 1 कूड़ादान/कंटेनर¹⁵ = ₹15,000</p> <p>3. प्लास्टिक श्रेडर यूनिट¹⁶= ₹50,000 प्रति यूनिट</p>	

13 लागत बाजार भाव के अनुसार

14 लागत बाजार भाव के अनुसार

15 एसबीएम दिशानिर्देशों और एचआरवीसीए रिपोर्ट में इनपुट के अनुसार लागत

16 लागत बाजार भाव के अनुसार

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता /उत्सर्जन से बचाव
2	जैविक अपशिष्ट का प्रबंधन	<p>चरण 1:</p> <p>a. सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से कम्पोस्ट और वर्मी-कम्पोस्ट गड्डों की स्थापना</p> <p>b. पंचायत, समुदाय के सदस्यों और किसान समूहों के बीच साझेदारी मॉडल:</p> <p>1. कम्पोस्ट का उत्पादन एवं विक्रय</p> <p>2. कृषि अपशिष्ट की बिक्री</p>	<p>कुल उत्पन्न बायोडिग्रेडेबल/जैविक कचरा = प्राथमिक डेटा</p> <p>घरों, वाणिज्यिक दुकानों, सरकारी/पीआरआई भवनों, सार्वजनिक भवनों और खुले स्थानों आदि से जैविक कचरा = xxx किलोग्राम प्रति दिन (प्राथमिक डेटा के अनुसार)</p> <p>संभावित खाद की मात्रा (किलो प्रति दिन) जो उत्पन्न की जा सकती है¹⁷ = xxx किग्रा/दिन जैविक अपशिष्ट / 2 प्रति वर्ष __ किलोग्राम कृषि अपशिष्ट की आवधिक खाद बनाना (प्राथमिक डेटा के अनुसार)</p>	
		<p>चरण II और III:</p> <p>a. रखरखाव और कम्पोस्ट गड्डों की क्षमता बढ़ाना</p> <p>b. साझेदारी को बढ़ाना</p>	<p>लागत¹⁸:</p> <p>1. कम्पोस्ट गड्डों की लागत संदर्भ: 30 वर्मीकम्पोस्टिंग और 15 नाडेप कम्पोस्ट गड्डे = ₹4,50,000</p> <p>2. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन यार्ड (जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के कचरे के लिए) लागत संदर्भ¹⁹: ₹35,00,000</p>	
3	एकल-उपयोग-प्लास्टिक पर प्रतिबंध	<p>चरण 1:</p> <p>a. सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध</p> <p>b. जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता-निर्माण कार्यक्रम</p> <p>c. रेस अभियान और लाइफ मिशन का लाभ उठाना</p> <p>d. पंचायत, महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों के बीच साझेदारी मॉडल</p>	विनिर्माण के क्षेत्र में 100 महिलाओं की भागीदारी	

17 <https://www.biocycle.net/connection-co2-math-for-compost-benefits/#:~:text=In%20the%20process%20of%20making%20compost%20the%20microbes,food%20waste%20turns%20into%2050%20kg%20of%20>

18 एचआरवीसीए में जीपी से प्राप्त इनपुट के अनुसार लागत

19 एचआरवीसीए में जीपी से प्राप्त इनपुट के अनुसार लागत

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/फार्मुला	अनुक्रमण क्षमता /उत्सर्जन से बचाव
		<p>चरण 2:</p> <p>a. निरंतर जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम</p> <p>b. पंचायत और आस-पास के गांवों में महिलाओं, एसएचजी, एमएसएमई और व्यक्तिगत उद्यमियों की भागीदारी बढ़ाना</p>	अतिरिक्त 200 महिलाएँ	
		<p>चरण 3:</p> <p>a. निरंतर जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम</p> <p>b. पंचायत और आसपास के गांवों में महिलाओं, एसएचजी, एमएसएमई और व्यक्तिगत उद्यमियों की भागीदारी बढ़ाना</p>	अतिरिक्त 300 महिलाएँ	

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता /उत्सर्जन से बचाव
----------	----------------------	---	---	-----------------------------------

स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच

1	सौर छतें	<p>चरण 1: सरकारी/पीआरआई भवन (पंचायत भवन, स्कूल, आंगनवाड़ी, पीएचसी, सीएचसी, सीएससी आदि)</p> <p>अनुमान- छत के 70% क्षेत्र की सोलर रूफटॉप लगाने के लिए उपलब्धता</p>	<p>सौर क्षमता की गणना के लिए एमएनआरआई सोलर रूफटॉप पोर्टल²⁰ का उपयोग करें।</p> <p>वार्षिक स्वच्छ बिजली का उत्पादन (किलोवाट में) = स्थापित क्षमता (किलोवाट) * 310 (धूप वाले दिन) * 24 (घंटे) * 0.18 (सीयूएफ)</p> <p>(प्रत्येक पीआरआई भवन के लिए इसकी गणना करें और कुल जोड़ें)</p> <p>स्थापित क्षमता- उपरोक्त वेबसाइट से</p> <p>कुल स्थापित क्षमता=पंचायत भवन+स्कूल 1+स्कूल 2....+कोई अन्य पीआरआई भवन</p> <p>प्रति किलोवाट लागत = ₹50,000</p> <p>प्रति दिन उत्पादित स्वच्छ बिजली की इकाइयों की संख्या = उत्पादित बिजली/365</p>	<p>उत्पन्न वार्षिक बिजली (किलोवाट)*</p> <p>$0.82/1000 =$</p> <p>___ टन CO₂</p>
		<p>चरण 2 और 3:</p> <p>परिवार</p> <p>अनुमान- छत के 70% क्षेत्र की सोलर रूफटॉप लगाने के लिए उपलब्धता</p> <p>मानी गई स्थापित क्षमता - 3 किलोवाट पॉवर</p> <p>चरण 2: स्थापित करने के लिए कुल पक्के घरों का 40%</p> <p>चरण 3: स्थापित करने के लिए कुल पक्के घरों का 100%</p>	<p>प्रति परिवार औसत स्थापित क्षमता = 3 किलोवाट पॉवर</p> <p>परिवार स्तर पर स्थापित कुल क्षमता = परिवारों की संख्या * 3 किलो वाट पॉवर</p> <p>वार्षिक स्वच्छ बिजली का उत्पादन (किलोवाट में)= पारिवारिक स्तर पर स्थापित कुल क्षमता (किलोवाट) *310 (धूप वाले दिन)*24 (घंटे)*0.18 (सीयूएफ)</p> <p>प्रति किलोवाट लागत = ₹50,000²¹</p> <p>प्रति दिन उत्पादित स्वच्छ बिजली की इकाइयों की संख्या= वार्षिक उत्पादित बिजली/365</p>	

²⁰ https://solarrooftop.gov.in/rooftop_calculator

²¹ एमएनआरआई और मौजूदा बाजार दरों को अनुसार लागत

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता /उत्सर्जन से बचाव
2	कृषि-फोटोवोल्टिक	चरण 2: उपयुक्त कृषि क्षेत्र का 25% चरण 3: उपयुक्त कृषि क्षेत्र का 50% उपयुक्त कृषि क्षेत्र - दलहनों और सब्जियों के अंतर्गत क्षेत्र (मूल्य 10 हेक्टेयर से कम रखें)	प्रति हेक्टेयर 250 किलोवाट स्थापित कुल स्थापित क्षमता = क्षेत्रफल (हेक्टेयर) * 250 किलोवाट पॉवर वार्षिक स्वच्छ बिजली का उत्पादन (किलोवाट में)=कुल स्थापित क्षमता (किलोवाट) *310 (धूप वाले दिन)*24 (घंटे)*0.18 (सीयूएफ) प्रति किलोवाट लागत = ₹1 लाख ²² प्रति दिन उत्पादित स्वच्छ बिजली की इकाइयों की संख्या= वार्षिक उत्पादित बिजली/365	
3	सौर पंप	चरण 1: 20% डीजल पम्पों का बदला जाना चरण 2: 50% डीजल पम्पों का बदला जाना चरण 3: 100% डीजल पम्पों का बदला जाना	स्थापित क्षमता = 5.5 किलोवाट प्रति पंप कुल स्थापित क्षमता = बदले गए पंपों की संख्या * 5.5 किलोवाट वार्षिक स्वच्छ बिजली उत्पन्न= कुल स्थापित क्षमता (किलोवाट) *310 (दिन)*24 (घंटे)*0.18 (सीयूएफ) प्रति दिन उत्पादित स्वच्छ बिजली की इकाइयों की संख्या= वार्षिक उत्पादित बिजली/365 प्रति पंप लागत = ₹3 से 5 लाख ²³	डीजल की खपत को कम करना =390 लीटर/प्रति/वर्ष प्रति वर्ष कम कुल डीजल खपत = बदले गए पंपों की संख्या * 390 उत्सर्जन से बचाव = प्रति पंप प्रति वर्ष 1.05 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन (CO ₂ e)

22 स्थापना/लगाने की लागत बाजार दर के अनुसार

23 लागत बाजार दरों और पीएमकेएसवाई दिशानिर्देशों के अनुसार

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता /उत्सर्जन से बचाव
4	रसोई में स्वच्छ ईंधन का प्रयोग	<p>चरण 1: 25% घरों में बायोगैस स्थापित करने के लिए मवेशी + शीर्ष आय वर्ग में 25% घरों में सौर इंडक्शन कुकस्टोव + 50% परिवार जो वर्तमान में बायोमास का उपयोग करते हैं उनके पास बेहतर चूल्हों की उपलब्धता</p> <p>चरण 2: 50% घरों में बायोगैस स्थापित करने के लिए मवेशी + 50 शीर्ष आय वर्ग के % घरों में सौर इंडक्शन चूल्हे + वर्तमान में बायोमास का उपयोग करने वाले 100% घरों में बेहतर चूल्हों की उपलब्धता</p> <p>चरण 3: 100% घरों में बायोगैस स्थापित करने के लिए मवेशी + शीर्ष आय समूहों में 100% घरों में सौर इंडक्शन और खाना पकाने का चूल्हे की उपलब्धता</p>	<p>1 बायोगैस प्लांट की लागत = ₹50,000</p> <p>2 से 3 m³ बायोगैस संयंत्र की लागत, बिना बैटरी वाले डबल बर्नर वाले सोलर कुकस्टोव की लागत = ₹45,000</p> <p>1 बेहतर चूल्हे की लागत = ₹3,000²⁴</p>	
5	ऊर्जा दक्षता (ईई)	<p>चरण 1: सभी सरकारी/पीआरआई भवनों को सभी फिक्स्चर और पंखों को ऊर्जा कुशल फिक्स्चर और पंखों से बदलना + सभी परिवारों के 1 तापदीप्त/सीएफएल बल्ब को एलईडी बल्ब से या 1 फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट को एलईडी ट्यूब लाइट से बदलना</p> <p>चरण 2: सभी तापदीप्त/सीएफएल बल्बों को एलईडी बल्ब से और सभी फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइटों को एलईडी ट्यूब लाइट से बदला जाना + सभी परिवारों में 1 पारंपरिक पंखे को ईई पंखे से बदला जाना ।</p> <p>चरण 3: सभी परिवारों में सभी पंखों को ईई पंखों से बदला जाएगा</p>	<p>1 एलईडी बल्ब की लागत = ₹70</p> <p>1 एलईडी ट्यूबलाइट की लागत = ₹220</p> <p>1 ईई पंखे की लागत = ₹1,110²⁵</p>	
6	सौर स्ट्रीटलाइट्स	<p>प्रधान से प्राप्त जानकारी के आधार पर हाई-मास्ट सोलर स्ट्रीट लाइट - प्रत्येक सरकारी / पीआरआई भवन, तालाब/झील, हरित स्थान/पार्क/खेल का मैदान/उद्यान/आरोग्य वन के लिए 1 (या आवश्यकता के अनुसार अधिक)।</p>	<p>1 हाई-मास्ट की लागत = ₹50,000</p> <p>1 सौर एलईडी स्ट्रीट लाइट की लागत = ₹10,000²⁶</p>	

24 बाजार दर के अनुसार लागत

25 विद्युत मंत्रालय द्वारा उजाला योजना दिशानिर्देशों के अनुसार लागत (<https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specialdocs/documents/2022/jun/doc202261464801.pdf>)

26 बाजार दर के अनुसार लागत

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/फार्मुला	अनुक्रमण क्षमता /उत्सर्जन से बचाव
----------	----------------------	---	---	-----------------------------------

आजीविका एवं हरित उद्यमशीलता को बढ़ावा देना

1	सौर ऊर्जा चालित कोल्ड स्टोरेज का निर्माण एवं किराये पर देना	कोल्ड स्टोरेज की स्थापना	क्षमता: 1 इकाई = 5 - 10 मीट्रिक टन सब्जियों और फलों/और/या दूध और दूध उत्पादों के उत्पादन पर आधारित लागत: ₹8-15 लाख प्रति यूनिट	
---	---	--------------------------	---	--

अनुलग्नक V: प्रासंगिक एसडीजी और लक्ष्य

एसडीजी 2: जीरो हंगर



लक्ष्य 2.3: भूमि, अन्य उत्पादक संसाधनों और इनपुट, ज्ञान, वित्तीय सेवाओं, मूल्यवर्धन और गैर-कृषि रोजगार के लिए बाजार और अवसर तक सुरक्षित और समान अभिगम सहित, छोटे पैमाने के खाद्य उत्पादकों, विशेष रूप से महिलाओं, स्वदेशी लोगों, पारिवारिक किसानों, चरवाहों और मछुआरों की कृषि उत्पादकता और आय को दोगुना करना।

लक्ष्य 2.4: वर्ष 2030 तक, सतत खाद्य उत्पादन प्रणाली सुनिश्चित करना तथा लचीली कृषि पद्धतियों को लागू करना जो उत्पादकता और उत्पादन को बढ़ाती हैं, जो पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में मदद करती हैं, जो जलवायु परिवर्तन, चरम मौसम, सूखा, बाढ़ और अन्य आपदाओं के अनुकूलन की क्षमता को सुदृढ़ करती हैं एवं जो भूमि और मिट्टी की गुणवत्ता में उत्तरोत्तर सुधार करती हैं।

लक्ष्य 2.a; अनुच्छेद 10.3.e.: सतत सिंचाई कार्यक्रमों का विकास

एसडीजी 3: अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली



लक्ष्य 3.3: एड्स, तपेदिक, मलेरिया और उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों की महामारी को समाप्त करना तथा हेपेटाइटिस, जल-जनित रोगों और अन्य संचारी रोगों से मुकाबला करना।

लक्ष्य 3.9: खतरनाक रसायनों और वायु, जल और मिट्टी के प्रदूषण और संदूषण से होने वाली मौतों और बीमारियों की संख्या में काफी कमी लाना।

एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता



लक्ष्य 6.1: पीने के पानी तक सार्वभौमिक और न्यायसंगत पहुंच प्राप्त करना।

लक्ष्य 6.3: वर्ष 2030 तक, प्रदूषण को कम करके, डंपिंग को समाप्त करके और खतरनाक रसायनों और सामग्रियों की रिहाई को कम करके, अनुपचारित अपशिष्ट जल के अनुपात को आधा करके और वैश्विक स्तर पर रीसाइक्लिंग और सुरक्षित पुनः इस्तेमाल को बढ़ाकर पानी की गुणवत्ता में सुधार करना।

लक्ष्य 6.4: सभी क्षेत्रों में जल-इस्तेमाल दक्षता में पर्याप्त वृद्धि करना और स्थायी निकासी सुनिश्चित करना

लक्ष्य 6.5: सभी स्तरों पर एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन लागू करना

लक्ष्य 6.8: स्थानीय समुदायों की भागीदारी को समर्थन और सुदृढ़ करना

लक्ष्य 6.a : अपशिष्ट जल उपचार, पुनर्चक्रण और पुनः इस्तेमाल प्रौद्योगिकियों सहित जल और स्वच्छता संबंधी गतिविधियों और कार्यक्रमों में विकासशील देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और क्षमता निर्माण सहायता का विस्तार करना।

एसडीजी 7: किफ़ायती एवं स्वच्छ ऊर्जा



लक्ष्य 7.1: किफ़ायती, विश्वसनीय और आधुनिक ऊर्जा सेवाओं तक सार्वभौमिक अभिगम सुनिश्चित करना।

लक्ष्य 7.2: ऊर्जा मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाना

लक्ष्य 7.3: ऊर्जा दक्षता में सुधार की वैश्विक दर को दोगुना करना

लक्ष्य 7.a : नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता और उन्नत और स्वच्छ जीवाश्म-ईंधन प्रौद्योगिकी सहित स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान और प्रौद्योगिकी तक अभिगम की सुविधा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना, और ऊर्जा अवसंरचना और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी में निवेश को बढ़ावा देना।

लक्ष्य 7.b: विकासशील देशों में उनके समर्थन कार्यक्रमों के अनुसार सभी के लिए आधुनिक और सतत ऊर्जा सेवाओं की आपूर्ति के लिए अवसंरचना का विस्तार और प्रौद्योगिकी का उन्नयन।

एसडीजी 8: अच्छा कार्य और आर्थिक विकास



लक्ष्य 8.3: विकास-उन्मुख नीतियों को बढ़ावा देना जो उत्पादक गतिविधियों, सही रोजगार सृजन, उद्यमिता, रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ावा देती हैं, और वित्तीय सेवाओं तक अभिगम सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यमों की औपचारिकता और विकास को प्रोत्साहित करती हैं।

एसडीजी 9: उद्योग, नवाचार और अवसंरचना



लक्ष्य 9.1: गुणवत्तापूर्ण, विश्वसनीय, सतत और लचीला बुनियादी ढाँचा विकसित करना

एसडीजी 11: संधारणीय शहर और समुदाय



लक्ष्य 11.2: सभी के लिए सुरक्षित, किफ़ायती, सुलभ और सतत परिवहन प्रणाली

लक्ष्य 11.4: विश्व की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत की रक्षा और सुरक्षा के प्रयासों को सुदृढ़ करना

लक्ष्य 11.7: वर्ष 2030 तक, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों, वृद्ध व्यक्तियों और विकलांग व्यक्तियों के लिए सुरक्षित, समावेशी और सुलभ, हरे और सार्वजनिक स्थानों तक सार्वभौमिक अभिगम प्रदान करना।

एसडीजी 12: सतत खपत और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना



लक्ष्य 12.2: प्राकृतिक संसाधनों का सतत प्रबंधन और कुशल इस्तेमाल प्राप्त करना

लक्ष्य 12.4: वर्ष 2020 तक, सहमत अंतरराष्ट्रीय ढांचे के अनुसार रसायनों और उनके पूरे जीवन चक्र में सभी अपशिष्टों का पर्यावरणीय रूप से सुदृढ़ प्रबंधन प्राप्त करना, और मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर उनके प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए हवा, पानी और मिट्टी में उनकी रिहाई को काफी कम करना।

लक्ष्य 12.5: वर्ष 2030 तक रोकथाम, कमी, पुनर्चक्रण और पुनः इस्तेमाल के माध्यम से अपशिष्ट उत्पादन को काफी हद तक कम करना।

लक्ष्य 12.5: वर्ष 2030 तक रोकथाम, कमी, पुनर्चक्रण और पुनः इस्तेमाल के माध्यम से अपशिष्ट उत्पादन को काफी हद तक कम करना।

लक्ष्य 12.8: वर्ष 2030 तक, सुनिश्चित करें कि हर जगह लोगों के पास सतत विकास और प्रकृति के साथ सद्भाव में जीवन शैली के लिए प्रासंगिक जानकारी और जागरूकता हो।

एसडीजी 13: जलवायु संबंधी कार्रवाई



लक्ष्य 13.1: सभी देशों में जलवायु संबंधी खतरों और प्राकृतिक आपदाओं के प्रति लचीलापन और अनुकूली क्षमता को सुदृढ़ करना।

लक्ष्य 13.2: जलवायु परिवर्तन उपायों को राष्ट्रीय नीतियों, रणनीतियों और योजना में एकीकृत करना।

लक्ष्य 13.3: जलवायु परिवर्तन शमन, अनुकूलन, प्रभाव में कमी और प्रारंभिक चेतावनी पर शिक्षा, जागरूकता बढ़ाने और मानव और संस्थागत क्षमता में सुधार करना।

एसडीजी 15: भूमि पर जीवन



लक्ष्य 15.1: अंतरराष्ट्रीय समझौतों के अंतर्गत दायित्वों के अनुरूप स्थलीय और अंतर्देशीय मीठे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र और उनकी सेवाओं, विशेष रूप से जंगलों, आर्द्रभूमि, पहाड़ों और शुष्क भूमि के संरक्षण, बहाली और सतत इस्तेमाल को सुनिश्चित करना।

लक्ष्य 15.2: वर्ष 2020 तक सभी प्रकार के वनों के स्थायी प्रबंधन के कार्यान्वयन को बढ़ावा देना, वनों की कटाई को रोकना, नष्ट हुए वनों को पुनर्स्थापित करना और विश्व स्तर पर वनीकरण और पुनर्वनीकरण में पर्याप्त वृद्धि करना।

लक्ष्य 15.3: वर्ष 2030 तक, मरुस्थलीकरण से निपटना, मरुस्थलीकरण, सूखे और बाढ़ से प्रभावित भूमि सहित खराब भूमि और मिट्टी को बहाल करना, और भूमि क्षरण-तटस्थ दुनिया को प्राप्त करने का प्रयास करना। लक्ष्य 15.5: प्राकृतिक आवासों के क्षरण को कम करने, जैवविविधता के नुकसान को रोकने के लिए तत्काल और महत्वपूर्ण कार्रवाई करना।

लक्ष्य 15.9: वर्ष 2020 तक, पारिस्थितिकी तंत्र और जैवविविधता मूल्यों को राष्ट्रीय और स्थानीय योजना, विकास प्रक्रियाओं, गरीबी उन्मूलन रणनीतियों में एकीकृत करना।

अनुलग्नक VI: वृक्षारोपण गतिविधियों के लिए उपयुक्त प्रजातियाँ

पौधों का नाम	प्रजाति (फैमिली)	स्थानीय नाम	उपयोग/औषधीय गुण
इमारती लकड़ी के पेड़			
अकेसिया निलोटिका	फैबेसी	बबूल	गाड़ियों के फ्रेम और पहियों, उपकरणों और औजारों जैसे उत्पादों को बनाने के लिए किया जाता है।
फ़िकस रिलिजियोसा	मोरेसी	पीपल	इसमें औषधीय गुण और इसका धार्मिक महत्व है।
आज़ादिराक्टा इंडिका ए. जस	मेलियासी	नीम	नीम के पेड़ के सभी भाग - पत्ते, फूल, बीज, फल, जड़ और छाल का उपयोग पारंपरिक रूप से उपचार के लिए किया जाता रहा है। इसकी लकड़ी फर्नीचर के लिए आदर्श है, क्योंकि यह मजबूत और दीमक प्रतिरोधी दोनों है।
डालबर्गिया सिस्सो	फैबेसी	शीशम	इसके कई उपयोग हैं, हवाई और समुद्री जहाज में, कोयले के रूप में भोजन को गर्म करने और पकाने के लिए, संगीत वाद्ययंत्र बनाने आदि
मधुका लॉगिफोलिया	सैपोटेसी	महुआ	यह विभिन्न उपयोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण इमारती लकड़ी प्रदान करता है।
शोरिया रोबस्टा	डिप्टेरोकार्पेसी	साल	इसका उपयोग रेलवे स्लीपर, जहाज और पुलों के निर्माण के लिए किया जाता है।
सिनामोमम तमाला	लौरैसी	भारतीय तेज पत्ता	यह विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं को ठीक करने में मदद करता है और खाना पकाने में इसका उपयोग किया जाता है।
फल और जंगली खाद्य पौधे			
मैंगीफेरा इंडिका	एनाकार्डिएसी	आम (मैंगो)	इसके सभी भागों का उपयोग पारंपरिक उपचार में किया जाता है
आर्टोकार्पस हेटरोफिलस	मोरेसी	कटहल , (जैकफ्रूट)	इसकी लकड़ी का उपयोग फर्नीचर बनाने के लिए किया जाता है। पौधे के कई हिस्से, जिनमें छाल, जड़ें, पत्तियां और फल शामिल हैं, पारंपरिक और लोक चिकित्सा में अपने औषधीय गुणों के लिए जाने जाते हैं।

पौधों का नाम	प्रजाति (फैमिली)	स्थानीय नाम	उपयोग/औषधीय गुण
सिडियम गुजावा	मायर्टेसी	अमरूद (गुआवा)	यह विभिन्न गैस सम्बन्धी रोगों के लिए एक सामान्य और लोकप्रिय पारंपरिक उपचार है।
एगारिकस कैम्पेस्ट्रिस एल	एगारिकेसी	धरती का फूल	एक प्रकार का मशरूम।
अंकोलसाल्विफोलियम (एलएफ) वांग	अलंगियासी	ढेरा (एको)	इसके पके फल खाए जाते हैं।
अमोर्फोफैलस पेओनीफोलियसडेनस्ट	अरेसी	हाथीपाँव, जिमी कंद	इसे सब्जी के रूप में खाया जाता है।
क्रोटोलारियाजंशिया एल.	फैबेसी	सनई	हल्की उबली हुई कलियाँ सब्जी के रूप में खाई जाती हैं।
मणिलकारा हेक्सेंड्रा (रोक्सब) डब	सैपोएटेसी	खिरनी	इससे प्राप्त फलों से अचार और साँस बनाया जाता है।
यूजेनिया जाम्बोलाना	मायर्टेसी	जामुन	इसकी जड़, पत्तियाँ, फल और छाल में असंख्य औषधीय गुण होते हैं।
एगल मार्मेलोस	रूटेसी	बेल	कच्चे फल, जड़, पत्ती और शाखा का उपयोग औषधि बनाने के लिए किया जाता है।
मोरस रूबरा	मोरेसी	शहतूत	शहतूत को कच्चा खाया जा सकता है और इसका उपयोग जैम, प्रिजर्व, पाई बनाने के लिए भी किया जाता है। इनमें औषधीय गुण भी होते हैं।

औषधीय गुणों वाले पेड़

विथानियासोमिफेरा	सोलानेसी	अश्वगंधा	यह विभिन्न प्रकार के रोगों में उपयोगी है।
बकोपा मोनिएरी	प्लांटागिनेसी	ब्राह्मी	इसका उपयोग विभिन्न साँस रोगों को ठीक करने के लिए किया जाता है।

पौधों का नाम	प्रजाति (फैमिली)	स्थानीय नाम	उपयोग/औषधीय गुण
एंद्रोग्राफिस पैनिकुलता	एकैंथेसी	कालमेघ	यह प्रतिरक्षा को बढ़ाने में मदद करता है और इसका उपयोग सामान्य सर्दी, साइनसाइटिस और एलर्जी के लक्षणों को ठीक करने के लिए किया जाता है।
राउवोल्फिया सर्पेन्टिना	एपोसिनेसी	सर्पगंधा	इसका उपयोग कई अलग-अलग बीमारियों के उपचार के लिए किया जाता है।

औषधीय गुणों वाले लुप्तप्राय पेड़

एकोरस कैलमस एल.	अरेसी	बाख, बाल, घोर्बच	ब्रोंकाइटिस, खांसी और सर्दी के इलाज के लिए एक उपयोगी जातीय औषधीय पौधा।
ऐस्पैरैगस ऐडसेंडेंसरोक्सबी	लिलिएसी	शतावरी	हार्मोन असंतुलन से संबंधित स्थितियों के उपचार में मदद करता है।
सेलास्ट्रस पैनिकुलैटस वाइल्ड ।	सेलास्ट्रेसी	उमजैन , मुजहानी , मलकांगनी, ककुंदन	विभिन्न प्रकार की बीमारियों के उपचार में उपयोगी है।

अन्य पेड़

पोपुलस सिलियाटा	सैलिकैसी	सेमल, कपोक	इसकी पत्तियों का उपयोग पशुओं के चारे और हर्बल चाय के लिए किया जाता है।
यूकेलिप्टस ग्लोब्युलस	मायर्टेसी	तैलपत्र	खांसी और सामान्य सर्दी के उपचार के लिए दवाओं में उपयोग किया जाता है और आवश्यक तेल बनाने के लिए भी उपयोग किया जाता है।



નોટ્સ

नोट्स

